अंक २

संख्या २६

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

Preservation Unit
1-4-92
Fumigated
On
Parliament Library

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक २ में संख्या २६ से संख्या ५० तक हैं)

भाग १--प्रश्नोत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग १५८५—१६२४]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली ।

(मूल्य ४ आने)

784 PSD

लोक सभा

शुक्रवार, २६ मार्च, १९५४

सभा २ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष-महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

डाक की थैलियां धोने का यन्त्र

*१३१५. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि डाक विभाग ने गतवर्ष कलकत्ते में थैलियां धोने का एक यंत्र बिठाया है; तथा

(ख) यदि हां, तो उसकी लागत क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं । सूचना मिली है कि यंत्र १-३-१९५४ को लंदन से जहाज पर चढ़ाया गया है ।

(ख) उसका मूल्या लंदन तक भाड़े सहित ३९७०७ रुपए है ।

सरदार हुक्म सिंह : मूल करार के अनुसार कब तक यह यंत्र पहुंचाने का वादा किया गया था ; तथा इस विलंब का क्या कारण है ?

श्री राज बहादुर : संभरण तथा उत्सर्जन के महानिदेशक के पास इस यंत्र की मांग

लगभग अगस्त १९५२ में की गई थी और दिसंबर १९५२ में वास्तविक आर्डर भेजा गया । वादे के अनुसार आशा यह की गई थी कि १२ महीनों के अन्दर अन्दर यंत्र पहुंच जायेगा । इसमें ३ या ४ महीनों का विलंब हो गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : वार्षिक प्रतिवेदन में हमें बताया गया है कि कुछ विद्युत् सामग्री उपलब्ध न होने के कारण इस यंत्र के पहुंचाने में विलंब हुआ । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या हमने यह प्रबन्ध कर लिया है कि यंत्र पहुंचने के बाद भी जब कभी यंत्र की मरम्मत का मौका आयेगा तब यंत्र नादुरुस्त होने के कुछ उचित समय पश्चात् अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध हो जायेंगे ?

श्री राज बहादुर : यह सच है कि कुछ आवश्यक विद्युतीय पुर्जे उपलब्ध न होने के कारण निर्माणकर्त्ती फर्म हमें यंत्र न दे सकी । यंत्र के नादुरुस्त होने पर उसकी मरम्मत के लिए जो भी अतिरिक्त पुर्जे आवश्यक होंगे उनकी प्राप्ति का उचित प्रबंध अवश्य किया जाएगा ।

श्री दाभी : इस यंत्र की कार्यशक्ति कितनी है ?

श्री राज बहादुर : इसका मूल्य ३९७०७ रुपए है । जहां तक कार्यशक्ति का सवाल है, वह एक दिन में १२०० थैलियां धो सकता है । सभा को इस विषय के बारे में कुछ

कल्पना देने के हेतु मैं बताना चाहता हूं कि केवल कलकत्ते में प्रतिदिन ३००० से ४००० थैलियां काम में लाई जाती हैं ।

श्रीमती ए० काले : इस यंत्र के उपयोग के कारण कितने व्यक्ति बेकार हो जाएंगे ।

श्री राज बहादुर : एक भी नहीं क्यों कि इस समय इन थैलियों को धोने की कोई व्यवस्था नहीं है । वस्तुतः स्वयं कर्मचारियों के लिए इन गन्दी थैलियों को काम में लाना बहुत कुछ कठिन तथा भयप्रद भी बन गया था । इसी लिए हम ने यह नया यंत्र खरीदा है ।

दिल्ली का नौकरी दफ्तर

*१३१६. **सेठ गोविन्द दास :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली के नौकरी दफ्तर का पिछला निरीक्षण कब दिया गया था ; और

(ख) क्या इसके कार्य में कोई दोष पाये गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जून, १९५३ ।

(ख) कोई गंभीर दोष नहीं पाया गया ।

सेठ गोविन्द दास : क्या सरकार को इस विषय में कोई लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं और क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : इस सभा के एक माननीय सदस्य, श्री प्रभाकर, से एक शिकायत प्राप्त हुई थी । वे प्राधिकारियों से मिले थे और उनकी सहायता से उन्होंने इन दोषों के बारे में, यदि कोई हो, जांच पड़ताल की । मुझे यह कहने में संतोष है कि मंत्रालय भी इन में से कुछ बातों पर विचार कर रहा है । कुछ दोषों का इलाज किया गया है और कुछ दोष यथार्थ साबित नहीं हुए । माननीय सदस्य ने इस विषय में जो रुचि ली है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं और उन्हें आश्वासन देता हूं कि यदि वे मुझ से मिलना चाहें तो मैं उन सभी दोषों के बारे में उनसे विचार विमर्श करने के लिए तैयार हूं जो इस दफ्तर में उनकी राय में अब भी मौजूद हैं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा किन दोषों का दिग्दर्शन किया गया था ? क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वी० वी० गिरि : यह तो लंबा किस्सा है और कुछ दस या बारह पन्नों तक जाता है ।

श्री वी० पी० नायर : उसका संक्षेप कीजिये ।

श्री वी० वी० गिरि : यदि पीठ से अनुमति मिले, तो मैं इन पृच्छाओं को पढ़ कर सुनाऊंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद इस प्रश्न की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां । शिवा राव समिति ।

सेठ गोविन्द दास : यदि विवरण १२ पन्नों का है, तो क्या उसे सदन पटल पर रखा जाएगा ताकि जिन सदस्यों को इस विषय में रुचि है वे इसे देख सकें ?

श्री वी० वी० गिरि : यह कोई प्रतिवेदन तो है नहीं; किन्तु यदि माननीय सदस्य चाहें तो हम इन पृच्छाओं को सभा के सामने रख देंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या नौकरी दफ्तरों का केन्द्रीय निरीक्षणालय बिना पूर्व सूचना के तथा तदर्थ रूप से दफ्तरों का निरीक्षण करता है अथवा प्रत्येक केन्द्र

का पूर्व योजना के अनुसार नियमित निरीक्षण होता है ?

श्री वी० वी० गिरि : इन दफ्तरों को कुल २० हिदायत दी गई हैं और केन्द्रीय दफ्तर के अधिकारी समय समय पर यह देखते हैं कि इन हिदायतों का पालन किया जाता है या नहीं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : शिवा राव समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन दिये जाने की आशा की जाती है ? उसकी नियुक्ति के बाद एक वर्ष बीत भी चुका है ।

श्री वी० वी० गिरि : प्रतिवेदन तैयार हो ही रहा है और मुझे उम्मीद है कि कुछ सप्ताहों के अन्दर ही वह प्रस्तुत किया जाएगा ।

श्री पी० सी० बोस : क्या दिल्ली के नौकरी दफ्तर की कोई सलाहकार समिति है और क्या अपना काम चलाने के लिए वह समिति नियमित रूप से समवेत होती है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं सोचता हूं कि ऐसी एक समिति है; किन्तु मुझे सुनिश्चित जानकारी नहीं है । और मुझे उसके सदस्यों के नाम भी विदित नहीं हैं ।

मसाले (निर्यात)

*१३१७. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मसालों के निर्यात से सन् १९५२-५३ में कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ;

(ख) क्या यह सच है कि मसालों के उत्पादन तथा विक्रय के प्रश्न की जांच करने और उसे चाय, रबड़ तथा कहवे की तरह विनियमित करने के प्रयोजन से सरकार द्वारा एक समिति स्थापित की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति के प्रतिवेदन और उसकी सिफारिशों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) सन् १९५२-५३ में २०,९४,५८,७२९ रु० के मसाले निर्यात किए गये ।

(ख) जी हां ।

(ग) मसाला जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और उसकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है । स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जायेंगे ।

श्री झूलन सिन्हा : इसी बीच क्या इन मसालों के उत्पादकों को अपने ही साधनों पर छोड़ दिया गया है अथवा वे सरकार से कोई सहायता पा रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: जैसा मैं ने बतलाया, समिति की समस्त सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और यदि उत्पादकों को कोई सहायता देने सम्बन्धी सिफारिश हुई तो उस पर भी विचार किया जाएगा ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि मसालों के निर्यात से अर्जित कुल विदेशी मुद्रा में काली मिर्च से अर्जित मुद्रा का कितना भाग है, और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि मसाला जांच समिति द्वारा इस सम्बन्ध में भी कोई सिफारिश की गई है कि काली मिर्च के मूल्यों में होने वाला उतार चढ़ाव जो कि व्यापारियों की कार्यवाइयों से हुआ करता है, किस प्रकार विनियंत्रित किया जाए जिससे कि काली-मिर्च उत्पादक अपनी उपज के लिए एक सुस्थिर मूल्य प्राप्त करने में सुनिश्चित हो सकें ?

डा० पी० एस० देशमुख : इन निर्यातों में काली मिर्च का भाग सब से अधिक है । २० १/२ करोड़ में से यह १५,९५,९१,१२५

रु० आता है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री ए० एन० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिवेदन को मुख्य मसाला उत्पादक क्षेत्रों की राज्य सरकारों के पास भेजा गया है, और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को उनसे कोई राय प्राप्त हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस प्रश्न का उत्तर तत्काल नहीं दे सकता ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि मिर्च, हल्दी तथा प्याज भी 'मसालों' में आते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हल्दी है । मैं प्याज के विषय में निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किन्तु मैं समझता हूं प्याज़ सम्मिलित नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह मिर्च के बारे में जानना चाहते हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, मिर्च है । मैं स्वयं मिर्च में अत्यधिक रुचि रखता हूं । इसका निर्यात १,८१,५६,६९९ रु० है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को विदित है कि काली मिर्च का मूल्य कुछ निर्यातकों की स्वेच्छा और मर्जी के मुताबिक कम हो रहा है और क्या मसाला जांच समिति से प्रश्न के इस पहलू पर भी सरकार ने जांच करने को कहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मूल में घटाव बढ़ाव तथा उससे उत्पन्न हानि से हम अवगत हैं । किन्तु इस सम्बन्ध में मैं पूर्व सूचना चाहूंगा कि इस समस्या पर कोई जांच हुई है या नहीं ।

श्री एन० सोमना : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सिफारिश सब मसालों के लिए है अथवा विशेष रूप से किसी खास मद के लिए ?

डा० पी० एस० देशमुख : 'मसाले' की परिभाषा प्रत्येक सदस्य द्वारा भिन्न-भिन्न की जा सकती है । जांच समिति में जो मसाले लिए गए हैं वे हैं सुपारी, इलायची, काली मिर्च, सौंठ, हल्दी तथा कुछ अन्य चीज़ें जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं ।

श्री नम्बियार : जांच समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन सौंपे जाने की आशा है ।

डा० पी० एस० देशमुख : प्रतिवेदन सौंपा जा चुका है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जा रहा है । अगला प्रश्न ।

विलिंगडन अस्पताल

*१३१८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि विलिंगडन अस्पताल के सम्बन्ध में नई दिल्ली नगरपालिका के मुआवज़े का प्रश्न तय करने के लिए कोई पग उठाए गये हैं और यदि हां, तो क्या ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : विलिंगडन अस्पताल की ज़मीन, इमारत तथा यंत्रों का मूल्य निर्धारण करने सम्बन्धी पग उठाए गए हैं और यदि मुआवज़े का कोई प्रश्न होगा तो नई दिल्ली नगरपालिका से बातचीत द्वारा तय कर लिया जाएगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि विलिंगडन अस्पताल लिए जाने पर नई दिल्ली नगरपालिका ने वहां की परिसम्पत की कोई सूची पेश की है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : उसने २०·३२ लाख रुपया के मुआवज़े का दावा किया है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह निर्णय किया गया है अथवा

नहीं कि किस सिद्धान्त के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा और क्या इस मामले का निर्णय करने के लिए केन्द्रीय सरकार के सदस्यों तथा नगरपालिका के सदस्यों की कोई संयुक्त व्यवस्था स्थापित की जाएगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जैसा मैंने बतलाया, मामला विचाराधीन है ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि नई दिल्ली नगरपालिका इसके स्थान पर नई दिल्ली में कोई नया अस्पताल बनवा रही है और यदि हां, तो उसे कितनी सहायता दी जाएगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): अब तक नई दिल्ली नगरपालिका से नया अस्पताल बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । चूंकि इस अस्पताल में विस्तार किया जा रहा है मैं नहीं समझती कि नई दिल्ली नगरपालिका के लिए दूसरा अस्पताल चालू करने की कोई आवश्यकता होगी ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस अस्पताल के भारत सरकार द्वारा ले लिए जाने पर उन सुविधाओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा जो अब तक रोगियों को दी जाती रही हैं अथवा पुरानी प्रथा जारी रहेगी ?

राजकुमारी अमृतकौर : कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ; वास्तव में, गरीबों के लिए जो पार्श्व है उसमें विस्तार किया जाएगा ।

डा० रामा राव : क्या मैं जान सकता हूं कि इस अस्पताल को केन्द्रीय सरकार द्वारा ले लिए जाने पर नगरपालिका का कितना व्यय बच जाएगा ?

राजकुमारी अमृतकौर : जहां तक मुझे याद है, लगभग ३ या ४ लाख रुपए प्रति वर्ष ।

रेलवे से दावे

***१३१९. श्री दाभी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सामान के खोने अथवा क्षतिग्रस्त होने से दिए जाने वाले मुआवज़े की कुल राशि में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण; और

(ग) दावों का भार कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) वर्ष प्रति वर्ष दिए जाने वाले मुआवज़े की राशि घटती बढ़ती रहती है ;

(ख) यह घटावबढ़ाव वर्ष विशिष्ट में हुई चोरियां, खोने वाले सामान, क्षति-ग्रस्त हुए सामान इत्यादि के मूल्य तथा स्वरूप पर निर्भर है ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनु-बन्ध संख्या ८१]** ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रत्येक रेलवे द्वारा सन् १९५१–५२, १९५२–५३ और १९५३–५४ में, प्रति वर्ष, मुआवजे की कितनी राशि दी गयी ?

श्री अलगेशन : आंकड़े इस प्रकार हैं :

१९४९–५०	३·६७ करोड़ रुपए
१९५०–५१	३·११ करोड़ रुपए
१९५१–५२	२·९१ करोड़ रुपए

इस प्रकार यह धीरे-धीरे कम हो रही है, किन्तु १९५२–५३ में बढ़ कर यह ३·१८ करोड़ रुपए हो गयी ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि विवरण में वर्णित कार्यवाही कब से की जा रही है ?

श्री अलगेशन : हम काफी अरसे से यह कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि सामान को हुई क्षति के लिए दिए जाने वाले मुआवजे का कितने प्रतिशत उस क्षति से सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों से वसूल करके दिया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि सामान के खाने या क्षतिग्रस्त होने के उत्तरदायी व्यक्तियों से कितनी राशि वसूल की गयी ।

श्री अलगेशन : इसके लिए मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को विदित है कि पूर्व रेलवे पर स्थित बिलासपुर के व्यापारी संघ द्वारा सामान खोने के दावे के सम्बन्ध में प्रतिनिधान किया गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे उठता है ? सहस्रों मामलों में से यह केवल एक है ।

सरदार ए० एस० सहगल : किन्तु व्यापारी संघ द्वारा रेलवे विभाग से प्रतिनिधान किया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को ब्यौरे में नहीं जाना चाहिए । ऐसे सहस्रों दावों की कुल राशि मिला कर लगभग ५ करोड़ रुपए है । माननीय मंत्री जी से प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में जानकारी की आशा नहीं की जा सकती ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि रेलों पर चोरियों की संख्या में कमी हुई है ?

श्री अलगेशन : दावों की संख्या कम हो रही है और यह अत्यन्त संतोषजनक पहलू है ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि रेलों पर सामान खोने अथवा सामान को क्षति पहुंचने के क्या मुख्य कारण हैं ?

श्री अलगेशन : चोरियां, उठाईगीरी इत्यादि मुख्य कारण हैं ।

श्री दाभी : सन् १९५२–५३ में दावों की राशि में वृद्धि होने का क्या कारण है ?

श्री अलगेशन : यह मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता, किन्तु जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में बतलाया, इसका कारण खोये हुए अथवा क्षतिग्रस्त माल का अधिक मूल्य हो सकता है ।

छोटे बन्दरगाह

*१३२०. **श्री राधा रमण** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत में छोटे बन्दरगाहों के विकास सम्बन्धी एक योजना पर विचार कर रही है;

(ख) उन बन्दरगाहों के नाम क्या हैं, जो इस योजना में सम्मिलित हैं; तथा

(ग) उसकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां । छोटे बन्दरगाहों में से अधिक महत्वपूर्ण बन्दरगाहों के विकास का एक निश्चित कार्यक्रम बनाया गया है तथा कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८२]**

(ग) २२४·४१ लाख रुपये ।

श्री राधा रमण : विवरण में जिन बन्दरगाहों का उल्लेख है उन में से कौन कौन से बन्दरगाहों का पहिले विकास किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : बहुत सी सम्बन्धित राज्य सरकारें इन सब बन्दरगाहों का विकास कर रही हैं ।

श्री राधा रमण : क्या इस काम को करने के लिये भारतीय विशेषज्ञ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं या कुछ विदेशी विशेषज्ञ बुलाये जायेंगे ?

श्री अलगेशन : यह भारतीय विशेषज्ञ कर रहे हैं ।

श्री वैलायुधन : क्या त्रावनकोर-कोचीन का कोई बन्दरगाह इस रचनात्मक कार्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : हां । विवरण......

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपा करके विवरण में देखें ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या आन्ध्र राज्य ने............

उपाध्यक्ष महोदय : आन्ध्र के बारे में भी वही बात है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : आप चाहते थे कि मैं स्पष्ट तथा आहिस्ता आहिस्ता प्रश्न करूं । मैंने अभी प्रश्न आरम्भ किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न स्पष्ट है । इसका उत्तर पहिले ही दिया जा चुका है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या आन्ध्र राज्य ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह काकिनाडा छोटे बन्दरगाह को जल्दी ही ले लें और यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अलगेशन : काकिनाडा तथा मसूलीपटनम कार्यक्रम में सम्मिलित हैं ।

श्री नम्बियार : क्या टूटीकोरिन सम्मिलित है ? मैं विवरण नहीं देख सका हूं । मैं नहीं जानता कि यह सम्मिलित है या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सूचना कार्यालय में जाकर पता क्यों न लगा लें ?

श्री सी० आर० चौधरी : काकिनाडा तथा मसूलीपटनम बन्दरगाहों के विकास की पृथक् पृथक् अनुमानित लागत क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या विवरण में लागत भी दी जाती है ?

श्री अलगेशन : मैं प्रश्न की पूर्व सूचना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अग्रेतर प्रश्न ।

डा० राम सुभग सिंह : १३२१ ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक पिछले प्रश्न का सम्बन्ध है, उसमें बहुत से माननीय सदस्य रुचि रखते हैं । मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य, जिसका राज्य पूर्णतया भारतीय संघ में है, छोटे बन्दरगाहों के लिये नहीं पूछेगा । जहां तक विस्तृत बातों का सम्बन्ध है, वे माननीय मंत्री से पूछ सकते हैं और मुझे विश्वास है कि वे उनका उत्तर दे देंगे ।

रेलवे से दावे

***१३२१. डा० राम सुभग सिंह:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह विदित हो गया है कि उत्तर-पूर्व रेलवे के एक स्टेशन से खो गई रेलवे भाड़े की खाली रसीदों के आधार पर कुछ झूठे दावे किये गये हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) उत्तर-पूर्व रेलवे ने ये मामले पुलिस को सौंप दिये थे, परन्तु पुलिस ने सूचना दी है कि जिन व्यक्तियों पर संदेह था, उन पर अभियोग चलाने के लिये, कोई साक्ष्य नहीं मिली है ।

डा० **राम सुभग सिंह :** यह घटना किस स्टेशन पर हुई थी तथा कितने धन के झूठे दावे किये गये थे ?

श्री अलगेशन : यह उत्तर-पूर्व रेलवे पर हय्या घाट स्टेशन पर हुई थी । उन्होंने तीन रसीदों के आधार पर दावे किये । वे पुलिस को दे दी गईं थीं । कोई भुगतान नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुल रसीदें कितने धन की थीं ?

श्री अलगेशन : इसका मुझे पता नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : नहीं, नहीं । कितने धन के लिये झूठे दावे किये गये थे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यही पूछा था ।

डा० राम सुभग सिंह : उन्होंने सूचना नहीं दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके पास सूचना नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : प्रश्न वह था ।

श्री अलगेशन : वे झूठी रसीदें थीं । वे पुलिस को दे दी गईं । कुछ भुगतान नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न का सम्बन्ध धन से नहीं है ।

श्री सिंहासन सिंह : माननीय मंत्री ने कहा था कि मामले पुलिस को सौंप दिये गये थे, कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रही थी, अतः अभियोग नहीं चलाये गये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गई है ?

श्री अलगेशन : स्टेशन मास्टर तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की निन्दा की गई है ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं उत्तर नहीं सुन सका ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्टेशन मास्टर तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को चेतावनी दे दी गई है, क्या यही बात है ?

श्री अलगेशन : निन्दा की गई है ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या सरकार का विचार यह है कि उस व्यक्ति के लिये, जिसने रेलवे पर धन का झूठा दावा किया, निन्दा की जानी पर्याप्त दण्ड है ?

उपाध्यक्ष महोदय : स्टेशन मास्टर ने दावा नहीं किया था ।

श्री नम्बियार : प्रश्न उनका नहीं है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार को उस व्यक्ति का पता नहीं लगा जिसने दावा किया था और इसी कारण मामला आगे न हीं बढ़ाया जा सका ?

श्री अलगेशन : कुछ व्यापारियों ने इन झूठी रसीदों के आधार पर दावा किया था । हमने वे रसीदें पुलिस को दे दीं । उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे पूर्ण सद्भावना से लिया था । पुलिस को उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ । हो सकता है कि उन्होंनें इसे किसी और से लिया हो तथा पुलिस उनका पता लगाने में असमर्थ है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : ये रसीदें किस किस स्टेशन से खोई थीं, तथा क्या संबन्धित स्टेशन प्राधिकारियों ने उचित सूचना दी थी या नहीं ?

श्री अलगेशन : मैं स्टेशन का नाम बता चुका हूं । वह हय्या घाट है ।

विमान क्रय

*१३२२. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह : चरक :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि एक विदेशी समवाय को आधुनिक विमानों के क्रय करने के लिये आर्डर दिया गया है;

(ख) किस टाइप के विमान क्रय किये जा रहे हैं;

(ग) प्रत्येक विमान की लागत क्या होगी; तथा

(घ) वास्तविक क्रय के पूर्व क्या भारत सरकार के किसी अधिकारी को इन विमानों का निरीक्षण करने के लिये नियुक्त किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). एअर इण्डिया इंटरनेशनल ने आधुनिक विमानों के क्रय करने के लिये विदेशों में आर्डर भेजे हैं। माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हैं उस का एक विवरण मैं सदन पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८३**]।

(घ) विमान निर्माणकर्त्ता समवाय के साथ किये गये संविदा के अनुसार, एअर इण्डिया इंटरनेशनल ने विमानों के निर्माण के समय अपने प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण कराने का प्रबन्ध किया है।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : आर्डर हमने किस देश को दिये हैं ?

श्री राज बहादुर : अमरीका को।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : इन विमानों के प्राप्त होने पर क्या अतिरिक्त पुर्ज़े हमें भारत में उपलब्ध हो सकेंगे या इन के लिये हमें उसी देश पर निर्भर रहना पड़ेगा ?

श्री राज बहादुर : जब हम आर्डर देते हैं तो हम अतिरिक्त पुर्ज़ों के भी आर्डर देते हैं।

श्री रघुरामय्या : इस देश को, विक्रय किये गये, या विक्रय किये जाने वाले, विमानों के सम्बन्ध में, फ्रांस के विमान मंत्री के इस देश में आने का समाचार, हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है। उनके आगमन का निश्चित अभिप्राय क्या है तथा उनसे इस सम्बन्ध में कहां तक वार्ता की गई ?

श्री राज बहादुर : इस प्रश्न का सम्बन्ध मेरे मंत्रालय से नहीं है।

कृषि ऋतु विज्ञान

*१३२३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३ में कृषि ऋतु विज्ञान के कार्य में कोई सुधार किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या;

(ग) १९५३ में विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों के कितने अफ़सरों को पूना स्थित कृषि ऋतु विज्ञान विभाग में प्रशिक्षण दिया गया; तथा

(घ) कितने विदेशी विद्यार्थियों ने वहां प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा उनमें से कितने विद्यार्थियों को डाक्ट्रेट की उपाधि दी गई ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां।

(ख) १९५३ में पांच वर्ष के लिये, ऋतु सम्बन्धी प्रेक्षण का एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। फ़सलों को पानी की आवश्यकताओं का अध्ययन करने की कला का विकास करने की एक योजना भी पांच वर्ष के लिये मंजूर की गई थी। आशा की जाती है कि इस योजना की कार्यान्विति १९५४ से आरम्भ हो जायेगी। फ़सलों की अनावृष्टि का सामना करने की शक्ति की परीक्षा करने, तथा क्षारक ज़मीनों को कृषि योग्य बनाने के तरीक़ों के सम्बन्ध में जांच की गई थी।

(ग) ९।

(घ) एक, जो अब भी डाक्ट्रेट की उपाधि के लिये कार्य कर रहा है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि ऐग्रो क्लाइ-

मैटिक रिसर्च के बारे में पूना आब्जर्वेटरी में क्या क्या काम हुआ है ?

श्री राज बहादुर : पूना आब्जर्वेटरी में जो कार्य इस समय तक हुआ है वह यह है कि भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें पानी के अभाव में कैसे उगाई जा सकती हैं और उनके वास्ते कैसा बीज चाहिये जो कि सूखा पड़ने पर भी उग सके ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इवेपोरेशन के बारे में कोई रिसर्च हुई है ?

श्री राज बहादुर : यह उसी का एक भाग है जो रिसर्च कि वहां की जा रही है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि दामोदर वैली कारपोरेशन के सीनियर आब्जर्वेटर्स और साइन्टिफिक ऐसिस्टेंटस् के मैटीरियोलोजी की ट्रेनिंग के लिये पूना आब्जर्वेटरी में भेजने की जो स्कीम है उस का काम शुरू हो गया है ?

श्री राज बहादुर : इस स्कीम के बारे में जो कुछ सूचना मेरे पास है वह यह है कि दामोदर बैली कारपोरेशन के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मद्रास स्टेट से दो आदमी, बम्बई से दो आदमी, बिहार से एक, हैदराबाद से एक, सेन्ट्रल टुबको रिसर्च इन्टिट्यूट से एक, सेन्ट्रल कोकोनट रिसर्च इन्स्टिट्यूट से एक और जूट रिसर्च इन्स्टिट्यूट से एक, कुल ९ आदमी अभी तक ट्रेनिंग में आये हैं ।

श्री बेली राम दास : आसाम से कोई आदमी आया है या नहीं ?

श्री राज बहादुर: मैं पूरी लिस्ट बता चुका हूं ।

दामोदर घाटी बांध में मीन का पालना

*१३२५. **पंडित डी० एन० तिवारी** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दामोदर घाटी बांध में मीन पालन का कोई प्रबन्ध किया गया है;

(ख) उसकी अनुमानित लागत; तथा

(ग) अनुमानित वार्षिक उत्पादन ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां । अभी तो केवल तिलय्या जलाशय में मछलियां रखने का प्रबन्ध किया गया है ।

(ख) १९५२-५३ तथा १९५३-५४ का खर्चा क्रमशः ९,१९१ रुपया तथा २५,००० रुपया है; तथा, आगामी चार वर्षों में, लगभग एक लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करने का अनुमान किया जाता है ।

(ग) अनुमान किया जाता है कि १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ का उत्पादन क्रमशः १२०, ३४० तथा ४३५ टन होगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : कौन सी एजेंसी वहां कार्य कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस प्रश्न के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह कार्य निजी रूप से कुछ व्यक्तियों को सौंपा गया है या किसी मछुआ सहकारी समिति के सिपुर्द किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : राज्य स्वयं ही यह काम करा रहा है क्योंकि हमें ऐसे कार्य का कोई पुराना ज्ञान नहीं है कि इन में सफलता कैसे प्राप्त होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या बात है कि माननीय मंत्री के पास यह सारी जानकारी नहीं है ? यह जानकारी तो सहायक तथा

प्रासंगिक जान पड़ती है। कहा यह गया था कि मीन पालन का प्रबन्ध किया गया है तथा अभी तक इतना रुपया खर्च किया जा चुका है। अब आगे प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस कार्य का भार किस पर है किसी केन्द्रीय एजेंसी पर या राज्य की एजेंसी पर।

मैं आशा करता हूं कि अब जो उत्तर दिये जायेंगे वे सम्पूर्ण होंगे।

सरदार ए० एस० सहगल : दामोदर वैली कारपोरेशन के अलावा और किस किस जगह पर और किस किस प्रान्त में इस तरह की व्यवस्था की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस प्रश्न का सम्बन्ध ऐसे बड़े बांधों में किये जाने वाले प्रयोगों से है। अभी तक हमें इस प्रकार का अनुभव केवल मद्रास में हुआ है। अन्य स्थानों में अभी यह कार्य आरम्भ किया गया है।

श्री वी० पी० नायर : क्या मीठे पानी में मीन पालन के विशेषज्ञों से परामर्श लेकर दामोदर घाटी योजना को अन्तिम रूप दिया गया था ? क्या मीन पालन की योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार ने इन बांधों की तह में उगने वाले वृक्ष आदि को काट कर इस स्थान को साफ़ करा दिया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस लम्बे तथा घुमावदार प्रश्न के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सदा ही दो तीन प्रश्न एक साथ पूछते हैं। उनको अवसर नहीं मिलेगा।

श्री वी० पी० नायर : परन्तु माननीय मंत्री ने केवल सूचना मांगी थी सूचनाओं की बात नहीं कही थी।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या यह प्राक्कलन परियोजना प्राक्कलनों में सम्मिलित कर दिये गए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा मैंने अभी पढ़ कर सुनाया था यह बहुत छोटी सी धन राशि है। इस लिये यह सम्भवतः परियोजना प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं है।

श्री० एन० एल० जोशी : प्राप्त होने वाली मछली का मूल्य कितना होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं टनों की संख्या तो बता चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री टनों में बता चुके हैं परन्तु हम सब रुपये में जानने के उत्सुक हैं।

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो हिसाब किताब की बात है। सदन में मेरे लिये हिसाब लगाना आवश्यक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि पिछले अवसर पर उत्तर रुपयों में दिया गया था टनों में नहीं। हो सकता है कि टनों मछली प्राप्त हो परन्तु उसका मूल्य कुछ भी न हो। जब कोई सदस्य प्रश्न करता है तो वह तथा उसके साथ साथ संसद् भी जानना चाहती है कि कितना खर्च होगा, कितनी आय होगी, इसमें लाभ होगा या हानि होगी इत्यादि। इसलिये दो ऐसे आंकड़ों को देने से क्या लाभ है जिनकी तुलना नहीं की जा सकती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : दुर्भाग्यवश आप का ध्यान इस बात की ओर नहीं दिलाया गया था कि यह सभी प्राक्कलन भविष्य के लिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। परन्तु मूल्य का भी एक प्राक्कलन होना चाहिये।

डा० पी० एस० देशमुख : परन्तु मूल्यों के दर सदा एक से नहीं रहते हैं।

नये तार घर

*१३२८. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या संचार मंत्री बिहार के तार घरों के सम्बन्ध में

१६ दिसम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०४१ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या, उस प्रश्न में उल्लिखित स्थानों में तार घर खोलने के कार्य में, तब से कोई प्रगति हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : नरपतगंज में तार घर खोलने के लिये आवश्यक स्टोर भेजने में अप्रत्याशित विलम्ब हो गया है। अब कार्य आरम्भ किया जा रहा है तथा आशा की जाती है कि दो महीने में समाप्त हो जायेगा।

दूसरे सुझावों के अनुसार कार्य उसी दशा में आरम्भ होगा जब बिहार सरकार गारंटी के निबंधनों को स्वीकार कर लेगी। बिहार सरकार ने अभी ऐसा किया नहीं है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या बिहार सरकार ने हाल में दरभंगा तथा सहरसा ज़िले में तार घर खोलने के सम्बन्ध में कुछ सिफ़ारिशें की हैं ?

श्रीराज बहादुर : कुछ सुझाव हमारे पास भेजे गये थे। हमने उनकी जांच की, हिसाब लगाया कि इन सुझावों को कार्य रूप देना लाभदायक होगा या नहीं और हमने कुछ गारंटी वाले निबन्धन बिहार सरकार के पास भेजे हैं, जिनकी स्वीकृति हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

बलिया तथा सिकन्दरपुर के बीच रेलवे लाइन

*१३२९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बलिया ज़िला बोर्ड ने बलिया और सिकन्दरपुर के बीच रेलवे लाइन बनाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना रेलवे बोर्ड के पास स्वीकृति के लिये आई है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने इस योजना की जांच की है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना को स्वीकार करने का है ?

श्री आर० एन० सिंह : इसका उत्तर हिन्दी में दिया जाय ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो अंग्रेजी में ही दे रहे हैं।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). जी हां।

(ग) अब तक नहीं।

(घ) अभी बहुत जल्दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य क्या यह जानने के लिये प्रश्न पूछते हैं कि मंत्री हिन्दी जानते हैं या नहीं या जानकारी प्राप्त करने के लिये ?

सरदार ए० एस० सहगल : जब कि दूसरी रेलवे कम्पनियों को गवर्नमेंट अपने हाथों में ले रही है तो ऐसी हालत में क्या सरकार बलिया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास से जो प्लान आयी है उसको ख़ुद अपनी तरफ़ से बनायेगी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बलिया को अनुमति देगी कि वह बनाये ?

श्री अलगेशन : अपनी तरफ से नहीं बना सकता। (**अन्तर्बाधा**)

उपाध्यक्ष महोदय : वे उतनी हिन्दी समझ सकते हैं जितनी कि वे बोल पाते हैं (**अन्तर्बाधा**) उन्होंने उत्तर दिया है। मैंने सुना है। हो सकता है उनका उच्चारण इतना अच्छा न हो, फिर भी उसमें सुधार हो रहा है (**अन्तर्बाधा**)।

सरदार ए० एस० सहगल : वे अंग्रेज़ी में ही बोलें तो अधिक अच्छा रहेगा :

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जब तक पार्लियामेंट में इंगलिश चलाई जा रही है मिनिस्टर को इसका मौका होना चाहिये कि अगर वह चाहे तो इंगलिश ही में जवाब दे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह एक घंटा गैर-सरकारी घंटा है जब मंत्रियों से जिरह की जा सकती है और जानकारी प्राप्त की जा सकती है । हम यहां उत्तर प्राप्त करने आते हैं यह जानने के लिये नहीं कि किसी मंत्री विशेष को हिन्दी आती है या नहीं । हां, पन्द्रह वर्ष में यदि वह उत्तर न दे सके तो अलग बात है ।

दक्षिण रेलवे पर भोजन व्यवस्था

*१३३०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे पर भोजन व्यवस्था का प्रबन्ध विभाग द्वारा किया जाता है जब कि अन्य रेलवे पर ठेका प्रणाली लागू है; और

(ख) यदि ऐसा है तो दक्षिण रेलवे पर भी ठेकेदारी की प्रथा आरम्भ न करने का क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पूर्व तथा दक्षिण रेलवे पर विभाग की ओर से भोजन व्यवस्था सीमित रूप में है । परन्तु अन्य सभी रेलवे पर भोजन व्यवस्था ठेकेदारों के मारफत की जाती है ।

(ख) विभागीय भोजन-व्यवस्था तथा ठेका-प्रणाली में से कौनसी उत्तमतर है इस प्रश्न पर भोजन-व्यवस्था समिति इस समय विचार कर रही है, और इस के परिणामों को देख कर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या इस विभागीय भोजन व्यवस्था प्रणाली के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं ?

श्री अलगेशन : नहीं, श्रीमान् । इसके विपरीत विभागीय भोजन-व्यवस्था की बहुत सराहना की जाती है, वह अधिक अच्छी है और उच्चतर है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या विभागीय भोजन व्यवस्था लाभ के साथ चल रही है ?

श्री अलगेशन : दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है । विभागीय भोजन व्यवस्था में हमें हानि हो रही है—पूर्व रेलवे पर भी और दक्षिण रेलवे पर भी ।

श्री वी० एस० मूर्ति : उपमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो समिति कार्य कर रही है उसका प्रतिवेदन तैयार होने से पूर्व यदि कोई ठेका समाप्त किया जाना हो तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी—क्या उस ठेके को जारी रखा जायेगा या सरकार उसके प्रबन्ध को सम्भाल लेगी और विभागीय रूप में चलायेगी ?

श्री अलगेशन : भोजन व्यवस्था का समूचा प्रश्न विचाराधीन है । हम वैयक्तिक ठेकेदारों के विषय पर विचार नहीं कर रहे हैं ।

श्री वी० एस० मूर्ति : मेरा प्रश्न यह था । मान लीजिये कि समिति द्वारा विनिश्चय होने से पूर्व, कोई ठेका समाप्त हो जाता है तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? क्या उस ठेके को जारी रखा जायेगा या उसे विभागीय रूप में चलाया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मेरे विचार में माननीय सदस्य को एक मास के लिये या उससे कुछ अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिये, फिर उन्हें पता लग जायेगा कि हम क्या कार्यवाही करेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या ठेकेदारों द्वारा भोजन व्यवस्था विभागीय भोजन व्यवस्था से अधिक लाभप्रद या सुव्यवस्थित है ? अन्यथा उसे बदलने का क्यों प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री अलगेशन: विभागीय भोजन व्यवस्था लाभप्रद तो नहीं है । अभी तक तो उससे लाभ नहीं हुआ है । परन्तु वह निस्संदेह सुव्यवस्थित है ।

श्री नानादास: विभागीय भोजन व्यवस्था बहुत सस्ती तथा संतोषजनक भी है, अतः क्या सरकार उसे अन्य स्थानों पर भी विस्तृत करने जा रही है ?

श्री अलगेशन : माननीय मंत्री की धारणा गलत है । मैंने कहा है कि हमें विभागीय भोजन व्यवस्था में हानि हो रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस समय 'विभागीय भोजन-व्यवस्था' पर चर्चा समाप्त करता हूं क्योंकि उस पर जांच हो रही है ।

श्री राधेलाल व्यास : पूरे वर्ष में कितनी प्रतिशत हानि हुई है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हम प्रतिशत नहीं बतला सकते । शायद बीस बाईस लाख रुपये का घाटा है ।

श्री राधारमण उठे ——

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर जांच हो रही है ।

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे बहुत खेद है, श्रीमान् । मैंने जो आंकड़े दिये थे वे ठीक नहीं थे । केवल आठ लाख रुपये का घाटा है ।

कृषि गवेषणा केन्द्र, कारजत

*१३३१. **श्री गिडवानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में कोलावा ज़िले के कृषि गवेषणा केन्द्र, कारजत, में धान की नयी तथा सुधरी हुई किस्में तैयार की गई हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो किन किन बातों में ये सुधार हुए हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) अनाजों के उत्पादन, तथा उनकी किस्मों में सुधार हुए हैं ।

श्री गिडवानी : उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो अलग अलग किस्मों के अनुसार विभिन्न है । के ४२ के सम्बन्ध में अधिकतम उत्पादन २८०० पौंड था । कुछ किस्मों का उत्पादन १९०० तथा २३०० पौंड हुआ था आदि आदि ।

श्री गिडवानी : उत्पादन में हुई वृद्धि की अपेक्षा व्यय में हुई वृद्धि कितनी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे खेद है कि इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

इंडियन एयर लाइन कारपोरेशन

*१३३२. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के बनने के बाद पहिले चार महीनों में उसके कार्य संचालन में कोई लाभ हुआ है अथवा हानि;

(ख) अब तक कितना लाभ तथा हानि हुई है;

(ग) हानि के कारण, यदि कोई है; तथा

(घ) राष्ट्रीयकरण से पूर्व सन् १९५२ के इन्हीं महीनों के परिणाम की तुलना में यह कैसा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को कार्यसंचालन के पहिले चार महीनों में

२०४·६२ लाख रुपये की आय हुई और उसी समय में २३५·०६ लाख रुपये व्यय हुए। लगभग ३०·४४ लाख रुपये का घाटा रहा।

(ख) दिसम्बर १९५३ तक कारपोरेशन को लगभग २६२ लाख रुपये की आय हुई और लगभग २९८·३० लाख रुपये व्यय हुए। लगभग ३६·३० लाख रुपये का घाटा हुआ। जनवरी १९५४ से आगे के महीनों के आय तथा व्यय सम्बन्धी आंकड़े अभी तक प्राप्य नहीं हैं।

(ग) यह घाटा आंशिक रूप से तो विविध आय में हुई कमी, अगस्त से अक्तूबर तक के महीने में ऋतु के कारण आवागमन में हुई कमी, जिन वायुयानों का बीमा नहीं हुआ था उनका बीमा कराने के फलस्वरूप व्यय में हुई वृद्धि, जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रुकी हुई थी उनके वेतन वृद्धि सम्बन्धी अनुदान देने के कारण यह घाटा हुआ है।

(घ) सन् १९५२ के इन महीनों सम्बन्धी गैर सरकारी समवायों के आय तथा व्यय सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े प्राप्त करना और हानि मालूम करना इस समय सम्भव नहीं है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या मैं जान सकता हूं कि इस घाटे की पूर्ति कैसे की गयी, कर्ज़ लेकर या किसी ग्रांट से ?

श्री राज बहादुर : यह प्रोवाइड किया गया था कि इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट लोन (ऋण) देगी। उसके द्वारा यह चीज़ की गयी है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या मैं जान सकता हूं कि भविष्य में ऐसे घाटे को न होने देने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री राज बहादुर : जिस समय हवाई उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय ही यह साफ़ कर दिया गया था कि कुछ अर्से तक इसमें घाटा रहेगा। संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर कि हवाई उद्योग को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता किसी न किसी रूप में सरकार द्वारा न दी जाती हो।

श्री जो० एस० सिंह : क्या यह सच है कि एयर कारपोरेशन में कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्हें कारपोरेशन के सभापति के वेतन से भी अधिक वेतन मिल रहा है ?

श्री राज बहादुर : हो सकता है; क्योंकि हमने उन्हें उनकी सेवा की वर्तमान शर्तों और निबन्धन के अनुसार ही रख लिया है और यथा समय उसे उचित स्तर पर कर दिया जायगा।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार को यह मालूम है कि ऐसे घाटों का एक कारण यह भी है कि हवाई जहाज़ों में जगह ख़ाली रहती है लेकिन कह दिया जाता है कि बुक हो गई है। ऐसी ही एक घटना बिहार के एक मंत्री के साथ हुई। उनको जगह नहीं दी गई और वह जगह दिल्ली तक खाली रही।

श्री राज बहादुर : ऐसी एक आध शिकायतें सुनने में आई हैं। मैं आभारी होऊंगा सदस्य महोदय का यदि कोई ऐसी घटना जो उनकी जानकारी में आवे उसको वे मेरी या सम्बन्धित एअर कारपोरेशन के चेयरमैन की जानकारी में लावें।

डा० राम सुभग सिंह : क्या कारपोरेशन के सभापति के त्यागपत्र देने तथा कारपोरेशन में हुई हानियों में कोई सम्बन्ध है ?

श्री राज बहादुर : हानि को व्यक्तियों के साथ जोड़ना बड़ी टेढ़ी खीर है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि पिछले दो महीनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वे दो महीने की छुट्टी पर जाना चाहते थे। उस स्थिति में हमें कुछ प्रबन्ध करना था।

श्री टी० एन० सिंह : क्या कारपोरेशन द्वारा कार्य संभालने के बाद कर्मचारियों से

सम्बन्धित कार्यवाही के अतिरिक्त संचालन व्यय में कोई वृद्धि हुई है ?

श्री राज बहादुर : ठीक बात तो वास्तव में यह है कि कारपोरेशन के आर्थिक अथवा अन्य प्रकार के कार्य के बारे में ठीक ठीक अनुमान तो एक वर्ष या उस के बाद लगाया जा सकता है। अभी बहुत जल्दी है। काम करते हुए अभी केवल छः महीने हुए हैं। और प्राप्य आंकड़ों के आधार पर अभी हमने यह अनुमान भी नहीं लगाया है कि संचालन का व्यय कितना है तथा पहले के व्यय की तुलना में यह व्यय कैसा है। किन्तु मैं यह निवेदन करता हूं कि भूतपूर्व समवायों को जो आर्थिक सहायता दी गई थी उसके होते हुए भी जो हानि हुई वह काफ़ी अधिक थी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि माल ले जाने वाली सेवाओं में इस कारण से काफ़ी कमी हो गई है कि---उदाहरण के लिए बंगाल को ही लीजिये---नागरिक उड्डयन के महानिदेशक ने अनुसूची में जो सेवायें नहीं आती थीं और जो घुमावदार रास्तों से अपनी सेवायें जारी रखती थीं अब उन सेवाओं को भी न उन्हीं रास्तों से यात्रा करने की अनुमति दे दी है जिन रास्तों से कि एअर लाइन कारपोरेशन के वायुयान जाते हैं, अतः इसी कारण प्रतिस्पर्द्धा बढ़ गई है ?

श्री राज बहादुर : यह सच है कि माल इधर उधर ले जाने वाली सेवा से आय कम हो गई है। किन्तु एयर कारपोरेशन विधेयक पर जिस समय विचार हो रहा था उस समय हमने यह आश्वासन दिया था कि अनुसूची में जो लाइनें नहीं हैं उनको हम बलहीन करना नहीं चाहते, और हम उनको कार्य करते रहने देना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार हमारे बहुत से देशवासियों को नौकरी मिलती रहेगी, और नागरिक उड्डयन के महा-निदेशक ने यही किया है।

श्री टी० एन० सिंह : क्या विवरण में दिखाई गई हानि भांडार, वायुयान आदि के सम्बन्ध में सामान्य घिसाई मूल्य आदि की गणना करने के बाद रही है ?

श्री राज बहादुर : हुई आय तथा व्यय के आधार पर यह हानि दी गई है। घिसाई मूल्य तथा ब्याज हानि के आंकड़ों में और भी वृद्धि कर देंगे।

श्री वी० पी० नायर : इसमें से कितनी हानि १०० ओक्टेन मूल्य के वायुयान के पैट्रोल, जो कि अन्य देशों की अपेक्षा भारतवर्ष में बहुत ऊंची दरों पर बिकता है, के मूल्य के कारण कही जा सकती है ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मैं जानता हूं हानि का काफ़ी भाग इसके कारण नहीं है, क्योंकि पैट्रोल के मूल्य में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री आर० एन० सिंह : क्या यह सही है है कि जो मंत्री महोदय ने कहा कि हवाई जहाज़ में ख़ाली जगह रहीं और ऐसी शिकायतें आई हैं, तो क्या उन खाली जगहों को अफ़सरों ने अपने मित्रों के लिए ख़ाली रखा था ?

श्री राज बहादुर : मैंने बताया कि सुनने में आई है, लेकिन निश्चित रूप से कोई शिकायत सदस्य महोदय की जानकारी में आई है और वह उसे दे सके तो मैं अत्यन्त आभारी होऊंगा।

श्री जी० एस० सिंह : क्या यह सच है कि जब से कारपोरेशन ने कार्य भार सम्भाला है तब से इंजिन की मरम्मत आदि करने के लिये कर्मचारियों को जो समय लगता था उसमें वृद्धि हो गई है ?

श्री राज बहादुर : मैं तो ऐसा नहीं समझता हूं।

महिला ग्राम सेविकायें

*१३३३. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि महिला ग्राम सेविकाओं को प्रशिक्षित किया जाना है;

(ख) सन् १९५४ में कितनी सेविकायें प्रशिक्षित की जानी हैं;

(ग) प्रशिक्षार्थियों की वांछित अर्हतायें क्या हैं;

(घ) प्रशिक्षा का विषय ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). एक विस्तृत योजना बनाई जा रही है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : महिला ग्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण का नियतन किस प्रकार किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रत्येक सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में एक महिला ग्राम-सेविका रखने का विचार है और इसी विचार को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन किया जायगा ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : क्या ये महिलायें विभिन्न राज्यों के विभिन्न ज़िलों से एकत्रित की जायेंगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, जहां तक सम्भव हो सका है सदैव ही ऐसा किया गया है, सम्पूर्ण देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने का हम प्रयत्न करते हैं और अपने आपको छोटी छोटी बातों तक सीमित नहीं रखते हैं ।

श्री अच्चुतन : क्या सरकार ने पुरुष तथा महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कोई अनुपात निश्चित किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : लक्ष्य का अनुपात बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है क्योंकि इस समय तो हम प्रत्येक सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में एक महिला ग्रामीण सेविका रखने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : इस योजना के चालू होने में कितना समय लगेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : अधिक समय नहीं लगेगा ।

श्री बूबराघसामी : क्या प्रार्थियों का चयन करते समय राजनैतिक दलों के आधार पर कोई भेद किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नहीं, इस प्रकार का कोई भेदभाव कभी नहीं किया गया है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : प्रार्थियों के चयन का आधार क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : आधार तो अभी कोई निश्चित नहीं किया गया है । जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया यह योजना बनाई जा रही है ।

रेलवे लाइन में टूट फूट

*१३३४. **श्री वर्मन :** (क) क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत वर्षाकाल में तिस्ता नदी में बाढ़ आने के फल-स्वरूप दोमोहती से बार्नेस घाट (उत्तर पूर्व रेलवे) जाने वाली शाखा-लाइन में भयंकर टूट फूट हो गई थी ?

(ख) उस लाइन को स्थायी रूप से चालू हालत में रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं। बाढ़ का पानी पटरी के निकट वाली भूमि तक आ गया था जिसके कारण दो एक स्थानों पर भूमि खिसक गई थी और दो एक दिन के लिए परिवहन रुक गया था ।

(ख) राज्य सरकार प्राधिकारियों के परामर्श के आधार पर संरक्षणात्मक उपाय विचाराधीन हैं ।

श्री बर्मन : क्या ये विचाराधीन संरक्षणात्मक उपाय आगामी वर्षाकाल के आने तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे ?

श्री अलगेशन : जी हां; हम ऐसी आशा करते हैं ।

चीनी का नियतन

***१३३५. श्री एच० एस० प्रसाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जून से दिसम्बर, १९५३ तक राज्य सरकारों को कितनी मात्रा में भारतीय फैक्टरियों की चीनी नियत की गई है ; तथा

(ख) राज्य सरकारों ने अब तक कितनी चीनी नहीं उठाई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ५९,३५७ टन ।

(ख) २८ फरवरी १९५४ तक ३,४३३ टन ।

श्री एच० एस० प्रसाद : क्या मैं जान सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल को कितनी चीनी मिली थी और कितनी उसमें से अभी तक नहीं उठ सकी ?

डा० पी० एस० देशमुख : १६७६० टन चीनी उन्हें दी थी, उसमें से खाली १७७७ टन चीनी अभी अनडिस्पेच्ड है ।

श्री एच० एस० प्रसाद : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह चीनी नहीं उठाई जाने से जो वहां के चीनी खाने वाले हैं, उन्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी और ज्यादा क़ीमत देकर चीनी लेनी पड़ी ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सब मामला स्टेट गवर्नमेंट के सुपुर्द है । मैं समझता हूं कि वह जानती होगी कि लोगों को क्या शिकायतें हैं और क्यों दिक्क़तें हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार को मालूम है कि राज्य सरकारों ने अपना कोटा क्यों नहीं उठाया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास प्रत्येक राज्य का ब्यौरा नहीं है; यह पता लगाना बहुत कठिन होगा । परन्तु मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि इसमें से अधिकतर कोटा उठाया जाने वाला ही है ।

पेंच घाटी कोयला-खान-क्षेत्र

***१३३६. श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पेंच घाटी कोयला खान क्षेत्र में खनिकों के लिये मकान बनाने का काम हाथ में ले लिया गया है ?

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी नहीं ।

(ख) क्योंकि पेंच घाटी कोयला खान क्षेत्र के मालिकों ने यह आश्वासन नहीं दिया कि मकान बन जाने पर वे उन्हें अपने श्रमिकों के रहने के लिये ले लेंगे इसलिये इस सुझाव पर आगे बढ़ना सम्भव नहीं हुआ । पहले के अनुभव से यह पता लगा है कि मालिकों के साथ पक्का समझौता न होने के कारण सरकार द्वारा खनिकों के लिये बनाये गये मकान खाली ही पड़े रहते हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार ने योजना स्वीकार करने के लिये मालिकों पर कोई जोर डाला है जिससे श्रमिकों की कठिनाइयां दूर हो सकें ?

श्री वी० वी० गिरि : ऐसा किया गया था ।

श्री के० सी० सोधिया : उनकी प्रतिक्रिया क्या थी ?

श्री वी० वी० गिरि : हम ने न केवल मालिकों को समझाया-बुझाया बल्कि मध्य प्रदेश सरकार से भी हस्तक्षेप करने के लिये कहा जिससे वह मालिकों को मकान बनवाने के लिये तैयार कर ले ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रमिकों के लिये मकान न बनवाने के सम्बन्ध में मालिकों ने क्या कारण बताये थे ?

श्री वी० वी० गिरि: : उन्हें इसमें कुछ धन लगाना पड़ेगा ?

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि वह इन कोयला खानों द्वारा जिनके मालिक अंग्रेज हैं, कोयले का निकालना और खोज करना बन्द कर दे क्योंकि वे श्रमिकों के लिये मकान बनाने के लिये तैयार नहीं हैं ?

श्री वी० वी० गिरि: ऐसी बात नहीं उठी ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र का कृष्यकरण

*१३३७. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र सरकार ने तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र का कृष्यकरण करने के लिये केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की सहायता मांगी है; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रार्थनापत्र केवल इसी महीने प्राप्त हुआ है और आन्ध्र सरकार को वे शर्तें बता दी गई हैं जिन पर केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन काम करने के लिये तैयार है । राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त होने तथा केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के इंजीनियरों द्वारा परीक्षण कर लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जायेगी ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या सरकार को मालूम है कि तुंगभद्रा जलाशय के पानी को कृष्णा नदी में जाने दिया गया था क्योंकि तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र में भूमि खेती के लिये तैयार नहीं है ?

डा० पी० एस० देशमुख : व्यवस्था को ठीक करना राज्य सरकार पर निर्भर है ।

श्री रघुरामय्या : क्या गोदावरी और विशाखापटनम के एजेन्सी क्षेत्रों के लिये भी ट्रैक्टरों की याचना की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास सूचना नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या तुंगभद्रा गोदावरी नदी में मिलती है ? इसका सम्बन्ध तो तुंगभद्रा से है ।

श्री रघुरामय्या : मैं मालूम करना चाहता हूं कि क्या आन्ध्र सरकार ने अपने उसी प्रार्थनापत्र में गोदावरी और विशाखापटनम् क्षेत्रों में भी ट्रैक्टर भेजने की आवश्यकता का उल्लेख किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका सम्बन्ध केवल तुंगभद्रा परियोजना से है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : तुंगभद्रा का पानी पश्चिमी गोदावरी में ले जाया जा रहा है ।

श्री नानादास : क्या केन्द्रीय सरकार ने ग़ैर-सरकारी तथा सरकारी भूमि के बारे में सूचना मांगी थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं । हम इतनी गहराई में नहीं गये हैं ।

श्री मेघनाद साहा : क्या यह सच है कि बांध बन कर तैयार हो जाने तथा कृष्यकरण

के बीच कुछ विलम्ब हो जाने की सम्भावना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है क्योंकि इस समय हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं कि आन्ध्र में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन कृष्यकरण के सम्बन्ध में क्या कर सकता है ।

सुपारी

***१३३९. श्री वोडयार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सागरा शिमोगा, पालघाट, हुबली तथा अन्य क्षेत्रों में सुपारी की बुकिंग अक्सर बन्द कर दी जाती है; तथा

(ख) १ जनवरी, १९५१ से सुपारी की बुकिंग कितनी बार बन्द कर दी गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). जब कभी सम्बन्धित क्षेत्रों से माल के भेजने पर संचालन सम्बन्धी पाबन्दियां लगाना अनिवार्य हो जाता है तो सुपारी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। १९५१ से तीन वर्षों की अवधि में पालघाट से माल भेजने पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई गई थी तथा मैसूर प्रदेश के छोटी लाइन वाले स्टेशनों से, जिनमें सागरा और शिमोगा भी शामिल हैं, माल भेजने पर, जिसमें सुपारी भी आ जाती है, प्रति वर्ष औसतन इस प्रकार पाबन्दियां लगाई गई थीं :—

धर्मावरम हो कर ३ बार

गुन्टकल हो कर ७ बार

गाडग और हुबली हो कर ३ बार

बंगलौर शहर हो कर १४ बार

प्रत्येक बार पाबन्दी की मियाद औसतन एक सप्ताह से अधिक नहीं रही ।

श्री टी० बी० बिट्ठल राव : मैं कुछ भी नहीं सुन सका न समझ ही सका। यदि माननीय मंत्री जोर से नहीं बोल सकते हैं तो किसी और को.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सुन सका हूं, दुर्भाग्यवश, कभी कभी माननीय सदस्यों का ध्यान कहीं और रहता है ।

श्री वोडयार : इन स्टेशनों से सुपारी भेजने के लिये कितने डब्बों की आवश्यकता होती है और क्या वे सब समय पर उपलब्ध कर दिये गये थे ?

श्री अलगेशन : उल्लिखित पाबन्दियों को छोड़ कर सुपारी भेजने के लिये डब्बों का प्रबन्ध कर दिया गया था; परन्तु सुपारी थोड़ी थोड़ी मात्रा में भेजी जाती है, पूरे पूरे डब्बों में भर कर नहीं ।

श्री वोडयार : रेलवे यातायात के सम्बन्ध में क्या सरकार के पास कोई शिकायतें आई हैं और यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अलगेशन : मुझे ऐसी किसी शिकायत का ज्ञान नहीं है ।

जीविका विशेष के कारण उत्पन्न रोग

***१३४०. श्री के० पी० त्रिपाठी :** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जीविका विशेष के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों के सम्बन्ध में स्टोरेज बैटरी उद्योग में कोई सर्वेक्षण किया गया था ?

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के (१) पेशाब में सीसे के अनुपात और (२) रक्त में सीसे के अनुपात पर प्रभाव पड़ा था ?

(ग) कारखाने के वातावरण में औसतन सीसे का जमाव क्या था ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां ।

(ख) १२३ श्रमिकों (५६·५ प्रतिशत) के पेशाब में सीसे का अनुपात ० १ मीलीग्राम ।लिटर अधिक था और ८४ श्रमिकों

(४८·७ प्रतिशत) के रक्त में सीसे का अनुपात ०·८ मीलीग्राम/१०० सी० सी० अधिक था ।

(ग) कारखाने के वातावरण में कार्य-संचालन के विभिन्न स्थानों पर औसतन सीसे का जमाव प्रति १० घन मीटर में १·५ मीलीग्राम से भी अधिक था, जो कि ऐसे वातावरण में जहां श्रमिकों को प्रतिदिन ८ घंटे काम करना पड़ता हो, अधिकतम मात्रा मानी गई है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या सरकार मज़दूरों में ५० प्रतिशत की सीमा तक ऐसे रोगों का होना बहुत ज्यादा समझती है; यदि हां, तो वह क्या क़दम उठाने का विचार करती है ?

श्री वी० वी० गिरि : फ़ैक्टरियों के मुख्य परामर्शदाता ने इस विषय में जांच-पड़ताल की है और अनुदेश भेजे हैं । इसकी एक रिपोर्ट राज्यों को भी भेज दी गई है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी: क्या यह सच है कि सरकार को इसका पता १९५१ में लगा था और तब से अब तक कुछ नहीं किया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं नहीं जानता कि कुछ नहीं किया गया है । मुझे माननीय सदस्य से ही यह बात मालूम हुई है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि कारख़ानों के मालिक यह प्रचार कर रहे हैं कि मज़दूर अपने हिस्से का काम पूरा नहीं करते हैं और क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये रोग काफ़ी फैले हुए हैं, सरकार समझती है कि यह प्रचार ग़लत है और इसका खंडन होना चाहिये ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे माननीय सदस्य से ही यह बात मालूम हुई है ; मैं इसका पता लगाऊंगा ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या सरकार सोचती है कि इन मज़दूरों को कुछ क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिये; यदि हां तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई क़ानून बनाने का है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं वचन देता हूं कि मैं इस मामले पर विचार करूंगा ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार समझती है कि आजकल फैक्टरियों में स्वच्छ हवा आने जाने तथा कार्य सम्बन्धी अन्य सुविधाओं के लिये उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : उपाय किये जा रहे हैं । फ़ैक्टरी इंसपेक्टर इसके लिये हैं ।

श्री पी० सी० बोस : क्या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत इन रोगों से पीड़ित लोगों को क्षतिपूर्ति मिल सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह अपने अपने मत का विषय है ।

श्री पी० सी० बोस : अधिनियम में क्षतिपूर्ति दिये जाने की व्यवस्था है या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप पुस्तकालय से अधिनियम की एक प्रतिलिपि ले सकते हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : जब यह घोषित कर दिया जाता है कि अमुक रोग जीविका विशेष के कारण उत्पन्न हुआ रोग है, तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार मज़दूर क्षतिपूर्ति पाने के हक़दार हो जाते हैं । माननीय मंत्री बतायेंगे कि क्या इस रोग को इस उद्योग विशेष में काम करने के कारण उत्पन्न रोग घोषित किया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि : आप इसके लिये एक अलग प्रश्न पूछें तो मैं उसका उत्तर दे सकूंगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : चूंकि इस मामले पर केन्द्रीय सरकार १९५१ से विचार कर रही इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इसमें

जल्दी करने के लिये क्या क़दम उठाये जा रहे हैं जिससे इन अभागे मज़दूरों को कुछ सहायता मिल सके ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस विषय पर बहुत अच्छी तरह विचार करूंगा और जो कुछ हो सकेगा करूंगा।

श्री नम्बियार : क्या उन्हें कुछ विशेष भत्ता, जैसे दूध भत्ता आदि दिया जाता है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री टी० एन० सिंह : इस गम्भीर विषय के सिलसिले में जो कार्यवाही की गई है क्या माननीय मंत्री उसका एक विवरण सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां ।

डाक व तार विभाग की अन्य विभागों को सेवायें

*१३४१. **श्री टी० वी० विट्ठल राव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) डाक व तार विभाग सरकार का अन्य विभागों की निम्नलिखित सेवाय करने के लिय किस दर से पैसा लेता है :

(१) नक़द तथा राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय,

(२) रेडियो लाइसेन्सों का जारी करना,

(३) रसीदी टिकटों का विक्रय, और

(४) स्वास्थ्य टिकटों का विक्रय; तथा

(ख) य दर कब निश्चित की गई थीं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) (१) प्रत्येक पत्र के जारी करने, भुगतान करने और हस्तान्तरित करने पर ७ आने;

(२) प्रत्येक लाइसेंस के जारी करने या नवीकरण पर २ रुपये ·

(३) कुछ नहीं ।

(४) कुछ नहीं ।

(ख) नक़द और राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय—१ अप्रैल, १९५१ से ।

रेडियो लाइससों का जारी करना—१ अक्टूबर, १९३९ से ।

श्री टी० वी० विट्ठल राव : क्या सरकार इन दरों में परिवर्त्तन करने का विचार कर रही है क्योंकि डाक व तार विभाग में इन सेवाओं का ख़र्चा बढ़ गया है ?

श्री राज बहादुर : नक़द और राष्ट्रीय बचत पत्रों के बारे में दरों में १९५१ में परिवर्त्तन किया गया था और रेडियो के लाइसंसों के लिये दरों म परिवर्त्तन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

श्री टी० वी० विट्ठल राव : रसीदी टिकटों और स्वास्थ्य टिकटों के बेचने पर कोई पैसा क्यों नहीं लिया जाता ?

श्री राज बहादुर : यह पारस्परिकता के आधार पर होता है । सरकारी ख़जाने हमारे टिकट और लेखन-सामग्री आदि रखते हैं । वे हम से इस लिये कोई पैसा नहीं लेते और इसीलिये हम भी उन से कुछ नहीं लेते ।

राष्ट्रीय राजपथ

*१३४२. **डा० नटवर पांडे :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उड़ीसा में पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथों में कितने मील लम्बी सड़कें आयेंगी; तथा

(ख) १९५३ के अन्त तक कितने मील लम्बी सड़कें तैयार हो चुकी हैं और १९५४ तक कितनी तैयार हो जायेंगी ?

रेलवे तथा परिवहन उप मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन-पटल पर रखा

जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८४]

डा० नटवर पांडे : क्या ६९८ मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथों के बारे में जिन्हें केन्द्र ने ले लिया है, कोई प्रगति हुई है ?

श्री अलगेशन : जी हां ।

बीमाकृत डाक के थैले

***१३४३. श्रीरराम दास :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आगरा फ़ोर्ट रेलवे स्टेशन के आर० एम० एस० आफ़िस से ७ मार्च १९५४ की रात को कितने बीमाकृत डाक के थैलों की चोरी हुई थी;

(ख) उस में कितना नुकसान हुआ; तथा

(ग) क्या इस में कोई जांच हुई थी; यदि हां, तो इस का क्या नतीजा निकला ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सात थैले, जिन में बीमा हुआ और बिना बीमा हुआ डाक का सामान था। २९ और ३० जनवरी की रात को चोरी गये थे, ७ मार्च को नहीं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है ।

(ख) जैसा अब तक निश्चित हुआ है उस के अनुसार १०२० रुपये ८ आने का नुक़सान हुआ है ।

(ग) मामले पर अभी पुलिस की जांच हो रही है ।

दिल्ली का नौकरी दफ्तर

***१३४४. सेठ गोविन्द दास :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के नौकरी नफ्तर में १९५३ में, २०० रुपये या अधिक प्रति मास की नौकरियों के लिये कितने व्यक्तियों ने अपने नाम दज कराये; और

(ख) इन में से कितने व्यक्तियों को नौकरियां मिलीं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) २३०.

(ख) ४२.

सेठ गोविन्द दास : इन ४२ व्यक्तियों को किस विभाग में नियुक्त किया गया ?

श्री वी० वी० गिरि : केन्द्रीय और राज्य सरकारों में । यदि आप सूची चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं ।

सहकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण

***१३४५. श्री एस० एन० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकारी प्रशिक्षण सम्बन्धी केन्द्रीय समिति द्वारा सहकारी विभाग और सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये कोई योजना बनाई गई है और सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर सरकार द्वारा विचार हुआ है; तथा

(ग) योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) योजना में निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है : (१) पूना स्थित सहकारी कॉलेज में उच्च श्रेणी के सहकारी कर्मचारी, (२) प्रशिक्षण के लिये स्थापित किये गये वाले ५ प्रादेशिक कालेजों में मध्यम श्रेणी के कर्मचारी और (३) अधीनस्थ कर्मचारी योजना के अनसार प्रशिक्षण का कार्य विभिन्न

राज्यों में वर्त्तमान प्रशिक्षण व्यवस्था के पुनर्गठन एवं विस्तार द्वारा होगा ।

श्री एस० एन० दास : इस के बारे में सरकार ने क्या फैसला किया है ? क्या उस ने योजना स्वीकार कर ली है ; यदि हां, तो इस में कुल कितना खर्चा होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : पंच वर्षीय योजना में इस के लिये १०,००,००० रुपया नियत किया गया है । योजना में उपबन्धित व्यवस्था के शीघ्र ही लागू होने की आशा है ।

श्री कानूनगो : क्या इस में बैंक कर्मचारियों, जैसे बैंक मैनेजर आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सहकारी कर्मचारियों के लिये है । प्रशिक्षण पाने वाले लोगों की श्रेणियां मैं बता चुका हूं ।

श्री कानून गो : मैं सहकारी बैंकों के बारे में पूछ रहा हूं ।

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं; इन के बारे में खास तौर से व्यवस्था नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेलवे भविष्य निधि

*१३२४. **श्री मुनिस्वामी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि संविलय के पश्चात दक्षिण रेलवे में सेवानिवृत्त कर्मचारियों इत्यादि की अपीलों के निर्णय और भविष्य निधि के दावों के निबटारे में काफी देर लग गई है;

(ख) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में विशेषतः भूतपूर्व दक्षिण भारतीय रेलवे में कर्मचारियों को १९५१ से भविष्य निधि लेखों की परचियां नहीं दी गईं;

(ग) क्या कर्मचारियों की कमी के कारण देर हुई है; और

(घ) यदि ऐसा है तो क्या अपीलों का शीघ्र निर्णय करने और भविष्य निधि परचियां शीघ्र जारी करने की कोई प्रस्थापना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कतिपय मामलों में देर हुई है, विशेषत: उन मामलों में जिन में वरिष्टता और पदोन्नति आदि के प्रश्न संविलय से पूर्व की व्यवस्था अधीन थे के, और जिन में कर्मचारियों केएक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में स्थानान्तरण का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त था ।

(ख) दक्षिण रेलवे के पूर्व के एम तथा एस० एम० और मैसूर रेलवे के भागों में कर्मचारियों को वर्ष १९५१–५२ की भविष्य निधि लेखों की परचियां दी जा चुकी हैं और वर्ष १९५२–५३ का कार्य पूरा होने वाला है । परन्तु भूतपूर्व दक्षिण भारतीय रेलवे के भाग में १९५१–५२ की भविष्य निधि की परचियां जारी की जा रही हैं और यह कार्य इस मास के अन्त में पूरा हो जायेगा । १९५२–५३ की परचियां भी जून १९५४ के अन्त में जारी की जायेंगी ।

(ग) तथा (घ). नहीं श्रीमान्, भूतपूर्व मैसूर रेलवे में १९४९ के बकाया लेखे हैं और भूतपूर्व दक्षिण भारतीय रेलवे के बकाया लेखे १९४९ के हैं और उन का सम्बन्ध संविलय पूर्व की कालावधि से है । पुनर्दर्गीकरण के पश्चात कार्य का पूर्ण विश्लेषण कर के और जहां कहीं आवश्यकता है वहां कर्मचारियों को लगा कर स्थिति को सुधारा गया है ।

सरकारी पर्यटन संगठनों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

*१३२६ **श्री०डी० सी० शर्मा :** क्या **परिवहन** मंत्री ३ दिसम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ५५६ के उत्तर की ओर निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आठवें महाअन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधि और अक्तूबर १९५३

के महीने में लिस्बन में हुई सरकारी पर्यटन संगठनों की सभा ने कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ख) यदि ऐसा है तो उस पर क्या निश्चय किया गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). जी हां । प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

कृषि सम्बन्धी उपकरण

***१३२७. श्री गोपाल राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मेसर्स पाशाबाई पटेल एंड कम्पनी लि० बम्बई से खरीदे गये उपकरणों का ढांचा बदलने का कार्यक्रम पूरा हो गया है; और

(ख) उन के पुनर्निर्माण पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) उपकरणों के पुनर्निर्माण के लिए खाद्य तथा कृषि संस्था के विशेषज्ञ की सिपारिशें प्राप्त हुई हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) पुनर्निर्माण पर आने वाली लागत का लगभग अनुमान ३·५ लाख रुपये है ।

कर्मचारी राज्य भविष्य निधि योजना

***१३३८. श्री के० के० बसु :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी बंगाल में कितने औद्योगिक समवायों ने कर्मचारी राज्य भविष्य निधि योजना से विमुक्ति की मांग की है; और

(ख) कितनों को विमुक्ति दी गई और उन में कितनी पटसन की मिलें और कितने इंजीनियरिंग समवाय हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) २५१.

(ख) (१) अस्थायी रूप से विमुक्त किये गये कारखानों की कुल संख्या १९९

(२) अस्थायी रूप से विमुक्त की गई पटसन की मिलों की संख्या १००

(३) अस्थायी रूप से विमुक्त किये गये इंजीनियरिंग समवायों की संख्या ५८

रेलवे चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं

***१३४६. श्री मुनिस्वामी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२–५३ में रेलवे में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर क्रमशः कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) कर्मचारियों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

रेलवे तथा परिहवन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क)

चिकित्सा सेवाएं	१४७·४८ लाख रुपये
स्वास्थ्य सेवाएं	१७१·०५ लाख रुपये

(ख)

चिकित्सा सेवाएं	१०४·८० लाख रुपये
स्वास्थ्य सेवाएं	१४९·७५ लाख रुपये

विमान करार

***१३४७. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत ने कितने देशों के साथ संशोधित विमान करार कर लिए हैं जिन में पंचम स्वतन्त्र यातायात और वहन-सामर्थ्य का विनियमन किया गया है; और

(ख) किन देशों में अभी तक विमान करारों का पुनर्निरीक्षण नहीं हुआ ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). मैं अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८५]**

पटसन

***१३४८. श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पटसन की किसम की सुधार के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति की सिपारिश के अनुसार पश्चिमी बंगाल और बिहार के राज्यों को कोई विशेष सुविधाएं दी गई हैं; और

(ख) यदि ऐसा है तो वे क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध सं० ८६]**

जमीन के नीचे बिछाये गये टेलीफोन केबल

***१३४९. श्री भागवत झा आजाद :**
श्री एम० एल० द्विवेदी :

(क) क्या **संचार** मंत्री यह बताने कीा कृप करेंगे कि जमीन के नीचे मुख्य टेलीफोन केबल बिछाने की भारत को पहली प्रणाली कब तक चालू की जायेगी ?

(ख) किन स्थानों को इस टेलीफोन सम्बन्ध से पहले जोड़ा जायेगा ?

(ग) ऐसी योजना पर लगभग कितनी लागत आयेगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १९५४ के अन्त तक ।

(ख) बम्बई और थाना के बीच में तारें बिछाई जाएंगी और उन का लाभ बम्बई से कलकत्ता के मार्गों के एक भाग और उन अन्य विभिन्न शहरों को पहुंचेगा जिन का बम्बई से सीधा सम्बन्ध है ।

(ग) २९ लाख रुपये ।

रेलवे सुविधाओं सम्बन्धी समिति

***१३५०. श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **रेलवे** मंत्री ८ दिसम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ७४३ के उत्तर की ओर निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उस रेलवे सुविधाओं सम्बन्धी समिति की किन सिपारिशों को स्वीकार किया गया है जिस ने हाल ही में आसाम का दौरा किया है; और

(ख) १९५४–५५ में इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का कार्यक्रम है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). समिति की कुछ सिपारिशों को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है और अन्य की अभी जांच हो रही है । वस्तुतः वर्ष १९५४–५५ के लिए उत्तर पूर्वी रेलवे में यात्रियों सम्बन्धी सुविधाओं के कार्यों के लिए ५४ लाख रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया है ।

इस रेलवे में जो भूतपूर्व आसाम रेलवे का भाग है, उस में यात्रियों सम्बन्धी सुविधाओं के लिए ५ लाख रुपये की एक विशेष अतिरिक्त राशि नियत की गई है ।

सड़क यातायात सवक्षण

***१३५१. श्री राधा रमण :** (क) क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली में हाल में सड़क परिवहन सर्वेक्षण किया है ?

(ख) क्या ऐसे सर्वेक्षण देश के अन्य भागों में भी हुए थे ?

(ग) सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ?

रेलवे परिवहन तथा उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हाल में ही नहीं; परन्तु नई दिल्ली में जनवरी १९५४ में मंत्रालय ने

चलने के स्थान और गंतव्य स्थान के सम्बन्ध में सड़क परिवहन सवक्षण किया है ।

(ख) मद्रास और बम्बई राज्यों ने मद्रास और बम्बई नगरों के चुने हुए क्षेत्रों में केवल प्रारम्भिक स्तर पर वैसे ही सर्वेक्षण किये हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, देश के अन्य भागों में चलने के स्थान से गंतव्य स्थान तक कोई पूरा सर्वेक्षण नहीं हुआ ।

(ग) जब एकत्र किये गये तथ्यों को सूचीबद्ध किया जाये तथा उन का विश्लेषण किया जाये तभी सर्वेक्षण के परिणामों का पता लगेगा ।

दिल्ली में डाकखाने

*१३५२. **श्री टी० टी० विट्ठल राव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में कितने डाकखाने विभागीय भवनों में हैं; और

(ख) जो भवन विभागों ने किराये पर दिये हैं, उन के लिए कितना वार्षिक किराया दिया जाता है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ६ (नौ) ।

(ख) वार्षिक ५८,३०० रुपये (लगभग)

रेलों के शिकायत रजिस्टर

*१३५३. **श्री एस० एन० दास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों के स्टेशनों पर रखे जाने वाले शिकायत रजिस्ट्रों में १९५३ में कुल कितनी शिकायतें लिखी गईं;

(ख) इस काल में कितनी शिकायतों की जांच की गई; और

(ग) कितने मामलों में ये शिकायतें सच निकलीं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (ग). [अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन-पटल रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८७]**

रेलवे कर्मचारियों के लिये मकान का किराया

*१३५४. **श्री मुनिस्वामी :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मकान के किराये के बारे में भूतपूर्व कम्पनी कर्मचारियों जिन के पास ३१ दिसम्बर, १९४५ से पहले बिना किराये के मकानथे अथवा जिन्हें इस के बदले किराया मिलता था, कोई छट दी गई हैं;

(ख) क्या किराये सम्बन्धी इस (नये) नियम के लागू होने से पहले श्रेणी ४ के कर्मचारियों को मकानों की बांट के बारे में रेलवे में किसी एक रूपी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस आधार पर छट देने के कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) माननीय सदस्य का निर्देश अनमानत: भतपूर्व एम० एण्ड एस० एम० तथा एस० आई० के रेलों से है। उत्तर हां में है।

(ख) भूतपूर्व एम० आई० रेलवे में श्रेणी ४ के कर्मचारियों में कुछ ऐसे भी थे जिन्हें किराया देना पड़ता था ।

(ग) किराये से छट देने का उद्देश्य यह था कि जब भूतपूर्व एम० एण्ड एस० एम० तथा एस० आई० रेलों को सरकार से अपने हाथ में लिया गया तो कर्मचारियों को केवल वही विशेषाधिकार प्राप्त रहें ।

बनों के रेंजरों का शिक्षा क्रम

२६०. **चौ० रघुवीर सिंह :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि क्या यह सच है कि प्राक्कलन समिति ने १९५३-५४ सम्बन्धी अपनी छठी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि रेंजर्स शिक्षाक्रम के प्रथम वर्ष की कक्षा को देहरादून शहर से हटा कर वन गवेषणा संस्था की इमारत में लाया जाय ?

(ख) यदि ऐसा है तो सरकार ने अभी तक क्या उपाय किये हैं ?

(ग) सरकार इस स्थान-परिवर्तन के कार्य को कब तक पूरा कर लेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) प्रथम वर्ष की कक्षा के स्थान-परिवर्तन को सम्भव बनाने के लिए प्राक्कलन समिति ने वन गवेषणा संस्था में एक नये छात्रावास के बनाये जाने की भी सिफारिश की थी । इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है । तथा एक इमारत बनाई जा रही है ।

(ग) लगभग दो वर्ष ।

चीनी तथा गुड़

२६१. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** १९५३ में गुड़ तथा चीनी की कुल उत्पादित मात्रा को बताने की कृपा करेंगे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : १९५३-५४ (७ मार्च, १९५४ तक) की ऋतु में चीनी का कुल उत्पादन कोई ८·४६ लाख टन हुआ था ।

१९५३-५४ की ऋतु में उत्पादित गुड़ की मात्रा का अनुमान ऋतु के समाप्त होने पर ही किया जा सकता है ।

कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि

२६२. **श्री बलवन्त सिंह महता :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोयला-खान श्रमिक कल्याण निधि की एक उप-समिति राजस्थान में बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो १९५४ में इस की कितनी बैठक हुई हैं और कितने निर्णय किये गये;

(ग) कितने निर्णय कार्यान्वित किये गये; तथा

(घ) केन्द्रीय श्रमिक कल्याण निधि में से कितनी राशि दी गई और यह किस प्रकार खर्च की गई ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सदन पटल पर रख दी जायगी; तथा इतना बताया जा सकता है कि राजस्थान कोयला-खान उप समिति शुद्ध रूप से एक मंत्रणा समिति है ।

असैनिक विमान उड्डयन विभाग के कर्मचारी

२६३. **श्री वी० पी० नायर :** (क) क्या **संचार** मंत्री सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न बातों का वर्णन हो :

(१) असैनिक विमान उड्डयन विभाग के कर्मचारियों की विभिन्न पदालियां;

(२) प्रत्येक पदाली के लिए स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या;

(३) १ मार्च, १९५४ के दिन प्रत्येक ऐसी पदाली में सेवायुक्त कर्मचारियों की संख्या ?

(ख) संचार मंत्रालय के डाक विभाग में 'लोअर डिवीज़न' तथा 'अपर डिवीज़न' क्लर्कों की संख्या का परस्पर अनुपात क्या है ?

(ग) क्या इन दोनों पदालियों के किसी अनुपात को गृह-कार्य मंत्रालय ने निश्चित किया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक विवरण तैयार किया जा रहा है तथा तैयार होते ही उसे सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

(ख) डाक तथा तार विभाग में 'लोअर' तथा 'अपर' डिवीज़न क्लर्कों की संख्या के किसी ठीक ठीक अनुपात को निश्चित नहीं किया गया है । इन की संख्या काम की वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है । इस समय 'अपर' डिवीज़न में नियुक्तियों की संख्या 'अपर' तथा 'लोअर' डिवीज़नों की नियुक्तियों की सम्मिलित संख्या के ५० प्रतिशत भाग से कम है ।

(ग) जी नहीं ।

हवाई अड्डे

२६४. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९४६ में भारत के कितने हवाई अड्डों को व्यापारिक उड्डयन के लिए प्रयुक्त किया गया था;

(ख) १ मार्च, १९५४ को व्यापारिक उड्डयन के लिए कितने हवाई अड्डों का प्रयोग किया गया था; तथा

(ग) १९४६ तथा १९५३ में असैनिक विमान-उड्डयन विभाग के प्रबन्धाधीन व्यापारिक तथा असैनिक उड्डयन में क्रमश: कितने घंटे तक उड़ान की गई थी ?

सचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). ३१ दिसम्बर, १९४६ तथा १ मार्च, १९५४ को अनुज्ञप्ति अथवा सार्वजनिक प्रयोग के लिए अनुमोदित हवाई अड्डों की संख्या क्रमश: ५४ तथा ८१ थी ।

(ग) भारतीय विमान परिवहन समवायों ने, जो अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित सेवायें चलाती हैं, १९४६ में ३३,९०० घंटे तथा १९५३ में १,४५,४०५ घंटे उड़ान की थी ।

टिड्डी दल का आक्रमण

२६५. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ में टिड्डी ने अनुमानत: अनाज की कितनी मात्रा को नष्ट किया;

(ख) देश के किस भाग पर सब से अधिक प्रभाव पड़ा था;

(ग) क्या उस वर्ष में टिड्डी का आक्रमण बिहार तथा बंगाल तक हुआ था; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो इन दो राज्यों में अनाज की अनुमानित हानि कितनी हुई थी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) सन् १९५३ में टिड्डी से ६५० टन अनाज के नष्ट होने का अनुमान किया जाता है ।

(ख) बिहार ।

(ग) ८ जून से ३० जून, १९५३ के बीच बिहार में तथा २३ मई से २ जून के बीच पश्चिमी बंगाल में टिड्डी दलों को देखा गया था । इस के बाद २७ से २९ जून, १९५३ के बीच इसे फिर देखा गया था ।

(घ) बिहार में अनाज की हानि का अनुमान ४०० टन किया जाता था तथा पश्चिमी बंगाल में यह कोई बहुत अधिक नहीं थी ।

रेलवें कर्मचारीवर्ग महाविद्यालय

२६६. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न भारतीय रेलों में कर्मचारीवर्ग के महाविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) ये कब चलाये गये थे;

(ग) सन् १९५३ में इन महाविद्यालयों में कितने व्यक्तियों ने शिक्षाक्रम को पूरा किया था;

(घ) क्या सरकार का विचार भारत में और अधिक कर्मचारीवर्ग महाविद्यालयों को खोलने का है; तथा

(ङ) यदि ऐसा है तो, कब और कहां कहां ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक ।

(ख) ३१–१–१९५२ ।

(ग) ११३ । इस के अतिरिक्त ५० वरिष्ठ अधिकारियों ने विशिष्ट विषयों पर हुए विशेष भाषणों में उपस्थित रहे ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता है ।

मद्रास में नल-कूप

२६७. श्री मुनिस्वामी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर्यवेक्षण के लिए नल-कूप लगाये जायेंगे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : मद्रास राज्य में कोई ४५ पर्यवेक्षण के लिए नल-कूपों के लगाने के लिए अस्थायी रूप से चुने गये क्षेत्रों में चिंगलपुट, उत्तर तथा दक्षिण अरकाट, तंजोर, त्रिचनापल्ली, पट्टकोटाई, मदुरा तथा रामनद हैं ।

अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था

२६८. श्री मुनिस्वामी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) सफ़दर जंग पर स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था में विभिन्न शिक्षाक्रमों में कितने विद्यार्थियों को प्रविष्ट किया जायगा; तथा

(ख) क्या इस संस्था में विदेशी विशेषज्ञों के काम करने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था में प्रत्येक वर्ष विभि॰ शिक्षाक्रमों में प्रविष्ट किये जाने वाले विद्यार्थियों की इस संख्या का विचार किया गया है :

(१) अवर स्नातक शिक्षाक्रम	५०
(२) स्नातकोत्तर शिक्षाक्रम	३५ से ४०
(३) दंत चिकित्सा शिक्षाक्रम	२५
(४) बी० एस० सी० (आनर्ज़) परिचर्या शिक्षाक्रम	३०
(५) स्नातकोत्तर परिचर्या शिक्षाक्रम	४०

(ख) शिक्षक कर्मचारी वर्ग को यथा-सम्भव भारत में से ही भर्ती किया जायगा । देश में उपयुक्त व्यक्तियों के न मिलने पर ही विदेशी विशेषज्ञों को भर्ती करने का प्रयत्न किया जायगा ।

आसाम में डाक घर

२६९. श्री अमजद अली : क्या **संचार** मंत्री आसाम में उन स्थानों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहां वर्ष १९५३–५४ में प्रथक् शाखा डाकघरों, उप डाकघरों तथा तारघरों की व्यवस्था की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८८]**

रेल प्रदर्शिनी की गाड़ी

२७०. श्री गणपति राम : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अब तक रेल प्रदर्शिनी गाड़ी पर कितना खर्च हुआ है और उस से कितनी आय हुई है; और

(ख) यह गाड़ी उत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे के कितने स्टेशनों पर गई है और इस के प्रवेश टिकटों से कितनी आय हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : दो विवरण, जिन में अपेक्षित सूचना दी हुई है, सम्बद्ध किये जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८९]**

रेलों के फ्री पास

२७१. श्री राम जी बर्मा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में भारत की सभी रेलों में कितने फ्री पास दिये गये;

(ख) प्रत्येक रेल महाखण्ड में तथा प्रत्येक दरजे में कितने कितने पास दिये गये; और

(ग) कुल कितनी लागत के पास दिये गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय में सदन पटल पर रख दी जायगी ।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी

२७२. श्री वी० एन० कुरील : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) लखनऊ डिवीज़न में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की वर्गवार कुल संख्या कितनी है; तथा

(ख) इन में से प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). यह सूचना विवरण रूप में सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९०]**

रेलवे सेवाओं में अनुसूचतआदिम जातियों व्यक्ति

२७३. **२७३. श्री नटवाडकर :**
श्री वाई० एम० मुक्णे :
श्री बी० के० पटेल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अनुसूचित आदिम जातियों के कितने अधिकारी रेलवे विभाग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों में काम कर रहे हैं;

(ख) १९५१–५२. १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में नियुक्त किये गये अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों तथा क्लर्कों की संख्या कितनी है; तथा

(ग) अनुसूचित आदिम जातियों की रिक्तियों को रक्षित करने के लिए तथा उन्हें भरने के लिए सरकार ने क्या कार्य किये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सभी रेलवे सेवाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों में सीधे भरती कर के भरी जाने वाली रिक्तियों में ५ प्रतिशत रक्षण होता है । अनुसूचित आदिम जातियों के सामान्य रूप से अनुन्नत होने के कारण उन के उम्मीदवारों की बहुत कमी रही है । रेलवे की उच्च सेवाओं के लिये अनुसूचित आदिम जातियों के बहुत कम उम्मीदवार आवेदन पत्र देते हैं—किन्तु तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों की रिक्तियों के लिये रेलवे सेवा आयोग तथा स्थानीय भरती अधिकारियों को इस बात के अनुदेश हैं कि अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित रिक्तियों की संख्या तक उन की भरती के लिये विशेष ध्यान दिया जाय ।

पाण्डीचेरी के लिये पार्सल

२७४. श्री एस० एन० दास : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाण्डीचेरी और भारत में अन्य फ्रांसीसी बस्तियों को जाने वाले बहुत से पार्सल बहुत दिनों से मद्रास में रुके पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे पार्सलों की संख्या कितनी है और वे कम से कम और अधिक से अधिक कितने दिनों से रुके पड़े है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां । इन बस्तियों में भारतीय डाकखानों द्वारा बांटे जाने वाले ही पार्सल रोक रखे गये हैं ।

(ख) इन पार्सलों को सीमा शुल्क सम्बन्धी औपचारिक कार्यों को पूरा करने के लिये रोक लिया गया है ।

(ग) ऐसा अनुमान है कि इस समय उन की संख्या लगभग ५,००० है । कुछ पार्सल वहां लगभग छै महीनों से रुके पड़े हैं ।

Chamber Fumigated...

अंक ३ | शुक्रवार,
संख्या ३१ | २६ मार्च, १९५४

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ३ में संख्या ३१ से संख्या ४५ तक हैं)

Preservation Unit
1-4-91
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

अनुदानों की मांगें—
- मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय [पृष्ठ भाग २०९३—२१२९]
- मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें—क्रियाकारी सेना [पृष्ठ भाग २०९३—२१२९]
- मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें—क्रियाकारी नौसेना [पृष्ठ भाग २०९३—२१२९]
- मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें—क्रियाकारी वायु सेना [पृष्ठ भाग २०९३—२१२९]
- मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें—अक्रियाकारी व्यय [पृष्ठ भाग २०९३—२१२९]
- मांग संख्या १६—रक्षा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय [पृष्ठ भाग २०९३—२१२९]
- मांग संख्या ११४—रक्षा पर पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २०९३—२१२९]

बेकारी सहायता विधेयक—पुर:स्थापित [पृष्ठ भाग २१२९—२१३०]

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया [पृष्ठ भाग २१३०—२१४२]

भारतीय पंजीकरण (संशोधन) विधेयक—परिचालन प्रस्ताव—अस्वीकृत [पृष्ठ भाग २१४२—२१६२]

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
विवाद स्थगन प्रस्ताव—स्वीकृत [पृष्ठ भाग २१६३—२१६४]

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) अधिनियम—विचार प्रस्ताव—चर्चा असमाप्त [पृष्ठ भाग २१६४—२१६८]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली।

(मूल्य ६ आने)

54 PSD

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शुक्रवार, २६ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

३ म० प०

अनुदानो की मांगें—जारी

मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय ।

मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना ।

मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौसेना ।

मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-वायुसेना ।

मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय ।

मांग संख्या १६—रक्षा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय ।

मांग संख्या ११४—रक्षा पर पूंजी व्यय ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन रक्षा मंत्रालय से संबन्धित अनुदानों की मांगों पर पुनः चर्चा चलायेगा । यह चर्चा आज ३ से ५ म० प० तक और कल १ से ३ म० प० तक रहेगी ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब, यों तो हर साल का बजट जब कि डिफेंस के मामलात पेश हों, एक ख़ास अहमियत रखता है, लेकिन साल १९५४ में यह बजट हिन्दुस्तान की तवारीख़ में एक ख़ास अहमियत रखता है । यह बजट इसलिये ख़ास अहमियत रखता है कि हिन्दुस्तान बरेआज़म की आज़ादी के बाद पहली दफ़ा रियासतहाए-मुतहिदा अमरीका ने हमारे साथी मुल्क पाकिस्तान को इमदाद देने का फ़ैसला किया है और यह फ़ैसला उस वक्त किया है जब अभी तक हमारे जो इख्तिलाफ़ात पाकिस्तान के साथ थे वह ख़त्म नहीं हुए । रियासत जम्मू व काश्मीर में सीजफायर हुआ । दोनों तरफ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की फौजें डेरे डाले बैठी हैं और मसला वैसे का वैसा ही है । बाक़ी मामलात जो पाकिस्तान के साथ फैसला-मतलब थे वह अभी पांच फी सदी भी तै नहीं हुए ; ऐसे मौके पर अमरीका जैसे बड़े मुल्क का हमारे साथी पाकिस्तान को इमदाद देना ज़रूरी तौर पर मुल्क में एक नई फ़ज़ा पैदा कर देता है । यह फ़ज़ा सिर्फ़ घबराहट और गड़बड़ की ही नहीं है बल्कि फ़ौजी नुक्तेनिगाह से फ़ौजी ताक़त का तवाज़न भी बदल जाता है । इस माहौल में हिन्दुस्तान की हकूमत और हिन्दुस्तान के लोगों के लिए एक ख़ास मसला दर पेश है । वह मसला यह है कि एक तरफ तो

[ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक]

शुमाल में हमारा इतना लम्बा चौड़ा बार्डर है जिसकी हिफ़ाज़त एक बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी तरफ़ पूरब में आसाम और बंगाल की सरहद की हिफ़ाज़त करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। इन हालत में डिफेंस मिनिस्टर साहब से यह उम्मीद की जाती थी कि वह डिफेंस पालिसी ज्यादा वाज़िआ तौर पर बयान करते ताकि जो इस हाउस में बहस मुबाहसा होता उसमें ज्यादा असलियत होती। इसमें कोई शक़ नहीं कि हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट और डिफेंस मिनिस्टरी के साहबान यह कहते होंगे कि यह हालत ऐसे हैं जिन्हें मिलिटरी सीक्रिट्स के नाम से याद किया जाता है। लेकिन मैं, जनाब वाला, आप के ज़रिये से गवर्नमेंट के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि अगर इंगलिस्तान के डिफेंस डिबेट का मुलाहज़ा किया जाय और साथ साथ रियासत मुतहिदा अमरीका के डिफेंस बजट की तरफ़ तवज्जुह की जाय तो इस में साफ जाहिर होगा कि उन्होंने वहां के रहने वालों को ज्यादातर इस मामले में कानफिडेन्स में लिया ; अब बदले हुए हालात में जब हिन्दुस्तान की आज़ाद हकूमत काम कर रही है, यह ज़रूरी हो जाता है कि लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए, लोगों को आने वाले ख़तरात के लिये तैयार करने के लिए और मेम्बरान को अपने ख़याल के साथ सहमत करने के लिए उनको पूरे पूरे मामलात से बाक़िफ़ किया जाय ; और मैं उम्मीद करता हूं कि डिफेंस मिनिस्टर साहब अब अपनी जवाबी तक़रीर में इस मामले पर ज्यादा रोशनी डालेंगे।

जनाब वाला, किसी मुल्क के डिफेंस को तैयार करने के लिए हंगामी हालात के इलावा भी यह लाज़िमी हो जाता है कि यहां के रिज़र्व की तरफ़ ज्यादा तवज्जुह की जाय। हिन्दुस्तान आबादी के लिहाज़ से बहुत गरीब मुल्क है और हमारी फ़ौज छोटी है। और जैसा पिछले दिन हुज़ूर प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि हमारी आबादी के लिहाज़ से हमारी फ़ौज बहुत कम है, और हमारी ज़िम्मेदारियां बहुत हैं,इस फ़ौज को हम किसी हालत में कम नहीं कर सकते, और बढ़ाने के लिए हमारे पास दौलत नहीं है। इसलिए लाज़िमी हो जाता है कि फर्स्ट, सेकण्ड और थर्ड लाइन आफ डिफेंस को और ज्यादा मज़बूत किया जाय। सेकण्ड लाइन आफ डिफेंस में टेरिटोरियल आर्मी का क़िस्सा आज से चन्द बरस पहले इस ऐवान में ज़ेरे ग़ौर आया था। सही तादाद तो मुझको याद नहीं लेकिन मुझे ऐसा याद आता है कि जब सवालात पूछे गये थे तो डिफेंस मिनिस्टरी की तरफ़ से यह जवाब दिया गया था कि पब्लिक इन्टरेस्ट में यह मुनासिब नहीं कि सही फिगर्स बताये जायं। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है मैं आपके ज़रिये इस ऐवान पर ज़ाहिर कर देना चाहता हूं कि पहले फिगर्स बहुत ज्यादा थे और वह टार्गेट हम पूरा नहीं कर सके वह फ़िगर्स कम किये गये। हम उस टार्गेट को पूरा नहीं कर सके और आज चन्द दिन हुये हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने यह ऐलान किया कि गवर्नमेंट मुलाज़िमीन को आक्जिलिएरी टेरिटोरियल आरमी के लिये कांसक्रिप्ट किया जाएगा। । जनाब, इस ऐलान को सुन कर मुझे किसी तरह की ख़ुशी हासिल नहीं हुई। बल्कि अगर आप मुझे माफ़ करें तो मैं यह कहूंगा कि मुझे यह सुन कर बहुत दुःख हुआ, इस हिन्दुस्तान में, जिस हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ ने जुल्मो सितम करते हुए भी १९४३–४४ में २५ लाख की फ़ौज बनाई, इसी हिन्दुस्तान में जब इन नेताओं के हाथ में हकूमत है, जो हर काम पब्लिक की मर्ज़ी से करते हैं, उनको कांसक्रिप्शन करने की ज़रूरत पड़ी। और वह भी गवर्नमेंट आफ़ि

सर्स को कांसक्रिप्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। यह कोई ख़ुशी की बात नहीं बल्कि अफ़सोस की बात है, दुनियां पर यह ज़ाहिर होगा कि हिन्दुस्तान ने घबराहट में गसवर्नमेंट आफ़िसर्स का कांसक्रिप्शन कर दिया। और नतीजा इसका कोई ख़ास नहीं होगा। यह भी क़ाबिले ग़ौर बात है कि इस तरह के कांसक्रिप्ट किये हुए अफ़सर और गवर्नमेंट मुलाज़िमीन डिसिप्लिन के लिहाज़ से कितने कामयाब होंगे, और मुल्क की किस किस्म की सेवा करेंगे। काम तो बहुत अच्छी तरह से करेंगे ; लेकिन ज़रूरी मसला हाउस के सामने यह आता है कि आख़िर यह वाक़यात क्या हैं जिनकी वजह से टेरिटोरियल आर्मी में लोग आना पसन्द नहीं करते। हिन्दुस्तान में पेट्रियाटिज्म की कमी नहीं। हर हिन्दुस्तानी अपने मुल्क की हिफ़ाजत के लिए जान देना अपना फ़र्ज समझता है ; लेकिन साथ ही यह ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट भी आफिश्यल साइड में इस की तरफ बहतरीन तवज्जुह करे। आपको मालूम होगा कि पिछले ६–७ साल के अर्सा में पुरानी रियासतों की फ़ौजें तोड़ी गईं, उनको इण्डियन आर्मी में शामिल किया गया अफ़सरों को बरख़ास्त किया गया ; और मैं यह कहे वगैर नहीं रह सकता कि जितने अच्छे से अच्छे सिपाही थे, यह जो अफ़सर मौजूद थे, जिन्होंने सेकण्ड वर्ल्ड वार में सनदात हासिल किये तमग़ात हासिल किए, उनको इस इन्टेगरेशन के प्रासेस में हटा दिया गया। डिफेंस मिनिस्टरी की तरफ से मुझे जवाब दिया गया कि हमें इन अफ़सरों की ज़रूरत नहीं थी, सिपाहियों की ज़रूरत नहीं थी ; हमने उन्हें मुनासिब पेन्शन और इनामात दे दिये। लेकिन ज़रा वाक़िआत की तरफ आप तवज्जुह कीजिये तो आपको मालूम होगा कि ८, १०, १२ साल की सर्विस के बाद जिन नौजवान आदमियों को रियासतों में कमीशन देने चाहिये थे, जब वह इण्डियन आर्मी के कण्ट्रोल में आये तो उनको निकाल दिया गया। आप ख़याल कीजिये कि एक नौजवान दस साल नौकरी करने के बाद प्रपोर्शनेट पेन्शन ६०–७० रुपये की दे कर निकाल दिया जाता है। इस वक्त उसकी उम्र ३० बरस के करीब हो जाती है और वह सिविल साइड की मुलाज़िमत की तवक्कुह नहीं कर सकता और उसको जिन्दगी भर इसी ६०–७० रुपये पर जिन्दगी बसर करनी होती है।

वह ज़माना गया जब कि पुराना फ़ौजी जंग के बाद अपने घर आया करता था और अगर उसको कोई तकलीफ हुई तो वह डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाता था और उनको सलाम करता था ; और डिप्टी कमिश्नर यह महसूस करता था कि उसका यह अव्वलन फ़र्ज़ है कि इस जवान को जो तकलीफ है जिस के लिये कि यह मदद लेने आया है उस तकलीफ को दूर करे और उसके साथ इज्जत से पेश आवे, क्योंकि ख़तरे के वक्त उस जवान ने अपने आप को कुर्बानी के लिये पेश किया था। और जनाब, मैं यह कहे वगैर रह नहीं सकता कि जिस मुल्क में इन फ़ौजियों की कद्र न की जाय जिनको कि जंग के वक्त बुलाया जाता है और जंग के बाद उन को बेकसी की हालत में छोड़ दिया जाय तो यह उस मुल्क के लिये अफ़सोसनाक चीज़ होगी। और अगर ख़ुदा-न-ख्वास्ता जंग छिड़ गई तो मैं आपको यक़ीन दिलाता हूं कि जिन आदमियों के साथ आपने अच्छा सलूक नहीं किया है, उन से उम्मीद न कीजिये कि वह दोबारा आकर आपकी फ़ौज में भर्ती हों।

और एक बात मैं अर्ज करूं कि स्टेट्स में यह हालत हुई कि छोटे छोटे ज़मीन वाले सिपाही फ़ौज में सेकण्ड वर्ल्ड वार में नौकरी करने को आ गये। उनकी काश्त दूसरों के पास चली गई और जब जंग के बाद डिमोबिलाइजेशन हुआ और वह अपने घर गये तो

[ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक]

हिन्दुस्तान आज़ाद हो गया और इस आज़ाद हिन्दुस्तान में पुराने सिपाही के साथ क्या सलूक हुआ। इसको ज़मीन्दार कहा गया इसको लैंडलार्ड कहा गया और इसकी ज़मीन चाहे पांच एकड़ हो और चाहे पांच सौ एकड़ हो, सबको एक ही रस्सी में बांध दिया गया। मैं आप से यह अर्ज़ करूंगा कि अगर आप सही मानों में अपनी डिफेंस फोर्सेज़ को मजबूत करना चाहते हैं तो यह लाज़िमी चीज़ होनी चाहिये कि आप अपने पुराने सिपाहियों की घरेलू तकलीफों में उनकी इमदाद करने का ख्याल रखिये। तभी आप अपने मुल्क को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास को देखें तो उस वक्त यह हुआ करता था कि एक तबके को मुल्क के डिफेंस की ज़िम्मेदारी दे दी जाती थी, और उसको उस वक्त की ज़बान में राजपूत कहा जाता था। आजकल वह फ़ौजी सिपाही कहलाता है और फ़ौज में भर्ती हो कर मुल्क की हिफ़ाजत करता है। जिस तरह पुराने ज़माने में इसकी इज्ज़त होती थी, क्योंकि वह अपनी जान को कुर्बान करने के लिये तैयार रहता था, इसी तरह आज भी इसकी इज्ज़त होनी चाहिये। मेरे साथी जो कि मद्रास से या आसाम से तशरीफ लाते हों, वह यह खयाल करें कि यहां से बीस हज़ार फ़ीट की बलन्दी पर लद्दाख की पहाड़ियों में सारे जाड़े भर जो सिपाही अपने घर से दूर रह कर मुल्क की हिफ़ाज़त करता है, क्या वह इज्ज़त के क़ाबिल नहीं है। अगर इस सिपाही को पन्द्रह बरस की सर्विस के बाद तीन या चार रुपये पेन्शन देकर इस के घर भेज दिया गया और यह न देखा गया कि इसको कोई रोज़गार मिला या नहीं और इसको मामूली बेकारों की फहरिस्त में रखा गया तो यह उम्मीद न कीजिये कि अगर दोबारा ज़रूरत हुई तो वह अपनी जान मुल्क की कुर्बानी के लिये पेश करेगा।

जहां तक मेरी मालूमात हैं हिन्दुस्तान में इस वक्त तीस चालीस लाख पुराने फ़ौज़ी मौजूद हैं जो कि मुख़तलिफ़ किस्म के काम काजों में लगे हुए हैं। इन में से कुछ बेकार भी हैं। इनकी हिफ़ाज़त और बेहतरी और बहबूदी का गवर्नमेंट को ख़ास ख़याल रखना चाहिए। हमें यह सुन कर खुशी हुई है कि हाल ही में एक एसोसियेशन इस किस्म का क़ायम हुआ है जिसके पेटरन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और इस के सदर मेजर जनरल भोंसले हैं जो कि एक पुराने फ़ौजी अफ़सर हैं और जिन्होंने श्री सुभाष चन्द्र बोस की नैशनल आर्मी में बहुत नुमायां काम किया था। मुझे उम्मीद है कि डिफेंस फोर्सेज़ की बेहतरी और बेहबूदी को खयाल में रखते हुए गवर्नमेंट इस एसो सिएशन की हर तरह से इमदाद करेगी।

जनाब वाला, एक और मौज़ू पर मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूं। वह यह है कि जिस इलाक़े से फ़ौजी भर्ती किए जाते हैं उसी इलाक़े से अफ़सर भी भर्ती किए जाने चाहियें। मुल्क की फ़ौज को कामयाब करने के लिये यह ज़रूरी होगा कि अगर देहात के लोग फ़ौज में ज्यादातर हैं तो कोशिश की जानी चाहिए कि जहां तक हो सके देहाती लोग ही इस फ़ौज के अफ़सर बनें। जो आपने पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई है उसमें देहात के लोग शहरी लोगों के मुक़ाबले में नहीं आ पाते हैं। इस से फ़ायदा उठा कर शहरी लोग हमेशा ज्यादा तादाद में आ जाते हैं।

जनाब मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूं; वह यह है कि जब किसी इमरजेन्सी में लोगों को शार्ट सर्विस कमीशन पर या इमरजेन्सी कमीशन पर बुलाया जाय तो जब उनको रिलीज़ किया जाय तो उनकी बेहबूदी का और बेहतरी का पूरा ख्याल रखा जाय।

पिछले दिनों में मुझे हाउस में सवालात के जवाब में बताया गया कि कई अफ़सरान ऐसे हैं जिन्होंने शार्ट सर्विस कमीशन में दस साल से ज्यादा खिदमात पेश कीं। अब उनको रिलीज़ कर दिया गया। उन में कुछ जवान हैं मगर कुछ की उम्र ५२—५३ साल है। और वह कोई कारोबार नहीं कर सकते। अभी तक डिफ़ेन्स मिनिस्टरी की तरफ से इन के कागजात फैसल नहीं हुए हैं। मैं अर्ज करूंगा कि जल्द से जल्द यह मामला तै कर दिया जाय ताकि इन की घबराहट दूर हो जाय।

एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूं। कल अपोज़िशन की तरफ़ से इस बात की बहुत मुखालिफ़त की गई कि हिन्दुस्तान की फ़ौज में अंग्रेज अफ़सर मौजूद हैं। इस मौजू में मैं आपके सामने यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस वक्त सन् ४७ में हिन्दुस्तान की फ़ौज की तक़सीम हुई तो जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगले दिन ज़िक्र किया था, ८,००० अंग्रेज़ अफ़सर हमारे पास मौजूद थे। इस अर्से में हमारे हिन्दुस्तानी अफ़सर ज्यादा से ज्यादा ब्रिगेडियर तक पहुंचे थे। पार्टिशन हो गई। हमारे अफ़सर जो ब्रिगेडियर थे, डेढ़ बरस के अर्से में मेजर-जनरल बन गये, लेकिन इस हाउस को यह याद रखना चाहिये कि महज़ बेजेज़ या रैंक तबदील करने से कोई फर्क नहीं हो जाता। ऐसा करने से जो एक्सपर्ट नालेज और काबिलियत उनको होनी चाहिये वह नहीं हो सकती, और हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट का मशकूर होना चाहिये कि उन्होंने हमको अपने अफ़सरान की खिदमात दे दीं ताकि हम अपने अफ़सरान को उनके ज़रिये से ट्रेन्ड कर सकें और हमारी फ़ौज दूसरे मुल्कों के मुकाबिले की हो जाय। सन् ५० में हमारे पास २५० अंग्रेज अफ़सर थे और इस वक्त करीब १०० हैं, और इनका होना बहुत लाज़िमी है। इनके वग़ैर हमारा काम चल नहीं सकता। और वह महज़ एडवाइज़री कैपैसिटी में हैं, फैसला करना हमारे हाथ में है, कार्रवाई करना हमारे ज़िम्मा है।

एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूं। हमारे दोस्त ने आर्डनैन्स फैक्टरी के बारे में कहा। जिस वक्त हिन्दुस्तान तक़सीम हुआ तो सौ के क़रीब अफ़सर हमारे पास थे। वह इस काम के जानकार थे। अगर एक आदमी अंग्रेज है तो यह लाज़िमी नहीं है कि जिस मुल्क की वह खिदमत करे, उसके ख़िलाफ़ चलेगा। इस वक्त हमारे पास कुल ३१ अंग्रेज अफ़सर हैं, जो हमारी आर्डनैन्स फैक्टरी में काम करते हैं, इन में से दस कंट्रेक्ट बेसिस पर हैं, जोकि अगले दो चार साल में चले जायेंगे। यह जो ३१ अफ़सर हैं, यह आज़मूदा आदमी हैं। इन की निगहदाश्त की जाती है और इन पर भरोसा किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त इस बात को महसूस करेंगे कि जब तक एक्सपर्ट नालेज हमारे पास नहीं होगी और हम इन एक्सपर्ट्स को बाहर निकाल देंगे तो हम तरक्क़ी के दरवाज़ों को बन्द कर देंगे।

एक बात अपोज़िशन की तरफ़ से यह कही गई कि हमारे अफ़सरान इंगलैंड के डिफेंस कालेज में क्यों जाते हैं। जैसाकि मैं अर्ज कर चुका हूं यह लाज़िमी चीज़ है कि हम अपने यहां के अफ़सरान को ट्रेनिंग के लिये ऐसी जगह भेजें कि जहां के लोगों की फ़ौजी मालूमात हम से ज्यादा हों। और यह ज़रूरी होगा कि हमारी फ़ारेन पालिसी और उनकी फ़ारेन पालिसी मुख़तलिफ़ हों, लेकिन हमारे अफ़सर वहां फ़ौजी ट्रेनिंग लेने जाते हैं, फ़ारेन पालिसी की ट्रेनिंग लेने नहीं जाते। हर एक फ़ौजी का पहला फ़र्ज़ यह है कि वह अपनी गवर्नमेन्ट की फ़ारेन पालिसी पर चले न कि जिस मुल्क में वह ट्रेनिंग हासिल करता है वहां की फ़ारेन पालिसी पर चले। हमारे

[ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक]

फ़ौजी अफ़सरान ज्यादा से ज्यादा साल में दस बीस या पचास बाहर जाते होंगे, वह माडर्न टैक्निकल नालेज हासिल करने जाते हैं, और अगर हम अपने दोस्त की राय पर अमल करें तो इन अफ़सरान को बजाय इंगलैंड के रूस में ट्रेनिंग के लिये जाना पड़ेगा। हमारी नालेज अभी इतनी काफी नहीं है और न हमारी फ़ारेन पालिसी के मुताबिक कोई ऐसा मुल्क है कि जिस के पास हम ट्रेनिंग के लिए भेज सकें। इसलिए हाउस को यह महसूस करना चाहिए कि जो रुपया इन लोगों को बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजने पर खर्च करते हैं वह लाज़िमी है और वह ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है।

डा० जयसूर्य (मेदक) : रक्षा सम्बन्धी समस्याओं की खुले आम चर्चा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अच्छा होता कि इस कार्य के लिए सदन की एक गुप्त बैठक होती।

सर्व प्रथम में एक विवाद रहित चीज़ की चर्चा करूंगा---अर्थात् असैनिक रक्षा के लिये इस सदन में दिये गये हमारे वचन। श्री पटनायक ने इस पर बहुत ज़ोर दिया है। इस सम्बन्ध में मैं यह बता दूं कि अमरीका एकमात्र ऐसा देश है, जो असैनिक रक्षा आन्दोलन को उन्माद की सीमा तक बढ़ाता जा रहा है। इस कार्य के लिये उस देश में एक संघीय असैनिक रक्षा प्रशासन बनाया गया है, और वहां के नागरिकों को हर तरह से इस चीज़ के लिये तैयार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। स्कूली बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी को विस्तृत अनुदेश दिये जा रहे हैं। युद्ध होने पर अणु बम अथवा अन्य प्रकार के बमों से मरने वाले हज़ारों लाखों व्यक्तियों की अन्त्येष्टि क्रिया और उनकी कब्रों की बड़ी व्यापक व्यवस्था की जा रही है। इन सब चीज़ों के कारण लोगों के दिलों में एक अजीब सा भय समाता जा रहा है और सारे देश में युद्ध का वातावरण बनता जा रहा है। इस सबका मुख्य कारण है शीतयुद्ध। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि सैनिक कार्यों के लिये होने वाले व्ययों के कारण अमरीकी व्यापार उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा। अस्त्र-शस्त्र निर्माण वहां का एक नया उद्योग है और अमरीका की आर्थिक व्यवस्था में यह एक मुख्य व्यापार है।

तो इस प्रकार से अमरीका में एक उन्माद सा उत्पन्न किया जा रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने और जानने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पास कोई बचाव नहीं है। वस्तुतः यदि आप देखें तो किसी भी नगर में हवाई जहाज़ों द्वारा की जाने वाली बमबारी से बचाव का कोई पर्याप्त उपाय नहीं है---विशेषकर आजकल जब कि बहुत तेज़ रफ्तार और ऊंची उड़ान वाले विमान बन गये हैं। अनुमान लगाया गया है कि एक अकेला अणु-बम सत्तर लाख आबादी वाले नगर को बिल्कुल नष्ट कर सकता है। तो फिर आग बुझाने वाले दलों और ऐसी ही अन्य चीज़ों का क्या लाभ है? मेरे विचार से ऐसी सारी चीज़ें बिल्कुल ग़लत हैं। आवश्यकता केवल मानसिक तैयारी की है।

अब मैं स्वयं अपने देश की रक्षा सम्बन्धी समस्याओं की चर्चा करूंगा। हमारे देश की सेना का संगठन रूढ़िवादी प्रणाली का है---जो कि अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के हितार्थ बनाया था। भारत की रक्षा के सम्बन्ध में आज हमारे जो विचार हैं, उससे उनके विचार बिल्कुल भिन्न थे। उन्होंने युद्ध अथवा आपात काल में बाहरी सहायता प्राप्त करने का प्रबन्ध किया था। आज स्थिति भिन्न है। आज हमारी सेना को स्वतंत्र रूप से

भारत की रक्षा करनी है। आज हमें अपने ही साधनों और शक्ति पर निर्भर होना है—किसी बाहरी शक्ति या सहायता का मुंह नहीं ताकना है। अतः हमें अपने सैन्य संगठन में उचित सुधार करने के प्रश्न पर ध्यान देना है और यह देखना है कि ऐसा करना कहां तक संभव है। हमें इतिहास में यह देखना है कि क्या किसी अन्य निर्धन देश की सेना प्रभावशाली रही है। इसका अच्छा उदाहरण रूस और चीन की साम्यवादी सेनायें हैं। चीन में किसानों ने जनता की सेना तैयार करके च्यांग काई शेक की सुसंगठित एवं अमरीकी सहायता प्राप्त सेना को परास्त किया है। अतः सारी चीज़ इस बात पर निर्भर है कि हम अपने आप को किस श्रेणी में रखना चाहते हैं—कौन सा मार्ग अपनाना चाहते हैं। हमारे पास धन तो कम है, परन्तु सीमा पंक्तियां बहुत अधिक हैं। इस चीज़ को ध्यान में रख कर हमें अपनी सेना को एक विशिष्ट उद्देश्य से पुनर्संगठित करना होगा क्योंकि हमारे सामने चलिष्णुता की समस्या है। इस समस्या का यह अर्थ है कि हमें मोटर-गाड़ियां आदि जैसी चीज़ें रखनी होंगी और उनके लिये पेट्रोल की व्यवस्था करनी होगी। इससे फिर हमारी पराधीनता का पता चलता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक हम लोग ब्रिटिश हथियारों के नमूने पर अपने हथियार बनाने के चक्कर में पड़े रहे हैं, और इसीलिये हम इंगलैंड से हथियार आदि ख़रीदते रहे हैं। यह उचित नहीं है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे मशीनी औज़ार के कारख़ानों ने जो प्रगति की है, मैं उसकी गति से संतुष्ट नहीं हूं। आपने अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिये स्विट्ज़रलैण्ड के साथ जो समझौता किया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। इस दिशा में प्रगति की गति अति मन्द है फिर भी हम उस क़रार को बनाये रखे हुये हैं। यह उचित प्रतीत नहीं होता है। अन्य देशों से इस सम्बन्ध में क़रार किये जा सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि हमारे युद्ध सामग्री बनाने वाले कारख़ानों में असंतोष फैला हुआ है। मैं समझता हूं कि अनुभवी और योग्य व्यक्तियों को पदोन्नति न देकर आप जो सीधी भर्ती कर रहे हैं, वह एक भारी भूल है। एक चीज़ यह भी है कि आप बहुत जल्दी जल्दी लोगों को पदोन्नति देते हैं। यह अच्छा नहीं है। इसके फल स्वरूप अधिकारियों को पर्याप्त अनुभव प्राप्त नहीं हो पाता है। इस कार्य में हमें मन्द गति से चलना चाहिये। तीसरी बात यह है कि हमें छोटे छोटे हथियारों और जनशक्ति का उचित उपयोग करना चीनी लोगों से सीखना चाहिये। यदि हमारी जनशक्ति का उचित रूप से संचालन किया जाये और लड़ाई के छापामार तरीक़े को भली प्रकार अपनाया जाये, तो फिर हमें बहुत चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे रक्षा संगठन ने सार्वजनिक धन का बहुत दुरुपयोग किया है। यह बात विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों और लोक लेखा समिति की टीका टिप्पणियों से प्रकट होती है। यह आरोप लगाते समय मैं रक्षा पर होने वाले व्यय को किसी भी प्रकार कम करने का सुझाव कदापि नहीं दे रहा हूं। ऐसे संकट के समय ऐसा सुझाव देना बड़ी भारी बेवक़ूफ़ी होगी। वास्तव में मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस दिशा में किये जाने वाले व्यय के अनुपात में उसके फलस्वरूप होने वाला ठोस काम बहुत अपर्याप्त होता है। व्यय बेदर्दी से और बिना सोच विचार के किया जाता है। ध

[श्री एस० एस० मोरे]

का उचित उपयोग नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में बहुत लापरवाही से काम लिया जाता है और धन की बरबादी होती है। कुछ ऐसी भी बातें सामने आई हैं, जिन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार भी फैला हुआ है। हमारे कुछ अधिकारियों की ठेकेदारों आदि से 'कमीशन' लेने की आदत अभी तक जारी है।

अपने तर्क की पुष्टि के लिये मैं रक्षा सेवाओं सम्बन्धी १९५३ के प्रतिवेदन में से कई उद्धरण दे सकता हूं। १९५२ में ईराक से खच्चरों के खरीदने के सम्बन्ध में जानवरों की डाक्टरी परीक्षा करने के लिये एक डाक्टर भेजा गया था और उन जानवरों को लाने के लिये कुछ जहाज़ भी। परन्तु वहां पहुंचने पर एक भी खच्चर उपलब्ध न हो सका क्योंकि इस सम्बन्ध में उचित रूप से पत्र व्यवहार नहीं किया गया था। फलस्वरूप २१,००० रुपये व्यर्थ ही व्यय हुये। यह जनता के धन के प्रति एक दण्डनीय लापरवाही है। इसी प्रकार एक विदेशी फर्म से कुछ युद्ध सामग्री सम्बन्धी स्टोरों के खरीदने में दलाली आदि दे कर अनावश्यक रूप से अधिक व्यय किया गया। ये वस्तु निर्माताओं से सीधे ही खरीदी जा सकती थी। इन के लिये किसी दलाल की आवश्यकता नहीं थी। फलस्वरूप हमें काफ़ी हानि उठानी पड़ी। इसी प्रकार जलाने की लकड़ी खरीदने के सम्बन्ध में लगभग दो लाख रुपया अनावश्यक रूप से व्यर्थ गया क्योंकि उसके लिये उचित समय पर आदेश नहीं दिया गया था। इस प्रकार के और भी कई उदाहरण दिये जा सकते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग इस मंत्रालय से पत्र व्यवहार करते हैं, तो हमारे पत्रों के उचित उत्तर नहीं दिये जाते हैं। किरकी युद्ध सामग्री डिपो के कुछ कमचारियों के सम्बन्ध में मैं ने मन्त्रालय से पूछताछ की थी, परन्तु उसने कोई भी सतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उन बेचारे कर्मचारियों का मामला लगभग दो वर्षों से लटका हुआ है। सेना के एक सेवा निवृत्त डाक्टर, श्री पी० जे० जाधव, के सेवा निवृत्ति वेतन का मामला वर्षों बाद भी अभी तक तय नहीं किया गया है।

कल प्रधान मंत्री ने यह बताया था कि हम लोग भारत में ब्रिटिश नमूने को अपना रहे हैं—वही नमूना जिसकी हम निन्दा करते रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्यों करें। विदेशियों पर विश्वास करना बहुत घातक सिद्ध होगा। अतः मेरे विचार से ऐसा करना बहुत अनुचित है। हम अपने देश में विदेशी विशेषज्ञों को भरते चले जा रहे हैं। हम अधिकांश चीज़ें अमरीका और ब्रिटेन से खरीदते हैं। इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है।

जब हम लोगों को सेना सम्बन्धी ये वस्तुयें दिखाई गईं तो मैंने पूछा कि ये विस्फोटक पदार्थ आदि किसने बनाये हैं? उत्तर मिला "प्रविधिक निदेशालय" ने। मुझे यह नहीं मालूम हो सका कि इसका संचालक कोई विदेशी व्यक्ति है अथवा भारतीय। यदि संचालक कोई विदेशी है, तो वह इस सम्बन्ध में सारी प्रविधिक गुप्त बातें भारतीयों को नहीं बतायेगा।

खेद है कि इस देश में नेहरू जी की उदारता के कारण बहुत अमरीकी लोग आते जा रहे हैं।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) हमारा प्रविधिक संचालक एक भारती है।

श्री एस० एस० मोरे : सैनिक अधिकारी ने बताया था कि उस प्रबंधिक निदेशालय में कुछ विदेशी विशेषज्ञ हैं । चाहे वे वरिष्ट अधिकारी हों अथवा कनिष्ठ, इस से ऐसा कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है । एक ब्रिटिश कनिष्ठ अधिकारी पुराने भारतीय अधिकारी पर शासन कर सकता है । चूंकि देश का हित सर्वोच्च है अतः अमरीका वालों का विश्वास करने के लिये भी मैं तैयार नहीं हूं । ये अमरीकी विशेषज्ञ ही अपनी ज्ञान गरिमा लेकर यहां क्यों आयें ? प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम कुछ समय तक ब्रिटिश नमूने को अपना लें, किन्तु क्यों ? क्यों न हम अपनी भारतीय सैनिक भावना में सुधार करें यह हमारी भारत सरकार का, हमारी राष्ट्रीय सरकार का कर्तव्य है कि सैनिक भावना को पुनर्जीवित करें ।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : गत वर्ष रक्षा आयव्ययक की चर्चा के समय मैं ने कहा था कि यह सदन मुझे ब्रिटेन के उस 'हाउस ऑफ कामन्स' के समान प्रतीत होता है जो भारत के बारे में चर्चा कर रहा हो । इस सदन को चाहिये कि वह भारतीय संरक्षा कटक के पदाधिकारी, मेजर जनरल थिम्मैया, मेजर जनरल थोरट एवं अन्य पदाधिकारियों को, जिन्होंने कि बहुत ही आश्चर्यजनक एवं सराहनीय कार्य किया है, उन के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव भेजे । उन का कार्य स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है । उन का यह कार्य कभी नहीं भुलाया जा सकता है ।

मैं रक्षा सेनाओं में बरती जाने वाली अत्यधिक गोपनीयता के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं । इस अत्यधिक गोपनीयता के नाम पर बहुत सी भयंकर भूलें हुई हैं । अत्यधिक गोपनीयता के नाम पर कोई प्रतिबन्ध अथवा रुकावट नहीं थी । कई वर्षों तक तो सेनाओं के पदाधिकारियों एवं सैनिकों की संख्या के बारे में सदन को पता तक नहीं चला । अमरीका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस आदि में ऐसा कुछ नहीं है । वहां की सेनाओं के सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्य हैं । यहां तक कि यदि जापान में भर्ती की जाती है तो इस बारे में कि जल थल एवं वायु सेना में इतने इतने व्यक्तियों की भर्ती होगी इतना तक प्रकट कर दिया जाता है । मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जो बात जापान के लिए अच्छी हो सकती है वह भारतवर्ष के लिए अच्छी क्यों नहीं हो सकती है ? जब ये देश अपनी जल, थल एवं वायु सेना के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में आंकड़े दे सकते हैं कि उन के यहां इतने इतने पदाधिकारी हैं तो फिर भारतवर्ष को किस बात का डर है ?

हमें भी अपनी सेना के सम्बन्ध में आंकड़े देने चाहियें ताकि अपने यहां के पदाधिकारियों एवं सैनिकों की संख्या के सम्बन्ध में पता चल सके । और हम यह भी जान सकें कि हमारे ये कर्मचारी ठीक कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं ? संख्या ज्ञात होने पर ही वे इस सदन के अधीन हो सकते हैं । प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन से प्रकट है कि अत्यधिक गोपनीयता के नाम पर ये कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं । यह बड़े कलंक की बात है कि हज़ारों पदाधिकारियों के निवृत्ति-वेतन तथा विधवाओं के मामले अभी तक इस मंत्रालय ने तै नहीं किये हैं । मंत्रालय को चाहिये कि भूतपूर्व आई० एन० ए० के सैनिकों को भी वह काम दे ।

अत्यधिक गोपनीयता के कारण पिछले पांच वर्षों से हम कुछ नहीं जान पाये हैं; जब तक हमें इस के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक भला हम यह निर्णय कैसे कर सकते हैं कि इन्होंने देश के हित में तथा राष्ट्रीय रक्षा के हित में कार्य किया है ।

[श्री जोकीम आल्वा]

दूसरी बात गुप्तचर बल की है । मैं यह नहीं जानता कि हमारा गुप्तचर बल किस प्रकार का है ? किन्तु इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, यहां तक कि द्वितीय श्रेणी की शक्तियों के गुप्तचर बल हमारे यहां के गुप्तचर बल की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं ।

हमारे देश में आने के लिए सब को स्वतन्त्रता है यहां तक कि विदेशी स्त्रियां यहां आती हैं और हमारे यहां की गुप्त बातों को जानने का प्रयत्न करती हैं । अपने जल, थल, तथा वायु सेना सम्बन्धी प्राक्कलन में गुप्तचर बल की तथा सुरक्षा पदाधिकारियों की संख्या जानने का प्रयत्न किया किन्तु उन की संख्या वहां नहीं दी गई है । ब्रिटेन ने अपनी जल सेना की संख्या, सुरक्षा, तथा गुप्तचर बल की पूरी पूरी संख्या दी है एवं उन पर किये जाने वाले व्यय सम्बन्धी आंकड़े भी दिये हैं । मैं चाहता हूं कि हमारा मंत्रालय गुप्तचर बल की ओर यथेष्ट ध्यान दे ।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब अंग्रेज़ यहां थे तो भारतवर्ष में एक उच्चकोटि का गुप्तचर विभाग था जिस में किसी भी भारतीय को नहीं लिया जाता था । उस गुप्तचर विभाग का क्या हुआ, संभवतः आजकल वह काहिरा अथवा मध्यपूर्व में ब्रिटिश उच्चायुक्त के साथ है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी थल सेना के मुख्यालय, जल सेना के मुख्यालय, अथवा वायुसेना के मुख्यालय में गुप्त सुरक्षा पदाधिकारियों का कोई दल उस उच्च कोटि के दल की अपेक्षा उस की आधी योग्यता वाला भी है अथवा नहीं ? ऐसे गुप्त सुरक्षा कर्मचारियों को रखने से क्या लाभ जो अबोध व्यक्तियों की तो तलाशी लेते हैं और हमारे देश के सच्चे शत्रुओं को वैसे ही जाने देते हैं । हमें ऐसे योग्य व्यक्तियों को रखना चाहिये जो तनिक में ही यह भांप जायें कि कौन शत्रु है और कौन नहीं ? यदि हम ऐसे व्यक्तियों को अपने गुप्तचर विभाग में भर्ती नहीं करेंगे तो हम सेनाओं को उन की भेद्यता के कारण स्वतः ही नष्ट हो जाने देंगे ।

अब वह समय आ गया है जब कि भारत सरकार रक्षा सेनाओं के लिए देशभक्त कन्याओं को प्रशिक्षित करे । ब्रिटेन ने अपनी देशभक्त महिलाओं का उचित उपयोग किया है । हमें भी अपनी महिलाओं की रुचि एवं शक्तियों का अपने गुप्तचर विभाग तथा सुरक्षा विभाग की सेवाओं के लिए उपयोग करना चाहिए ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि हम जो बातचीत टेलीफोन पर करते हैं क्या उसे सुनने का प्रयत्न किया जाता है अथवा क्या विदेशी अभिकरणों के पास हमारे से अच्छे टेलीफोन के सामान हैं जिन के द्वारा वे हमारी बातचीत सुन लेते हैं । क्या रक्षा मंत्रालय तथा संचार मन्त्रालय यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे यहां भी अच्छे प्रकार के विद्युत सम्बन्धी साधन हों जिन के द्वारा हम अपने देश से सन्देश भेज सकें अथवा भारत सरकार के मुख्यालय तथा सुरक्षा विभाग के कर्मचारी काफ़ी अच्छे हों ।

मेरे पास दो समाचार पत्र हैं । एक के प्रथम पृष्ठ पर ही एक समाचार है कि 'इंजिन की खराबी के कारण सान्ताक्रुज़ पर पाक वायुयान उतरा ।' मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि वह पाकिस्तानी विमान बम्बई हवाई अड्डे पर उतरा ही कैसे । हम किसी भी उस विदेशी वायुयान को अपने देश में उतरने की आज्ञा नहीं देंगे जिसमें कि भोले भाले दीखने वाले यात्री हों और जिन के पास देखने में असंदिग्ध सा सामान हो और जो हमारे प्रतिरक्षा सम्बन्धी संस्थानों एवं

अन्य बातों के बारे में जानना चाहते हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों को हम नहीं पकड़ेंगे तो इसका फल देश को भुगतना होगा।

मैं इन बातों को सदन में इसलिये रख रहा हूं ताकि हमारी जनता सावधान हो जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह परमाणु शक्ति आयोग बम्बई के निकट ही क्यों बनाया गया है? वहां वैसे ही बहुत से कारखाने हैं। बम्बई में कभी भी बमबारी हो सकती है। करांची अथवा कहीं से भी यहां तक आने में चार घंटे लगेंगे।

क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड के लिए फ्रांस से सामान लेना उचित होगा और वह भी तब जब कि फ्रांसीसी बस्तियां यहां मौजूद हैं? सात साल में फ्रांस ने इस हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी को बना कर पूरा किया है। उस देश को जिस की बस्तियां हमारे यहां हैं, चाहे वह फ्रांस हो अथवा कोई अन्य देश हो, हमें इस प्रकार अपना रुपया नहीं देना चाहिए।

हमारे रक्षा मंत्रालय को ऐसा विधान बनाना चाहिये कि जब तक कि कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है वह बिदेशी राष्ट्रों में सेवा नहीं कर सकेगा।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि कोई हवाई आक्रमण हमारे देश पर होता है तो क्या हमारी वायु सेना देश की रक्षा कर सकती है? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ग्लाइडिंग को क्या प्रोत्साहन देना चाहती है? मैं चाहता हूं कि हमारी वायुसेना में जो कमी है उस के बारे में सरकार गम्भीरता से विचार करे। सैनिक तथा असैनिक वायु सेना में बहुत संकुचित सा अन्तर है। जिस प्रकार के वायुयान हमें वायु सम्वायों से मिलें यदि उन को काम में लाने के लिए हम अपने व्यक्तियों को तैयार नहीं करेंगे तो अपनी जनता की खतरे से रक्षा करने में हम वास्तव में समर्थ नहीं हो सकेंगे। अतः मेरा निवेदन है कि हमारे मंत्री बड़ी गम्भीरता के साथ इन सभी बातों पर सोचें। जब हमारी कमज़ोरी इतनी आसानी से दिखाई पड़ रही है तो उस के बारे में अधिक अनुमान लगाना उचित नहीं है। हमारा वायुबल हमारे रक्षा संगठन की सब से कमज़ोर कड़ी है। हमें स्थिति का वास्तविक अनुमान करना चाहिये और उस के बारे में गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये।

श्री टेकचन्द (अम्बाला-शिमला) : आज हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है कि हमारी सेनायें अधिक शक्तिशाली होनी चाहियें ताकि कोई भी आक्रमण चाहे वह पड़ौसी की ओर से हो अथवा किसी दूर के राष्ट्र द्वारा किया जाये, उस का मुकाबला बड़े साहस के साथ किया जा सके और हमें सफलता मिल सके। हमारे निकटतम पड़ौसी पाकिस्तान पुर्तगाल अथवा फ्रांस अपने दांत पीस रहे हैं और उन्होंने एक निश्चित ढंग अपना लिया है, अतः मेरा निवेदन है कि उन के इस रवैये से हमें अपनी सैनिक शक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा लेना चाहिये। मेरा निवेदन है कि जहां सरकार काफ़ी धन इकट्ठा कर रही है—काफ़ी तो क्या हां हमारी आवश्यकता के अनुसार ही —वहां सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह नागरिकों को प्रशिक्षित करे, प्रशिक्षित नागरिक ही वास्तव में दूसरी रक्षा पंक्ति है जिसे समय पर उपयोग में लाया जा सकता है।

मैं आशा करता हूं कि हमारे मंत्री परिस्थिति की गम्भीरता से भली भांति परिचित हैं, साथ ही वह इंगलैण्ड के राष्ट्रीय सेवा अधिनियम १९४७ से भी परिचित हैं। उस में दो प्रमुख उपबन्ध हैं, एक तो यह कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को जिस की आयु १७ तथा २६ के बीच होगी एक साथ दो वर्ष की सैनिक सेवा के लिये बाध्य किया जायेगा, उस के

[श्री टेकचन्द]

पश्चात् थोड़े थोड़े समय के लिये ३॥ वर्ष तक उस से सैनिक सेवा और ली जा सकती है। दूसरा यह कि ऐसे लोगों की शिक्षा तथा रोज़गार की गारेण्टी की जायेगी। हमें भी अपने देश में इसी प्रकार का एक विधान बनाना चाहिये।

उत्तर अतलांतिक सन्धि संगठन के सदस्यों में से, प्रत्येक देश ने, इंगलैंण्ड के इस विधान के नमूने पर, अपने अपने देशों में विधान बनाये हैं। यही कारण है कि यदि आप बाहर जायें तो आप विदेशों में कोई ऐसा नागरिक नहीं पायेंगे जो शस्त्रों के प्रयोग से अनभिज्ञ हो। इसी प्रसंग में मुझे युद्ध सामग्री के कारखानों की भी याद आ गई। क्या यह कारखाने हमारे राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं? यदि नहीं तो क्या इन के द्वारा हमारे देश की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं? यदि नहीं तो क्या हमारे देश को शस्त्रादि के संभरण के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर बनाने के उपाय किये जा रहे हैं।

जहां तक छोटे छोटे हथियारों का सम्बन्ध है, साधारण शिकार खेलने की बन्दूकें और राइफ़िलें तक बहुत अधिक महंगी हैं। शस्त्रों के सम्बन्ध में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और ऐसे साधारण हथियारों का मूल्य बहुत कम तथा साधारण होना चाहिये।

अपनी नौ सेना को यदि मैं ने देखा न होता तो मैं वास्तव में बहुत भ्रम में रहता। कुछ आलोचकों ने कहा है कि हमारी नौ सेना के पास जो जहाज़ हैं वे बहुत पुराने हैं तथा आवश्यक शस्त्रों से सुसज्जित नहीं हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। निश्चय ही वे दस बारह वर्ष पुराने हैं, फिर भी उन को बिलकुल नया बना दिया गया है। हमारे देश के प्रत्येक भाग के लोग हमारी नौसेना में कार्य कर रहे हैं। वे उत्साह से परिपूर्ण संकटों से हंस हंस कर खेलने वाले तथा अपने रक्त की अन्तिम बूंद तक देश की सेवा करने वाले हैं। हमारी तीनों सेनाओं में नौ सेना सब से नयी है। इस दृष्टिकोण से उस का उसी प्रकार विशेष ध्यान भी रखा जाता है फिर भी देश के बहुत लम्बे तट को देखते हुए, हमें अपने जहाज़ों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। अच्छा होता कि हमारे पास एक से अधिक टैंकर होते क्योंकि टैंकर ही नौ सेना का प्राण होते हैं। क्रूज़रों की भी बहुत आवश्यकता है। जो कुछ नौ सेना के सम्बन्ध में मैं ने कहा है वह हमारे स्थल सेना तथा वायु सेना के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है।

आलोचना के रूप में यह भी कहा गया है कि हमारे अफ़सरों को उचित पारश्रमिक नहीं दिया जाता है तथा कर्मचारियों और अफ़सरों के वेतन में बहुत बड़ा अन्तर है। मैंने असैनिक तथा सैनिक दोनों अफ़सरों के वेतनों की तुलनात्मक सारणियों का अध्ययन किया है इसलिये मैं कह सकता हूं कि यह कथन सर्वथा असत्य हैं और हमारी सेवाओं के अफ़सरों तथा कर्मचारियों को उचित वेतन मिलता है।

श्री रणदमन सिंह (शाहडोल-सिद्धि—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां): आज जो एक साल बाद आपने मुझे बोलने का मौक़ा दिया है इस के लिए मैं आप को धन्यवाद दता हूं।

डिफ़ेंस मिनिस्ट्री का जो नया बजट है उस का मैं स्वागत करता हूं किन्तु साथ ही यह भी अर्ज़ करूंगा कि यह बजट क़ुल आय का क़रीब आधा है जो अन्य बजटों पर विशेष घाटे का सवाल पैदा करता है। क़ुल आमदनी में से २,२३,४७,००,००० रक्षा विभाग में रखे गये हैं बाकी बचे रुपयों में से शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजसुधार, कृषि, उद्योग व्यापार

इत्यादि विभागों का प्रबन्ध करना है । हमारे यहां की आबादी ३६,००,००,००० है । यदि यह रकम प्रत्येक मनुष्य के हिस्से में बराबर बराबर बांटी जाय तो हर एक मनुष्य की उन्नति पर राष्ट्र केवल ६ रुपये सालाना के क़रीब खर्च करता है । अब आप यह भलीभांति सोच सकते हैं कि ६ रुपये के व्यय से प्रत्येक भारतीय की उन्नति का कितना प्रबन्ध किया जा सकता है । फिर भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय का बजट है । उस में खास खामियां डाल कर बजट को कम करना उचित नहीं है । हां, यदि मंत्री महोदय कुछ गहराई तक जाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि बजट में कुछ कमी आ सकती है ।

डिफेंस के बजट में यकायक कमी डालकर उस की शक्ति को कमज़ोर करना भारत के गौरव को शक्तिहीन करना है । जिस की ज़िम्मेदारी सारे देश भर में अमन कायम रखना तथा बाहरी हमलों से देश की रक्षा करना और दुश्मन का मुकाबला करना ऐसे महान कार्य हैं, उस के लिए हम सबों का फ़र्ज़ है कि डिफेंस के वास्ते उचित खर्चे का प्रबन्ध करें, चाहे लड़ाई की कोई सम्भावना हो या न हो, पता नहीं कि देश में किस वक्त क्या आपत्ति आ पड़े । हमें किसी देश से लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने देश की रक्षा के लिए अपने को मज़बूत बनाना है क्योंकि फौज ही एक देश का खास अंग है जो देश की मानव सत्ता को बचाने तथा ऊंचा उठाये रखने में समर्थ होती है । मिसाल के तौर पर कोरिया में हमारी फौज के जाने के कारण उन के व्यवहार से भारत का महत्व सारी दुनिया में छा गया । गोकि हमारी नीति अहिंसात्मक है किन्तु फिर भी ताक़तवर से ही अहिंसा का प्रभाव अन्य देशों में पड़ सकता है । यही बात महात्मा गांधी जी ने भी अपने विचारों में प्रकट की थी । राम राज्य के समय में भी सेना का संगठन अच्छा था, यद्यपि स्वयं रामचन्द्र जी लड़ने के इच्छुक नहीं थे ।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अर्ज़ करूंगा कि बजट की एक बड़ी रक़म को लापरवाही से खर्च न किया जाय, अधिकारी अफ़सरों की खास तवज्जह होनी चाहिये कि रक़म खास कार्यों में जैसे सिपाहियों की ट्रेनिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य व खाना खुराक वग़ैरह में विशेष रूप से खर्च की जाय और इस पर विशष ध्यान दिया जाय और कोशिश की जाय कि सिपाहियों की तनख्वाह वर्तमान तनख्वाह से कुछ और बढ़ाई जाय ताकि उन के मोराल व उत्साह को बढ़ाने में अधिक बल मिले । बल्कि ऊंचे दर्जे के अफसरों की तनख्वाह कुछ कम कर दी जाय ।

कुछ हद तक फौज का व्यय अनिवार्य सैनिक शिक्षा द्वारा कम किया जा सकता है । मैं यह अर्ज़ करूंगा कि स्कूलों में फ़ौजी ट्रेनिंग देने की एक समिति बनायी जाय जिस में नौजवान बालक और बालिकायें भी सैनिक शिक्षा प्राप्त कर सकें जिस से देश भविष्य में स्वावलम्बी बन सके । ट्रेनिंग शुदा औरतों को भी फ़ौज में भर्ती किया जाय, जैसे एम. टी. सिगनल, एअर फोर्स, वायरलेस वग़ैरह में । हमारे देश की औरतों की भी बहादुरी कम नहीं है । झांसी की रानी और चित्तौड़ की महिलाओं की वीरता किसी से भी छिपी नहीं है । मैं तो कहूंगा कि २१ से २५ वर्ष तक के हर एक नागरिक को अनिवार्य शिक्षा दी जाय ताकि रिजर्व सेना काफ़ी तैयार हो जाय । इस के अलावा संसद् के भी मेम्बरों को भी फ़ौजी ट्रेनिंग की साधारण शिक्षा दी जाय और उनकी एक टुकड़ी बनायी जाय, जिसमें मंत्री महोदय खुद शामिल हों और उसके कमांडर बनकर ट्रेनिंग में भाग लें और भविष्य में देश पर वक्त पड़ने पर आप सब से आगे रहें और अपना त्याग दिखलावें, जिस में आप का त्याग

[श्री रणदमन सिंह]

सफल हो, क्योंकि आप का नाम श्री महावीर त्यागी है इसलिए यथा नाम तथा गुण होना स्वाभाविक हो। जैसा कि हनुमान जी का नाम महावीर था, उन में त्यागी नाम का शब्द न होने पर भी उन्होंने त्याग का रिकार्ड तोड़ कर रक्षा का महान् कार्य किया। इसीलिये वे आज भी पूज्य हैं। फिर आप के नाम के आगे तो त्याग शब्द की घंटी लगी हुई है। फिर ऐसे नाम को हमेशा उज्वल रखें ताकि भविष्य में आप भी नारियल और सिन्नी के अधिकारी बन जायं।

आर्म्स एम्युनिशन व कई तरह के जंगी हथियारों के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह सब से नाज़ुक विषय है जो उन देशों के आश्रित रहना पड़ता ह। इतने बड़े महत्वशाली देश के लिए यह कितनी बड़ी मानहानि की बात है। हो सकता है कि कभी कोई कारणवश वे देश भी अस्त्र न दे सकें तब तो हम न इधर के रहे न उधर के। एक देहाती मसल है कि गा बंजारी बारह बाट। इसलिये मैं मंत्री महोदय का इस ओर खास ध्यान दिलाता हूं कि आप बाहरी विशेषज्ञों से सहायता ले कर अपने देश के अन्दर ही हर तरह की फैक्टरियां खोलें और मुख्तलिफ़ आवश्यक सामान तैयार करायें। गो कि कल हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि अभी कुछ ऐसी कठिनाई है कि जिससे मजबूर हो कर हमें अन्य देशों के आश्रित होना पड़ता है और इसी वजह से अपनी आज़ादी पर कुछ न कुछ धक्का लगता है। मैं चाहता हूं कि यहां ऐसा सामान तैयार किया जाय जो दूसरे देशों के समकक्ष हो और कभी जरूरत पड़ने पर हमें पीछे न रहना पड़े। साथ ही इससे अपना देश स्वावलम्बी बन सकेगा और अपने आदमियों के लिए उद्योग धन्धों का क्षेत्र भी बढ़ जायेगा जिस से देश की उन्नति व प्रगति में वृद्धि होगी। जापान न एक छोटा सा देश होते हुए भी गत महायुद्ध के समय २५ वर्ष के अन्दर अपने को उन्नतिशील साबित कर दिया था। वह उस वक्त एशिया में एक भारी ताकतवर देश माना जाता था। फिर अपने देश में तो सभी साधन वर्तमान हैं, सिर्फ़ सदुपयोग की ज़रूरत है।

पड़ोसी मुल्क देश की सरहदों पर बार बार छापे मारते या हमला करते हैं। उनके बाबत भी आप को सतर्क होना चाहिये और उन के साथ उचित व्यवहार करना चाहिये। दबी बिल्ली कब तक चूहों से कान कटायेगी। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी से विरोध खड़ा करें किन्तु अपने महत्व को क़ायम रखने के लिए इतना दब्बू भी न बनें। याने इतने मीठे भी न हों कि कोई चाट जाय और इतने तीखे भी न हों कि सब थू थू करने लगें। इसलिये मेरा सुझाव है कि वैदेशिक नीति में बाहर से और अन्दर भारत में भी सुरक्षा के लिए आप को समर्थ होना चाहिये और इस माफिक प्रभावशाली हों कि सहसा आपके प्रति कोई देश सर न उठा सके।

मुझे एक बात और कहनी है, वह है आदिवासियों के बाबत। देश में कई प्रान्तों के नाम से तथा कई वर्गों के नाम से केन्द्र द्वारा फ़ौजें केन्द्रित हैं, जैसे राजपूत रायफल, जाट रैजीमैंट, गोरखा रैंजीमैंट, बाम्बे, पंजाब रैजीमैंट वग़ैरह वग़ैरह। किन्तु देश के किसी भी भाग में आदिवासियों के नाम से कोई फ़ौजी शाखायें नहीं हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इस का क्या कारण है। क्या इस जाति के लोग बहादुर नहीं होते या लड़ना नहीं जानते। मैं तो कहूंगा कि इस जाति की बहादुरी कहीं छिपी नहीं है। महाराजा शिवाजी के ज़माने में खास तौर से आदिवासी सेनाओं ने मुग़ल सेनाओं से लोहा लिया था और आज भी जंगली और पहाड़ी लड़ाइयों में ये लोग अधिक क़ुशल होते हैं। किन्तु शिक्षा का अभाव और इन की

आर्थिक कमज़ोरी व सरकार की भूल से यह जाति पतित हो गयी है। प्रजातांत्रिक शासन में भी इस जाति को ऊंचा उठने का मौक़ा प्राप्त न हुआ तो यह इसकी बदक़िस्मती है। मंत्री महोदय से मैं बअदब अर्ज़ करूंगा कि आदिवासियों के नाम से भी उन क्षेत्रों तथा प्रान्तों में जहां उन की आबादी अधिक हो एक एक फ़ौजी टुकड़ियां केन्द्रित की जायं ताकि अधिक संख्या में आदिवासियों को भी इस महत्वपूर्ण विभाग में भाग लेने का मौक़ा मिल सके। इस प्रकार फौज के कार्यों में उन के सम्मिलित होने से वह सामाजिक उन्नति में भी आगे बढ़ सकेंगे।

अब मैं विन्ध्य प्रदेश के बाबत कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। विन्ध्य प्रदेश की फ़ौज सन् १९५० में केन्द्र द्वारा शासित होने के पश्चात् ही डिस्बैंड कर दी गई, जिस से वहां के हजारों आदमी बेकार और बेरोज़गार हो गये। उन के अलावा फ़ौज से सम्बन्धित जनता में भी घोर बेकारी बढ़ गयी और अब तक उन का कोई इन्तज़ाम नहीं हो सका। हालत यहां तक है कि बहुत कुछ आदमियों को उन की पेंशन, इनाम व महंगाई वग़ैरह भी नहीं मिल पाई हैं, इस कारण वहां की परिस्थिति अत्यन्त शोचनीय है। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री लक्ष्मण सिंह चरक ने काश्मीर के बारे में जिस प्रकार के दृष्टिकोण से कहा है, वही विन्ध्य प्रदेश की हालत है। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह अर्ज़ कर सकता हूं और आशा कर सकता हूं कि वहां की हालत सुधारने के बारे में आप थोड़ा ध्यान दे कर उन की उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने की कृपा करेंगे।

मैं अब अपने वक्तव्य को ख़त्म करने के साथ यह अर्ज़ करूंगा कि जहां पर रियासती फ़ौजें तोड़ दी गयी हैं और वहां की समस्यायें इस तरह से उलझी हुई हैं, उन के लिये मन्त्री महोदय ख़ास तौर से ध्यान दें और जो मैंने सुझाव दिये हैं, उन सुझावों पर ख़ास ग़ौर के साथ विचार करें। इन सुझावों पर ध्यान देते हुए वह देश और जनता के कल्याण के लिये ऐसे काम करें कि जिन से हमारा देश हमेशा के लिये कल्याणकारी बन सके, क्योंकि डिफेंस में केवल फ़ौज से ही डिफ़ेंस नहीं है, डिफ़ेंस में सभी चीज़ों का डिफ़ेंस आ जाता है, जैसे सिविल डिफेंस है, सैकिंड लाइन और थर्ड लाइन वग़ैरह है। जब हमारे देश में इन सभी चीज़ों की पूर्ति होगी और हमारा देश स्वावलम्बी हो जायगा और किसी दूसरे देश के सहारे नहीं रहेगा, तभी हमारा डिफेंस पूरा पक्का बन सकेगा और तभी हमारे देश का आम दबाव दूसरे देशों पर पड़ सकेगा। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह अर्ज़ करूंगा कि हर तरह की फैक्टरियां और सामान बनाने के कारखाने खोलें और देश की उन्नति करें। इस उन्नति में वह सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक हर एक उन्नति पर ध्यान दें ताकि हमारा देश कल्याणकारी बन सके और हम स्वावलम्बी बन सकें।

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : कल प्रधान मंत्री ने हमारी नीति की मुख्य रूप रेखायें तथा देश की रक्षा से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं के प्रति हमारा बुनियादी दृष्टिकोण क्या है यह सारी बातें बताई थीं। मैं संक्षेप में केवल रक्षा सम्बन्धी उद्योगों तथा विदेशों से स्टोर प्राप्त करने के सम्बन्ध में ही कहूंगा क्योंकि समय का अभाव है तथा इन्हीं दो बातों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने आपत्तियां उठाई हैं।

जहां तक बुनियादी दृष्टिकोण का सम्बन्ध है सरकार तथा माननीय सदस्यों में कोई मतभेद दिखाई नहीं देता है। हो सकता है विवरण के सम्बन्ध में कुछ मतभेद हो या किसी किसी पहलू पर अधिक जोर दिया गया

[श्री सतीशचन्द्र]

हो। फिर भी बुनियादी नीति के सम्बन्ध में ऐक्य है। माननीय सदस्यों ने बहुत से अमूल्य सुझाव दिये हैं और मैं आशा करता हूं कि सरकार उन से लाभ उठायेगी। यह बड़े ही संतोष की बात है कि किसी सदस्य ने भी उस नियतन के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा है जो आय व्ययक में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये किया गया है।

इस बात से सरकार पूर्णतः सहमत है कि नये नये रक्षा सम्बन्धी उद्योगों को स्थापित कर के हम को यह प्रयत्न करना चाहिये कि हम यथासंभव आत्मनिर्भर हो जायें। महायुद्ध के पहले केवल सात आठ युद्ध सामग्री बनाने वाले कारखाने थे युद्ध के समय कुछ और बनाये गये थे परन्तु सत्ता हस्तांतरण के समय वे पूरी शक्ति से कार्य नहीं कर रहे थे। इस वक्त बीस युद्ध सामग्री बनानें वाले कारखाने हैं जो पूरी शक्ति से कार्य कर रहे हैं।

विभाजन के पश्चात् कुछ और नये कारखाने स्थापित किये गये हैं जैसे मशीन टूल प्रोटोटाइप फ़ैक्टरी तथा भारत ऐलक्ट्रानिक्स इण्डस्ट्रीज। सरकार और भी कारखाने स्थापित करने का विचार कर रही है तथा नई वस्तुएं बनाने के लिये युद्ध सामग्री बनाने वाले कारखानों की वर्त्तमान क्षमता को भी बढ़ाने का विचार कर रही है।

जब हम ने यह कारखाने अपने हाथ में लिय थे तो हम केवल कुछ छोटे मोटे किस्म के सामान तैयार करते थे और उस के भी बड़े बड़े पुर्जे इंगलैण्ड से आते थे। जो छोटे छोटे पुर्जे यहां बनाये भी जाते थे उन के नक़शे तथा डिज़ाइनें तक विदेशों से आते थे। युद्ध सामग्री बनाने वाले कारखानों के विदेशी टेकनिशियन (प्रविधिविज्ञ) इन मशीनों को चलाते थे और तब छोटे पुर्जे तैयार होते थे। तब से अब बहुत सुधार हो चुका है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमारे युद्ध सामग्री बनाने वाले कारखानों में विदेशी विशेषज्ञ नहीं होने चाहियें। १९४७ में युद्ध सामग्री बनाने वाले कारखानों में ४५ ऊंचे दर्जे के भारतीय अफ़सर थे परन्तु अब लगभग २२७ भारतीय अफ़सर हैं जो युद्ध सामग्री बनाने वाले कारखानों के प्रधान स्थानों में काम कर रहे हैं। यूरोपियनों की संख्या केवल ४१ है। उन में से कुछ संविदा के आधार पर रखे गये हैं और जो आगामी कुछ वर्षों में हटाये जा सकते हैं। जब कभी किसी स्थान के लिये कोई उपयुक्त भारतीय उपलब्ध होता है तो विदेशी को हटाकर उसे रख लिया जाता है। युद्ध सामग्री बनाने वाले कारखानों का महासंचालक एक भारतीय है। कितने ही फैक्टरी अधीक्षक भारतीय हैं। अधिकांश वर्क्स मैनजर तथा असिस्टेण्ट मैनेजर भारतीय हैं। दो विदेशी विशेषज्ञ स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से स्थायी स्थानों पर हैं तथा जिन्होंने इस देश में रहने और हमारा साथ न छोड़ने की इच्छा प्रकट की है वह अपने रिटायर होने तक काम करते रहेंगे। उन के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है तथा उन्हें बीच में निकाल देन का कोई कारण नहीं है।

जहां तक युद्ध सामग्री बनाने का प्रश्न है हम अपनी रक्षा सेवाओं के लिये लाखों वस्तूएं तय्यार करते हैं।

श्रीमती सुषुमा सेन (भागलपुर दक्षिण): कम्बलों के विषय में क्या है ?

श्री सतीश चन्द्र: इस समय मैं युद्ध-सामग्री बनाने वाले कारखानों के सम्बन्ध में बोल रहा हूं। इन में कम्बल नहीं तैयार किये जाते हैं। मैं नहीं समझता कि सामान्यतया कम्बल आयात किये जाते हैं। इस के विषय में कुछ भ्रान्ति है। अमरीका में कम्बलों का एक पुराना आवश्यकता से अधिक स्टॉक था

जिस को हम ने कुछ वर्ष हुए दो या तीन रुपये प्रति कम्बल के हिसाब से अवश्य खरीदा था। कुछ निलामी हुई थी और हम ने अपनी तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये उन्हें खरीद लिया था अन्यथा हम साधारणतया विदशों से कम्बल नहीं मंगवाते हैं।

इस देश में लाखों चीजें विकसित और पैदा करनी हैं। उन सब को बनाने का काम एक ही समय में नहीं किया जा सकता है। किन्तु क्रय किये जाने वाले माल के सम्बन्ध में जांच करने वाली एक समिति है जो प्रत्येक वस्तु सूची के जाने से पहले यह जांच करती है कि क्या वस्तु विशेष किसी गैर सरकारी निर्माता या युद्ध सामग्री बनाने वाले कारखाने या दूसरे राज्य उपक्रम द्वारा देश के अन्दर तैयार की जा सकती है या नहीं। विदेशों में आर्डर देने से पहले प्रत्येक वस्तु सूची की ध्यानपूर्वक जांच की जाती है। इस के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के विकास पक्ष से भी सम्बन्ध बनाये रखा जाता है; और वह भी इस बात की जांच करता है कि क्या वह वस्तु विशेष जिस के लिये वस्तुसूची भेजी जाती है देश में तैयार की जा सकती है या नहीं।

जब हम नई चीजें तैयार करने का निर्णय करते हैं, तो प्राथमिकताओं को निर्धारित करने का प्रश्न उत्पन्न होता है। ऐसी कोई वस्तुएं हैं, जिन की हमें बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है और जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तथा जिन के लिये हम आकस्मिकता के समय विदेशों पर अवलम्बित नहीं रह सकते हैं। और भी सैकड़ों ऐसी वस्तुएं हैं जो सरलता से संग्रह की जा सकती हैं, और उन्हें इस देश में तुरन्त बनाना कठिन है तथा उन पर लागत भी अधिक आती है। कम से कम जब तक हम अधिक टैक्निकल प्रगति नहीं करते हैं और हमारे देश में अधिक उद्योग स्थापित नहीं होते हैं, तब तक हम इन वस्तुओं को यहां बनाने की अपेक्षा विदेशों से खरीद कर इन का संग्रह करने का प्रयत्न करते हैं। और भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, जो इस समय हमारे पास बहुतायत में हैं और जो सरलता और शीघ्रता से खराब भी नहीं होती हैं परन्तु हम स्वयं ऐसा सामान बनाने का प्रयत्न करते हैं, जिस की सशस्त्र सेनाओं के कामों के लिये बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है और जिन का होना अनिवार्य होता है। हम इसी नीति के अनुसार चलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में बहुत प्रगति हुई है। हम सेना, नौसेना और वायु सेना के लिये शस्त्रास्त्र तथा बहुत सी वस्तुएं बना रहे हैं, जो पहले विदेश से मंगवाई जाती थीं।

मैं अब श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा २० और ४० मिलीमीटर वाली परियोजना के विषय में उठाई गई बात का निर्देश करना चाहता हूं। इस के सम्बन्ध में उन्हों ने कहा कि वह बन्द कर दी गई है। उन के कथनानुसार हम ने इस परियोजना के लिये खनकिया में करोड़ों रुपये खर्च किये हैं। मैं ने उन्हें यह बताने के लिये हस्तक्षेप किया कि उन का इस मामले में कुछ भ्रान्ति है। अब मैं कहूंगा कि उन को कुछ ग़लत जानकारी है। २० मिलीमीटर वाला गोला बारूद हो वायु सेना के लिये मुख्य गोला बारूद है, और हम ने इसे तैयार करने में प्रगति की है। गोला बारूद वास्तव में तैयार किया जाता था, उस का परीक्षण किया जाता था। निस्सन्देह प्रारम्भ में कुछ कठिनाइयां आईं। ऐसा भी सोचा गया कि गोला बारूद में जिस आयात किये गये कच्चे माल का प्रयोग होता था, उस के स्थान पर वह कच्चा माल काम में लाया जाये, जो देश में उपलब्ध हो। इसलिये कुछ समय की आवश्यकता है और अब से कुछ ही महीनों में हम २० मिलीमीटर वाला गोला बारूद तैयार कर सकेंगे जिस की हमें बड़ी मात्रा में आवश्यकता

[श्री सतीश चन्द्र]

है। ४० मिलीमीटर वाले गोलाबारूद की नौसेना और सेना को आवश्यकता पड़ती है। उस गोलाबारूद के हिस्से इस समय विभिन्न युद्ध सामग्री बनाने वाले कारखानों में तैयार किये जा रहे हैं और तत्पश्चात् खमरिया में संग्रहित किये जायेंगे। इस में कोई कठिनाई नहीं हुई है और हिस्से युद्ध-सामग्री बनाने वाले कारखानों में बनाये जा रहे हैं। वे खमरिया भेजे जायेंगे और मैं समझता हूं कि एक या दो महीनों में ही हम पूर्ण ४० मिलीमीटर वाला गोला बारूद तैयार करेंगे। संभवतः श्रीमती रेणु चक्रवर्ती कुछ ग़लत जानकारी के आधार पर बोल रही थीं।

वायुयानों के अधिक हिस्से बनाने का एक प्रस्ताव है। माननीय सदस्यों को पहले से पता होगा कि हम ने पीछे प्रैंटिस एयरक्रैफ्ट और वैम्पायरज का संग्रह किया था, जिन्हें हम प्रयोग में ला रहे हैं। हम ट्रेनर एयरक्रैफ्ट एच० टी० २ बना रहे हैं। दूसरा बढ़िया ट्रेनर हिन्दुस्तान एयर क्रैफ्ट फैक्टरी में विकसित किया जा रहा है। वायुयानके सामान के सम्बन्ध में यथाशीघ्र स्वावलम्बी होने का हमारा प्रयत्न होगा। देश में विमानों के इंजिनों को बनाने के लिये जगह खोज की जा रही है किन्तु यह विचार अभी प्रारम्भिक स्थिति में है। रक्षा सम्बन्धी स्टोर के समाहार के मामले में भ्रष्टाचार और व्यर्थ नाश के विषय में आलोचना हो रही है। विदेशों से स्टोर प्राप्त करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों को यह भ्रम है कि सेना के अधिकारी सीधे इस स्टोर का समाहार करते हैं अथवा इन स्टोरों को खरीदने के लिये विदेशी या देशी सार्थों से सौदा कर लेते हैं। यह बात ठीक नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि यदि स्टोर देश में उपलब्ध होते हैं तो हम सम्भरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक, नई दिल्ली, के पास अपनी वस्तु सूची भेज देते हैं, परन्तु यदि हमें ये वस्तुयें यूरोप या अमरीका से मंगवानी होती हैं, तो क्रमशः इण्डिया स्टोरज़ विभाग के महानिदेशक, लन्दन या इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन के पास वस्तुसूची भेजते हैं। सब पत्र व्यवहार आदि तथा संविदाओं आदि पर हस्ताक्षर करने का काम निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा सम्भरण मंत्रालय के अभिकरणों द्वारा किया जाता है। जब देशी स्टोर के मामले में २००० रुपये तथा विदेशी सम्भरण के मामले में थोड़ी रकम अन्तर्ग्रस्त होती है, तभी हम सैनिक अधिकारियों के द्वारा सामान खरीदते हैं। बड़े पैमाने पर सारा सम्भरण निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा सम्भरण मंत्रालय के द्वारा होता है। मैं कुछ माननीय सदस्यों को इस आलोचना का कारण नहीं समझ सका कि हमारे सैनिक अधिकारी इन सौदों को ठीक ढंग से नहीं करते हैं। यदि स्टोर विदेशी सरकारों से प्राप्त किये जाते हैं, तो विदेश स्थित हमारे सैनिक परामर्शदाता प्रत्येक सरकार सरकारी आधार पर उन सौदों के सम्बन्ध में वार्तालाप करती हैं। किन्तु जब व्यापारियों या निर्माताओं के साथ सौदे किये जाते हैं, तो बहुत छोटी रक़मों को छोड़कर, जिन के लिये सीधे या स्थानीय क्रय को अनुमति होती है, वे सब क्रय निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा सम्भरण मंत्रालय के अभिकरणों के द्वारा किये जाते हैं।

अब मैं नौ सेना और वायु सेना सज्जा पर की गई आलोचना के विषय में कुछ कहूंगा। हो सकता है कि कुछ समय पहले जो जहाज़ खरीदे गये थे, वह अमरीका या कुछ यूरोपीय देशों के नौ सेना के जहाज़ों के समान इतने आधुनिक तथा बिल्कुल ठीक न हों, किन्तु वे पूर्णतया अनुपयोगी भी नहीं हैं। इसी प्रकार

के जहाज़ों का प्रयोग दूसरे देशों की नौ सेनाओं में भी किया जाता है। धीरे धीरे उन्हें बदलने का कार्यक्रम चल रहा है। नये जहाज़ खरीदे जायेंगे और वर्तमान जहाज़ों को आकस्मिकता के समय प्रयोग में लाने के लिये रक्षित रखा जायेगा इस में समय अवश्य लगेगा, क्योंकि नौ सेना का जहाज महंगा होता है। किन्तु धीरे धीरे यथासंभव वर्तमान जहाज़ों के स्थान पर नवीन जहाज लाये जायेंगे। इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि अधिक हल्के और कम पेचीदा जहाज देश में बनाये जायें। इस बारे में हिन्दुस्तान जहाज निर्माण कारखाने से वार्तालाप चल रहा है।

श्री जोकिम आल्वा : हम ब्रिटिश नौ-सेना के पुराने जहाज़ क्यों खरीदते हैं और जहाज़ बनाने वाले कारखानों से सीधे नये जहाज क्यों नहीं खरीदते हैं।

श्री सतीश चन्द्र : उन कारखानों में जितने जहाज बनते हैं, वे पहले ही बुक होते हैं। इसलिये हमें या तो पुराने जहाज़ों से संतोष करना पड़ता है या हम देश में स्वयं बनायें या ब्रिटिश नौसेना पर अवलम्बित रहें। किन्तु धीरे धीरे नवीन जहाज़ खरीदे जाने की संभावना है और वही पुराने जहाज़ों के स्थान पर लाये जायेंगे।

बेकारी सहायता विधेयक

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बेकार मजदूरों को सहायता देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

बेकार मज़दूरों को सहायता देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए० के० गोपालन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—(जारी)

(धारा ३०२ का संशोधन)

श्री वेंकटारमन् (तंजोर) : समस्त भारतीय दण्ड संहिता में नियम पूर्वक सुधार करने की आवश्यकता है। इधर उधर सुधार करने से कुछ लाभ नहीं होगा, कारण यह है कि यदि हम दण्ड को कम करेंगे तो कई ऐसे जघन्य अपराध रह जाते हैं जिन के लिये कम दण्ड की व्यवस्था है, तथा कई छोटे अपराधों के लिये भयानक दण्ड हो सकता है। इस के अतिरिक्त कई अपराध समयानुकूल भी प्रतीत नहीं होते हैं। अतः इस में आमूल संशोधन की आवश्यकता है।

धारा १२४—क अब उपयुक्त नहीं जंचती है। राज-द्रोह की परिभाषा परिवर्तित स्थिति में अस्पष्ट है। इस धारा पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिये, इस में मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास या १० वर्ष की सजा तथा जुर्माने की व्यवस्था है। इस पर विचार किया जाना चाहिये। इस पर धारा ३०२ के संशोधन के अनुसार विचार करना उचित रहेगा। भारतीय दण्ड संहिता की प्रत्येक धारा पर विचार होना चाहिये और "आजीवन कारावास" शब्द जहां आये, वहां उस की नई परिभाषा दी जानी चाहिये। तभी विधेयक नियमानुकूल हो सकता है। जहां कहीं ये शब्द आयें वहां इस का अर्थ कुछ और ही होगा यह ठीक नहीं है। अतः इस की नई परिभाषा दी जानी चाहिये। मैं यह समझता हूं कि जहां "आजीवन कारावास" अथवा विकल्प में "दस वर्ष की सजा" आती है, तो इस के साथ जुर्माना भी सम्मिलित होता है। उदाहरण के लिये यदि हम धारा १२१ को देखें, जो कि सरकार के विरुद्ध युद्ध करने या युद्ध करने का प्रयत्न कर या युद्ध करने में

[श्री वेंकटारमन्]

सहायता देने के सम्बन्ध में है, तो उस का दण्ड मृत्यु या आजीवन कालापानी है। यदि श्री काज़मी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाये तो एक दिन का दण्ड भी दिया जा सकता है और मेरे विचार में इस प्रकार के अपराध के लिये यह दण्ड उचित नहीं होगा। बाद की धाराओं में दण्ड बहुत भारी हैं। धारा १२१–क को ही लीजिये। (**अन्तर्बाधा**) यदि सरकार यह कहती है कि वह इस विधेयक को अस्वीकृत कर देगी तो मैं इस पर और कुछ नहीं कहूंगा।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल): क्या सरकार ने यह कहा है ?

श्री वेंकटारमन्: सरकार ने यह कहा तो नहीं है, किन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि सरकार इस विधेयक को परिचालित करने पर सहमत हो गई है।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री वेंकटारमन्: इस विधेयक को परिचालित करना बहुत अधिक धन को व्यर्थ नष्ट करना है। धारा १२१–क के अन्तर्गत राज्य के विरुद्ध कुछ अपराध करने के लिये षड्यन्त्र करने का दण्ड आजीवन कालापानी या थोड़े समय का, अथवा इन दोनों में से किसी प्रकार का दस वर्ष तक का कारावास और अर्थदण्ड है। 'और अर्थ दण्ड' यह संशोधन १९२३ में किया गया था, क्योंकि उस समय सरकार ने यह सोचा था कि आजीवन कालेपानी के दण्ड के बदले केवल कारावास का दण्ड उस की बराबरी नहीं कर सकेगा और इसलिये कारावास दण्ड को आजीवन कालापानी के समान करने के लिये उन्हों ने यह कहा था कि कारावास के साथ अर्थदण्ड भी होना चाहिये। आगे धारा १२२ में भी जो युद्ध करने के उद्देश्य से शस्त्रादि इकट्ठे करने के सम्बन्ध में है, आजीवन कालेपानी का दण्ड या दोनों में से किसी प्रकार का दस वर्ष तक का कारावास दण्ड और अर्थदण्ड दिया हुआ है। यदि सदन श्री काज़मी का विधेयक स्वीकार कर लेगा तो इस का अर्थ यह होगा कि 'आजीवन कालेपानी' का तात्पर्य दोनों में से किसी प्रकार का १४ वर्ष तक का कारावास दण्ड होगा किन्तु इस के साथ कोई अर्थदण्ड नहीं होगा। अतः यह भारतीय दण्ड संहिता की दण्ड-व्यवस्था के विरुद्ध है और इस कारण इस विधेयक को अस्वीकृत कर देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आजकल भी आजीवन कालेपानी का दण्ड दिया जाता है ?

श्री वेंकटारमन्: नहीं, किन्तु भारतीय दण्ड संहिता की धारा ५५ के अन्तर्गत आजीवन कालापानी दण्ड की परिभाषा १४ वर्ष का कारावास की हुई है। श्री काज़मी अपने विधेयक में यह चाहते हैं कि कारावास की अवधि १४ वर्ष होना आवश्यक नहीं है, अपितु यह एक दिन से लेकर १४ वर्ष तक कुछ भी हो सकती है। इस से अधिनियम की दण्ड-व्यवस्था में बाधा पड़ेगी।

श्री नम्बियार (मयूरम): आप इसका निर्णय न्यायाधीश पर ही क्यों नहीं छोड़ देते ?

श्री वेंकटारमन्: अपराधों की परिभाषा दी हुई है और उन के अपेक्षाकृत गुरुत्व को तथा उन्हें क्या दण्ड दिया जाना चाहिये इस को भी परिभाषा दी जानी चाहिये यह सब न्यायाधीश पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

इन धाराओं में 'आजीवन कालापानी' के स्थान पर श्री काज़मी के विधेयक को भाषा रखने से यह बिलकुल निरर्थक हो जायेगा अतः इसे अस्वीकृत कर देना चाहिये।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा): परन्तु यह संशोधन तो केवल भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२ के सम्बन्ध में है।

श्री वेंकटारमन् : यह भारतीय दण्ड संहिता में जहां कहीं भी 'आजीवन कालापानी' शब्द आते हों उन सब के लिये है। मुझे आश्चर्य तो यह है कि इस प्रकार के विधेयक को जो दण्ड संहिता के विरुद्ध है यहां प्रस्तुत कैसे किया गया और सरकार इसे परिचालित करने के लिये तैयार कैसे हो गई।

डा० काटजू : यह किस ने कहा है ?

श्री वेंकटारमन् : भारतीय दण्ड संहिता की संगत धारा में श्री काज़मी की परिभाषा रख देने पर वह बिल्कुल निरर्थक हो जाती है और यह भारतीय दण्ड संहिता के विरुद्ध है अतः इसे अस्वीकृत कर देना चाहिये। मुझे आशा है कि सदन इस विधान को परिचालित करने के लिये सहमत नहीं होगा, क्योंकि यह तो सार्वजनिक धन को व्यर्थ नष्ट करना होगा।

डा० काटजू : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में यदि सदन को इस विधेयक के सम्बन्ध में सरकार के विचार ज्ञात हो जायें तो यह सम्भवतः बहुत उत्तम होगा। मैं अपने माननीय मित्र श्री वेंकटारमन का आभारी हूं कि उन्होंने यह बता दिया कि इस विधेयक को पारित करने से कौन कौन सी विरोधी बातें उत्पन्न हो जायेंगी। परन्तु इस विषय में सरकार को एक बात ज्ञात होनी चाहिये और वह यह है।

विभिन्न राज्यों में आजीवन कालेपानी के सम्बन्ध में पहले ही नियम बने हुए हैं। किसी व्यक्ति को अण्डेमान भेजने की प्रथा तो मेरे विचार में वर्षों से बन्द हो चुकी है और कालेपानी भेजने का दण्ड अब केवल आजीवन कारावास का दण्ड समझा जाता है।

विभिन्न राज्यों में स्थिति इस प्रकार है। मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों से अधिक परिचय है। जब कोई आजीवन कारावास का दण्ड प्राप्त व्यक्ति १४ वर्ष का दण्ड भुगत लेता है—इस में छूटें भी सम्मिलित हैं, जिस का अर्थ सामान्यतया ११ या १०॥ वर्ष का वास्तविक कारावास दण्ड होता है—तो उस के मामले का पुनरीक्षण किया जाता है और यदि कोई आपत्ति न उठाई गई तो यह सिफारिश कर दी जाती है कि उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है और उस व्यक्ति को उसी समय छोड़ दिया जाता है। परन्तु, मान लीजिये कि वह डाकुओं के किसी गिरोह का सदस्य रहा हो या उस ने कोई बहुत भयंकर हत्यायें या इसी प्रकार के कार्य किये हों तो नियम यह है कि उस के मामले को स्थगित कर दिया जाता है और जब वह बन्दी छूट को मिला कर २० वर्ष का दण्ड, यह १४ से १५ वर्ष तक का वास्तविक कारावास का दण्ड पड़ता है, भुगत लेता है तो उस के मामले पर पुनः विचार किया जाता है। उस के मामले का पुनः पुनरीक्षण किया जाता है और सामान्यतया उसे मुक्त कर दिया जाता है। परन्तु यदि उस का मामला बहुत गंभीर हो तो अन्तिम आदेश यह है कि उस का मामला छूट को मिला कर २५ वर्ष का कारावास पूरा होने पर अर्थात् २० वर्ष की सजा भुगत लेने पर पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है और उस के पश्चात् उसे छोड़ ही दिया जाता है।

अतः मेरा माननीय प्रस्तावक को यह सुझाव है कि अब वे एक अधिक कड़ा उपबन्ध रख रहे हैं जिस पर आपत्ति उठाई जा सकती है और इस के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र श्री वेंकटारमन् की आपत्ति बहुत महत्वपूर्ण और बहुत तर्कसंगत है। परन्तु जेल की वर्तमान नियमावली के नियमों से उन के इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है कि आजीवन कारावास का दण्ड भुगतने वाले व्यक्ति के मामले पर ज़िला मजिस्ट्रेट, स्वयं सरकार १४ वर्ष के पश्चात्, २० वर्ष के पश्चात् और अन्त में २५ वर्ष के पश्चात् पुनर्विचार करती

[डा० काटजू]

है । इस समय कोई भी व्यक्ति २० वर्ष से अधिक कारागार में नहीं रहता है ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) । क्या मैं माननीय गृह मंत्री जी से एक बात पूछ सकता हूं ? मुझे यह ज्ञात हुआ है कि दिल्ली जेल में ऐसा नहीं होता है । विभिन्न राज्यों में अलग अलग नियम प्रचलित हैं । गत वर्ष जब मुझे वहां रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तो मुझे यह बताया गया था कि जिन लोगों को पाकिस्तान में आजीवन कारावास का दण्ड मिला था वे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत भेज दिये गये थे । जो उत्तर प्रदेश चले गये थे उन पर उत्तर प्रदेश के नियम लागू हुए, किन्तु जो दिल्ली जेल में आये उन पर पंजाब के नियम लागू हुए जो अधिक कठोर हैं, और उन्हें यह लाभ प्राप्त नहीं हुआ । उन्होंने इस भेद-भाव की, जिस से उन्हें बड़ी हानि हुई है, बड़ी शिकायत की है ।

डा० काटजू : मैं इस बात की ओर ध्यान दूंगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : धन्यवाद ।

डा० काटजू : मैं ने उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में ही कहा था जहां कि १४ वर्ष, २० वर्ष और २५ वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षण किया जाता है । उत्तर प्रदेश में भी, सम्भव है अन्य राज्यों में भी, ऐसा होता हो, छूट को मिला कर १४ वर्ष की अवधि वस्तुतः ११ या १०॥ वर्ष पड़ती है । सम्भव है अन्य राज्यों में यह न्यूनतम सीमा न हो, अर्थात्, यह नियम छूट सहित २० वर्ष की समाप्ति के पश्चात् लागू होता हो । किन्तु इस विषय पर विचार किया जा सकता है ।

श्री वेंकटारमन् ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें उठायी हैं जिन की ओर सरकार पहले ही ध्यान दे रही है । लगभग आठ वर्ष पूर्व जब हम ने दण्डप्रक्रिया संहिता के सम्बन्ध में एक संशोधक विधेयक रखा था, तो मैं ने सदन को यह बताया था कि यह सारा प्रश्न हमारे विचाराधीन है । उस समय हम दण्ड प्रक्रिया संहिता पर काफ़ी अधिक विचार कर चुके थे और जैसा कि सदन को विदित है सब राज्य सरकारों को एक प्रपत्र भेजा गया था और दण्ड प्रक्रिया संहिता को अच्छी प्रकार से संशोधित करने के प्रश्न के सम्बन्ध में न्यायाधीशों तथा बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सम्मतियां मांगी गई थीं । वह परीक्षा पूरी हो चुकी है एक विधेयक प्रकाशित कर दिया गया है और मुझे आशा है कि मैं, यदि सम्भव हुआ तो, इस मास में या अगले मास के आरम्भ में इसे पुरः स्थापित कर दूंगा । उस के बाद सदन से किसी उपयुक्त समय पर इसे एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने की दृष्टि से इस पर अग्रेतर विचार करने के लिये कहा जायगा ।

ऐसा करने पर वास्तविक भारतीय दण्ड संहिता हमारे सामने आयेगी । जैसा कि श्री वेंकटारमन ने कहा था यह दण्ड संहिता तो वस्तुतः मैकाले के समय की है । दण्ड संहिता का प्रथम प्रारूप १८३५ में तैयार किया गया था और कई विधि आयोगों द्वारा बार बार परीक्षा किये जाने के पश्चात् १८५२ में इसे अन्तिम रूप दिया गया था । यह लगभग ९४ वर्ष तक अच्छी प्रकार कार्य करती रही है । परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इन ९४ वर्षों में दण्ड शास्त्र का काफी विकास हुआ है, लोगों की सामाजिक प्रथाओं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बहुत से परिवर्तन हुए हैं, और यह बहुत आवश्यक है कि दण्ड संहिता की आरम्भ से अन्त तक खूब अच्छी प्रकार परीक्षा की जायें जिस से कि हम इसे वर्तमान सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य परिस्थितियों के अनुकूल बना सकें ।

उदाहरण के लिये कुछ दिन पूर्व जब मैंने एक पुस्तक में इस प्रकार की बड़ी विचित्र बाते पढ़ीं तो मुझ पर उन का बहुत प्रभाव पड़ा। यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे का गला घोंट कर उसे मार दे, तो वह हत्या का अपराधी है और उसे मृत्युदण्ड दिया जाता है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति अनुचित लाभ कमाने के लिये बहुत अधिक मात्रा में मिलावट वाला या अशुद्ध दूध बेचता है और इस प्रकार नगर के सैकड़ों बच्चों के जीवन को खतरे में डाल देता है या उस से कोई रोग फैल सकता है और दर्जनों बच्चे मर सकते हैं—तो उस के लिये क्या दण्ड है ? खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत उसे तीन मास का कारावास दण्ड या ५०० रुपये का अर्थ दण्ड मिलता है।

अतः हमें इस दृष्टिकोण से इस सारी व्यवस्था पर विचार करना होगा। इस प्रकार का प्रारम्भिक विचार तो किया जा रहा है। इस में कुछ प्रगति हुई है और मुझे आशा है कि यह एक मास के अन्दर पूरा हो जायेगा। प्रश्न यह है कि क्या हम इस के लिये एक विधि आयोग नियुक्त करें या हम प्रारम्भिक विचार करने के लिये सक्षम व्यक्तियों के पास सीधे जायें और इस विषय में प्रत्येक की, सारे भारत की विशेष रूप से न्यायाधीशों की सम्मति ज्ञात करें। जैसाकि मैंने पहले भी एक बार कहा था इस विषय का किसी दल विशेष से सम्बन्ध नहीं है। यह किसी दल का विषय नहीं है। मुझे आशा है कि एक मास या दो मास के अन्दर ही कोई ठोस परिणाम निकल आयेंगे और तब हम इस स्थिति में होंगे कि इसे अन्तिम रूप देने से पूर्व इस विषय में राज्य सरकारों, उच्चन्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और महाधिवक्ता की इस सम्बन्ध में राय ले सकें कि क्या इस विषय को एक विधि आयोग को सौंपना चाहिये या हम ही इस विषय में आगे कार्य कर सकते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि इस में अनावश्यक विलम्ब हो।

एक ओर तो इस सदन के समक्ष जो कोई भी प्रस्ताव आयें उन पर सारे भारत में उपलब्ध योग्यतम व्यक्तियों द्वारा विचार किया जाना चाहिये। इस के साथ ही कभी कभी मैं यह अनुभव करता हूं कि जब आप कोई आयोग या समितियां नियुक्त करते हैं तो उस में विलम्ब होना अनिवार्य है क्योंकि उसे घूमने- फिरने में वर्षों लग जाते हैं। हम अपने प्रस्तावों को सम्भवतः अधिक शीघ्रता से अन्तिम रूप दे सकें।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, जब हम सम्पूर्ण दंड संहिता का पुनरीक्षण आरम्भ करेंगे तो श्री वेंकटारमन् द्वारा उठाई गई ये बातें कि अपराध क्या होना चाहिये और दूसरे दण्ड कितना होना चाहिए; स्वयमेव आ जायेंगी। जैसा कि उन्होंने बताया कि यदि आप इसे विभिन्न धाराओं में रखें तो इस में से अधिकांश निरर्थक हो जायगी।

जैसाकि उपाध्यक्ष महोदय ने धारा ५४ का उल्लेख किया था, राज्य सरकार आजीवन कारावास या कालेपानी के दण्ड को बदल कर चौदह वर्ष तक का दण्ड नहीं कर सकती हैं। वर्तमान संविधान के अन्तर्गत आजीवन कारावास का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को अण्डमान भेज दिया जाये; विभिन्न राज्यों में इस का अर्थ १४, २० या २५ वर्ष का कारावास दण्ड है। अतः हमें दण्ड संहिता की प्रत्येक धारा पर विचार करना होगा। हम बहुत से अपराधों को और अधिक कठोर बना सकते हैं; हम उन के लिये, उदाहरण के लिये चोरबाजारी; मुनाफाखोरी के लिये निश्चित किये गये दण्ड को और अधिक कठोर बना सकते हैं। हो सकता है कि दण्ड सात वर्ष का हो। इसी प्रकार से घूस देना तथा घूस लेना विचारणीय मामले हैं। हमें इस पर भी

[डा० काटजू]

विचार करना होगा कि क्या दो साल काफ़ी हैं या नहीं। हम इसे अधिक कड़ा बना सकते हैं।

अतएव विधेयक के माननीय प्रस्तावक को मेरा सुझाव है कि वर्तमान प्रारूप में यह विधेयक बहुत अपूर्ण है। अतः इसे वापस ले लिया जाय। इस विधेयक में जो मत व्यक्त किया गया है उसे हम दण्ड-संहिता में अभिव्यक्त किये गये अपराध-विज्ञान के सारे विषय के सम्बन्ध में कार्यवाही करते समय अपने सामने रखेंगे। मैं यह भी कह दूं कि निःसन्देह भारतीय दण्ड-संहिता अपराधों के वर्णन का एक ग्रन्थ मात्र है। अपराध अनेकों हैं जिन का वर्णन विभिन्न अधिनियमों में मिलता है। इन सब का एक स्थान पर एकत्रित करना वांछनीय है ताकि आप को सब दण्ड-विधियां एक ही ग्रन्थ में मिल सकें। हो सकता है कि यह ६०० या ७०० धाराओं पर सम्मिलित हो।

बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हू कि यह समस्या बहुत बड़ी है। वास्तव में यह एक बहुत सराहनीय कार्य होगा कि हम स्वतन्त्र भारत में दण्ड-न्यायशास्त्र की अपनी सारी पद्धति की पूर्ण जांच तथा पुनर्विलोकन के काम को अपने ऊपर लें तथा अपनी वर्तमान आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक अथवा अन्य किसी प्रकार की स्थिति को तथा अपने राज्य की नई धारणा को अर्थात लोकहितकारी राज्य की धारणा को सामने रखते हुए संतोषजनक निष्कर्षों पर पहुंचें। भारतीय दण्ड संहिता वास्तव में एक पुलिस राज्य की धारणा पर आधारित राज्य की कृति है तथा इसी दृष्टिकोण से ही उन्होंने इसे बनाया था। लोकहितकारी राज्य में यह धारणा बदल सकती है। हम अपने सामने स्वयं अपने संविधान की आवश्यकताओं को रखेंगे। मैं समस्त ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं। मेरा अपने मित्र श्री काज़मी को इतना ही सुझाव है कि मेरे इस आश्वासन के विचार से कि हम इस सारे विषय पर एक व्यापक विधान के रूप में विचार करेंगे, वह इस विधेयक को वापस ले लेना उचित समझें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री काज़मी का इस सम्बन्ध में क्या कहना है ?

श्री काज़मी (ज़िला सुल्तानपुर—उत्तर व जिला फैज़ाबाद—दक्षिण—पश्चिम) : विधेयक को अन्तिम रूप से वापस लेने से पहले इस सम्बन्ध में मैं अपनी कठिनाइयों का वर्णन करना चाहता हूं। सभी ने विशेषतः श्री वेंकटारमन ने विधेयक को ग़लत समझा है। मैं इसे प्रस्तुत करने की स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं।

पूर्व-विधेयकों तथा प्रारूपों के देखने से पता चलेगा कि सरकार का विचार आज भी यही है जो सन् १९२२ में था।

श्री एन० सी० चटर्जी : हम सब श्री काज़मी द्वारा इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के लिए उन के आभारी हैं। परन्तु माननीय मंत्री ने कहा है कि इस मामले में विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये तथा इस पर पृथक् रूप से विचार नहीं होना चाहिये। डा० काटजू के भाषण से ऐसा मालूम होता था कि वह सभी दृष्टिकोणों पर विचार कर रहे हैं। अतएव माननीय सदस्य को इस विधेयक पर अधिक अनुरोध नहीं करना चाहिये।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : माननीय मंत्री ने यह भी कहा है कि यह किसी एक दल विशेष का मामला नहीं है।

श्री काज़मी : आलोचना के बाद प्रस्तावक का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह विधेयक के प्रस्तुत करने में सदन के कीमती समय को लेने के कारणों को स्पष्ट करे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक पुराने संसदज्ञ हैं। माननीय मंत्री के इस आश्वासन के बाद कि वह इस मामले पर विचार करते समय सभी दलों के दृष्टिकोण अपने सामने रखेंगे, माननीय सदस्य से इस विधेयक के वापस लेने की आशा की जाती है।

श्री काजमी : आपका तरीका बहुत साधारण है। परन्तु विधेयक पर आलोचना होने के बाद स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सन् १९२२ के विधेयक में केवल आजीवन कालापानी के बन्द करने की ही व्यवस्था थी। प्रवर समिति ने भी उस के वापस ले लिए जाने का इसी कारण सुझाव दिया था कि भारतीय दण्ड संहिता पर समूचे रूप से विचार किये जाने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने भी इस उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लिया है।

इस विधेयक के प्रस्तुत करने में मेरा मुख्य उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि 'आजीवन कालापानी' शब्दों के रखने से न्यायालयों के मार्ग में एक बाधा पड़ती है और इस से वह दण्ड की किसी कालावधि का अर्थ नहीं ले सकते हैं। प्रश्न यह है कि इस कालावधि के निश्चित करने का काम न्यायालयों पर छोड़ा जाय या कार्यपालिका पर। यदि पांच या छः वर्ष के कारावास के बाद कालेपानी का दण्ड दिया जाय तो बात और है, परन्तु यदि इस का अर्थ चौदह वर्ष का कारावास लिया जाय तो सख्ती घटने की बजाय बढ़ती ही है। इसी कारण इसे कार्यपालिका पर छोड़ देना उचित नहीं है। मैं अपने विधेयक को वापस लेता हूं।

डा० काटजू : मैं इस सूचना के लिए माननीय सदस्य का आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"भारतीय दण्ड-संहिता, १८६० में अग्रेतर संशोधन वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक

(धारा २१का संशोधन)

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"भारतीय पंजीयन अधिनियम, १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर २७ मई, १९५४ तक राय जानने के लिए इसे परिचालित किया जाय।"

इस विधेयक के विरुद्ध मेरी पहली आपत्ति यह है कि इस विधेयक को प्रस्तुत कर के मैं विधि व्यवसाय को सहायता देना चाहता हूं।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

यह आलोचना अनुचित है। आजकल प्रायः यह आदत सी हो गई है कि विधि व्यवसाय को मुफ्तखोरी का व्यवसाय कहा जाता है। इस व्यवसाय का हमारे समाज में स्थान है। देश में लागू विभिन्न विधियां इतनी पेचीदा हैं कि सामान्य व्यक्ति इन्हें पढ़कर पागलसा हो जाता है। मैं स्वयं को इस व्यवसाय का कट्टर समर्थक नहीं जतलाना चाहता हूं। फिर भी मेरा यह मत है कि विधि व्यवसाय समाज को उन्नत व्यवहारों की ओर ले जाता है।

परन्तु इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य कुछ और है। वास्तविक उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना है। एक तरीका यह है कि प्रक्रिया को सीधा और सरल बनाया जाय।

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

माननीय गृह-कार्य मंत्री ने दण्ड विधि में जटिलता को कम करने का प्रयत्न किया है। दूसरे तरीक़े ये हो सकते हैं कि अपील, पुनर्विचार तथा इसी प्रकार के अवसरों को कम किया जाय।

मैं ने इस विधेयक में जन साधारण की सहायता के लिए मुक़दमेबाज़ी की जड़ को पकड़ा है। मुक़दमेबाज़ी का मूल कारण जन साधारण की अनभिज्ञता है। एक तरीक़ा यह है कि इस अनभिज्ञता का अनुचित लाभ न उठाने दिया जाय। मेरा विषय यह है कि यदि दस्तावेज़ एडवोकेट द्वारा तैयार किया जाय तथा प्रमाणपत्र संलग्न किया जाय तो सम्भावनायें कम हो जायेंगी। मैं इस के त्रुटि-रहित होने का दावा नहीं करता हूं, परन्तु इस से मुक़दमेबाजी कम हो जायगी तथा इसी उद्देश्य से मैं ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है।

हम जानते हैं कि दस्तावेज़ प्रायः मुन्शी लोग तैयार करते हैं। ये लोग गवाहों के कटहरे में जा कर पैसा ले कर विपरीत गवाही तक दे देते हैं। श्रीमान् आप जानते हैं कि दीवानी मुकदमों के मूल क्षेत्राधिकार न्यायालय मुन्सिफ तथा अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अब यदि मुफ़स्सिल ज़िले में सत्र न्यायाधीश क़त्ल का मुकदमा सुन सकता है तो कोई कारण नहीं है कि प्रेज़ीडेन्सी नगर में इसे सुनने का अधिकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ही प्राप्त हो।

सभापति महोदय : परन्तु क़त्ल का मुकदमा तो दण्ड विधि से सम्बन्ध रखता है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : अस्तु, प्रेज़ीडेन्सी नगरों में इस क्षेत्राधिकार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देने से कोई लाभ नहीं है जब कि इसे अधीनस्थ या ज़िला न्यायाधीश को सुगमतापूर्ण दिया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि इन परस्पर विरोधी व्यवस्थाओं को दूर किया जाय।

औसत से दीवानी मुकदमों की संख्या का ४० प्रतिशत ऋण के रूप में दिये गये धन तथा बन्धकों आदि के धन की पुनः प्राप्ति के सम्बन्ध में होता है। २० प्रतिशत भाग प्रसंविदाओं के बारे में होता है। किसी व्यापार केन्द्र में यह संख्या बहुत अधिक हो सकती है। विशेष प्रकार के कामों आदि के सम्बन्ध में ऐसे मुकदमों की संख्या, जो सम्पत्ति के कब्जे अधिकार, आगम के प्रज्ञापन आदि के सम्बन्ध में हो, ४० प्रतिशत हो सकती है। अधिकार तथा कब्जे के मुकदमों में दस्तावेज़ों के बनाने का सवाल उठता है। न्यायाधीश प्रायः यह कहते हैं कि यदि इन दस्तावेजों को ठीक प्रकार से बनाया गया होता तो मुकदमा न चलता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम से भी मुकदमेबाज़ी को कुछ प्रोत्साहन मिलता है। धारा ९२ के पढ़ने से ही पता चल जाता है कि दस्तावेज़ के पंजीबद्ध होने पर भी मौखिक साक्ष्य के लिए बड़ी सम्भावना बनी रहती है। इस धारा के परन्तुक में कहा गया है कि दस्तावेज़ को अमान्य बनाने के लिए किसी भी तथ्य को प्रमाणित किया जा सकता है।

सभापति महोदय : यह तो किसी विशेष मामले के सम्बन्ध में हो है। मैं समझता हूं कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, धारा ९२ के क्षेत्राधिकार से यह बाहर है। इस विधेयक का आशय यह है कि ५०० रुपये से अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति के दस्तावेज़ों को एडवोकेट तैयार करें तथा कार्यान्वित करायें। धारा ९२ से इस का कोई लगाव नहीं है। धारा ९२ प्रत्येक उस अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में है जिस का पंजीयन होना हो अथवा न होना हो। या तो आप को ये उपबन्ध छोड़ने होंगे अथवा इन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार बनाना होगा।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं परन्तुक की बात को पूरा कर के आप की बात को लूंगा।

परन्तुक (२), (३) तथा (४) का पढ़ना अनावश्यक है ।

दोनों बातों में सम्बन्ध यह है कि यदि दस्तावेज़ किसी लिपिक अर्थात् मुन्शी द्वारा लिखा जाय तो वह कुछ व्यक्तियों से साक्ष्यांकी के रूप में उस पर हस्ताक्षर लेगा। ये लोग पैसा न मिलने से बाद में कह सकते हैं कि हम ने दबाव में आ कर हस्ताक्षर कर दिये थे। परन्तु यदि दस्तावेज़ किसी वकील द्वारा तैयार कराया जाये तो उस को अपनी ख्याति की चिन्ता रहेगी। उसे विधि का पूरा ज्ञान रहता है। इस कारण दस्तावेज़ों के तैयार करने में कोई त्रुटि नहीं रहने पायेगी ।

मैं मानता हूं कि इन उपबन्धों से धारा ९२ का निराकरण नहीं हो जाता है। मेरा कहना यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा ९२ में मौखिक साक्ष्य तथा मुक़दमेबाज़ी को बढ़ाने की गुंजाइश है। परन्तु यदि इन उपबन्धों के अन्तर्गत दस्तावेज़ वकील द्वारा तैयार किये जायं तो वह यह नहीं कह सकेगा कि धन का भुगतान मेरे सामने नहीं किया गया है अथवा दस्तावेज़ से काम लिया गया है। वकील इतने गिरे हुए नैतिक स्तर के व्यक्ति नहीं होते हैं। उन की अपनी प्रतिष्ठा तथा सम्मान होता है ।

इस के बाद सम्पत्तियों का प्रश्न उठता है। आप को अपने व्यवसायिक अनुभव से पता होगा कि कई बार सम्पत्ति के विवरण के ठीक न होने से, अनिश्चितता के बने रहने से, विशेषत: ज़मींदारी के मामलों में, मुक़दमेबाजी चलती रहती है। यदि दस्तावेज़ वकील तैयार करे तो वह किसी त्रुटि के न रहने देने के बारे में सावधान रहेगा तथा यथासम्भव ठीक दस्तावेज़ तैयार करेगा। इस प्रकार से मौखिक साक्ष्य की सम्भावना कम हो जायगी तथा लोग मौखिक साक्ष्य के बल बूते पर न्यायालय की ओर ऐसे ही नहीं दौड़ा करेंगे ।

एक बात बेनामी सौदों के बारे में है। आप जानते हैं कि इन से काफ़ी मुक़दमेबाजी होती है तथा लोग खूब कमाते हैं ।

सभापति महोदय : बेनामी का इस विषय से क्या सम्बन्ध है। इन मामलों में दस्तावेज़ चाहे वकील ही तैयार करे, फिर भी मुक़दमेबाज़ी होती ही रहेगी; अन्तर कुछ नहीं होगा ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मेरा निवेदन है कि वकील झूठे सौदे के पक्ष में नहीं बोलेगा। बेनामी सौदे शुद्ध भाव से भी किये जा सकते हैं, परन्तु प्रायः यह धोखा देने के इरादों से किये जाते हैं ।

श्री मुल्ला की पुस्तक में आप को यह प्रसंग मिलेगा कि बेनामी सौदे प्रायः धोखा देने के लिए किये जाते हैं। कई बार इन का उद्देश्य लेनदारों को सम्पत्ति पर हाथ न डालने देने का होता है। मेरा अभिप्राय यह है कि यदि आप इन दस्तावेज़ों को वकील द्वारा तैयार होने दें तो वह उन में ऐसी कोई बात नहीं लिखेगा जो वास्तव में उस सौदे में न हो ।

सभापति महोदय : आप उसी तर्क को दोहराते जा रहे हैं कि यदि दस्तावेज़ वकील द्वारा तैयार किये जायं तो धोखे की सम्भावना कम हो जायगी। मैं बेनामी सौदों का इस से कोई सम्बन्ध नहीं देख पाता हूं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : वकील यथासम्भव सावधान रहेगा। अपने हित में वह कभी न्यायालय में गवाह के रूप में नहीं आना चाहेगा। इसी विचार से वह दस्तावेज़ को यथासम्भव ठीक बनायगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : श्रीमान्, मेरा विचार है कि वकील इन दस्तावेज़ों को अनुदेशों के अनुसार तैयार करते हैं ।

श्री बिस्वास : वकील कोई क्षतिपूर्ति नहीं दिया करते हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं ने सुझाव दिया है कि ५०० की सीमा को कम कर के २५० कर दिया जाय । इससे सौदों की अधिक संख्या विधेयक के अन्तर्गत आ जायगी । मैं माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूं कि इस से विधि व्यवसाय का मान कम हो जायगा । इस में यह कहां नहीं कहा गया कि वकील मुन्शियों का स्थान ले लेंगे । उन्हें तो केवल एक प्रमाण पत्र ही संलग्न करना है । फिर यह विधेयक सारे सौदों के सम्बन्ध में भी नहीं है । मैं यह कोई नई बात नहीं कह रहा हूं । हास्लबरी का 'ला आफ़ इंगलैंड' पुस्तक के पृष्ठ ५०१ पर इन दस्तावेज़ों तथा विलेखों के तैयार करने का अधिकार बैरस्टरों को दिया गया है । इस में लिखा है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य विलेखों के तैयार करने के काम का अनुभवी तथा जानकार व्यक्तियों तक सीमित रखना है । यह व्यवस्था आप को 'चिट्टीज़ स्टेट्यूट्स' में मिलेगी । अतएव मैं किसी नई बात के करने के लिए नहीं कह रहा हूं । यह इंगलैण्ड के क़ानून के अनुसार है । वहां 'टारन्स पद्धति' नाम का एक पद्धति प्रचलित है जिसे अमेरिका के कई राज्यों, आस्ट्रेलिया आदि देशों द्वारा अपनाया जा चुका है । परन्तु हमारे देश की अवस्था कुछ और है । इस पद्धति के अनुसार हक्क अर्थात् स्वामित्व की रजिस्ट्रार द्वारा पूरी जांच पड़ताल की जाती है । रजिस्ट्रार मालिक से समस्त लिखित प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त कर लेता है तथा उसे एक प्रमाणपत्र देता है जिस के पहले पन्ने पर सम्पदा के सभी भारों का वर्णन होता है । रजिस्ट्रार हक्क की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद सभी दस्तावेज़ साथ ही नत्थी कर देता है । प्रमाणपत्र के जारी होने के बाद हक्क की जांच पड़ताल की फिर कभी आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

सभापति महोदय : कुछ देशी राज्यों में भी पहले यही पद्धति प्रचलित थी । परन्तु अब हक्क की जांच पड़ताल से रजिस्ट्रार का कोई सम्बन्ध नहीं है । वह ऐसी हालतों का निर्देश कर रहे हैं जो भारत में विद्यमान नहीं हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : श्रीमान्, मेरा कहना यह है कि अन्य देशों में सम्पत्ति-हस्तान्तरित करने वाले व्यक्तियों के लिए काफ़ी संरक्षण रहता है ।

सभापति महोदय : यदि ऐसा होता तो मैं उन की बात को निस्सन्देह संगत समझता परन्तु इन मामलों का हक्क सम्बन्धी शर्तों से कोई सम्बन्ध नहीं है । और देशों में स्थिति विभिन्न प्रकार की है । आप उन देशों का निर्देश न करें । माननीय सदस्य असंगत बातों को बीच में ला रहे हैं । मैं असंगत बातों के बार बार कहे जाने को अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : श्रीमान्, हमारे देश के अधिकांश लोग अनपढ़ हैं । वे अपने हस्ताक्षर तक करना नहीं जानते हैं । मुन्शी लोग क़ानून को नहीं जानते हैं तथा अपने अज्ञान से लोगों को कठिनाई में डाल देते हैं । मेरा निवेदन है कि पंजीयन अधिनियम की धारा २१ में मेरे संशोधन के स्वीकार कर लेने से बहुत से ऐसे दीवानी मुक़दमे समाप्त हो जायेंगे जो दस्तावेज़ की अशुद्धियों से चलते हैं । हो सकता है कि प्रारम्भ में विधि व्यवसाय को कुछ लाभ पहुंचे, परन्तु अधिवक्ता से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपबन्ध से इन मुक़दमों की संख्या के कम हो जाने में कोई सन्देह नहीं रह जाता है ।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से इस प्रस्ताव की स्वीकृति की सिफारिश करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : माननीय सदस्य के संशोधन के अनुसार एकमात्र

प्रमाणपत्र जो अधिवक्ता को देना होगा, इस बारे में होगा कि उस ने उक्त दस्तावेज़ का प्रारूप तैयार किया है। इस विधेयक में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि इसे पंजीयन के लिए कब प्रस्तुत किया जायगा। कोई दस्तावेज़ निष्पादन के बाद चार मास के अन्दर पेश किया जा सकता है। यदि प्रारूप के तैयार होने से दस या पन्द्रह दिन पहले उप-रजिस्ट्रार के सामने किसी भुगतान का करना आवश्यक हुआ तो अधिवक्ता को इस का पता कैसे चलेगा? पंजीयन अधिनियम की धारा ६० में इस प्रकार की एक धारणा के होते हुए भी कि पंजीयन से पहले एक निश्चित धन-राशि का भुगतान कर दिया गया है, न्यायालयों में धोखे से पंजीयन किये जाने के मुकदमे चलते हैं। अतः मैं समझता हूं कि प्रारूप के तैयार करने का प्रमाणपत्र जो दस्तावेज़ के वास्तविक पंजीयन से कुछ समय पहले दिया जाता है इस बात के निश्चित करने में कुछ सहायक सिद्ध नहीं होगा कि दस्तावेज़ में जो कुछ लिखा है, वह ठीक ही है। अधिवक्ता दस्तावेज़ को सम्बन्धित पक्ष के अनुदेशों के अनुसार तैयार करता है। वह तथ्यों के ठीक या ग़लत होने को प्रमाणित नहीं कर सकता है।

मैं इस बात को भी नहीं समझ सका कि बेनामी हस्तान्तरण के मुकदमे भी इस विधेयक से किस तरह समाप्त हो जायेंगे। कोई व्यक्ति इसे प्रमाणित नहीं करेगा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के हित में वास्तव में सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिए ही दस्तावेज़ का निष्पादन किया है। केवल किसी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज़ के तैयार किये जाने मात्र से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है, न ही इस से प्रतिफल के बारे में कोई निष्कर्ष निकल सकता है। अन्त में ऐसा हो सकता है कि धन का भुगतान कोई तीसरा ही व्यक्ति कर दे। हो सकता है कि अन्त में सम्पत्ति का स्वामित्व किसी और ही पक्ष को प्राप्त हो जो सारे करों आदि का भुगतान करे। ये सारे तथ्य दस्तावेज़ के पंजीयन के बाद ही सुनिश्चित हो सकते हैं। बेनामी सौदों के बारे में न्यायालय किसी निष्कर्ष पर इस आधार पर पहुंचते हैं कि दस्तावेज़ के निष्पादन के बाद सम्बन्धित पक्षों का रवैय्या क्या रहा है। वे इस सम्बन्ध में सारे उप-लब्ध तथ्यों को सामने रखते हैं। सौदे की वास्तविकता को इसी आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि प्रारूप किसी अधिवक्ता विशेष द्वारा तैयार किया गया था।

इस के बाद आप विक्रय तथा बन्धक का प्रश्न लें। विक्रय या बन्धक होने के तथ्य का पता केवल उसी समय चलता है जब मुकदमे-बाज़ी होती है। जहां तक सम्बन्धित पक्षों का सम्बन्ध है, वे न्यायालय में जाते हैं तथा दस्तावेज़ का पंजीयन कराकर वापस चले आते हैं। केवल दस्तावेज़ के प्रारूप से सौदे की वास्तविकता का पता नहीं चलता है।

माननीय मित्र ने धोखे आदि का भी वर्णन किया है, परन्तु विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये गये दस्तावेज़ में भी हम यह देखते हैं कि उन में भी निष्पादक के साथ धोखा किया जाता है। मेरा कहना है कि प्रारूप के प्रमाणपत्र मात्र से समस्या हल नहीं होगी।

श्री एस० वी० रामस्वामी : धोखेबाज़ी और गलत बयानी इत्यादि इस प्रकार के आरोपों के अवसर बहुत कम हो जायेंगे।

श्री आल्तेकर : मेरे माननीय मित्र को यह सम्मति रखने का अधिकार है, किन्तु किसी और सदस्य का यह विचार नहीं है। किसी दस्तावेज़ के किसी सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ द्वारा प्रारूपित किये जाने से उसका कोई महत्व नहीं बढ़ जाता है। इससे तो केवल इतना ही संतोष हो सकता है कि विधि सम्बन्धी सब औपचारिकताओं को पूरा करने

[श्री आल्तेकर]

के लिये ही ऐसा किया गया था। किसी मामले पर उसके प्रारूपण का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस से कर्ता का व्यय तो बहुत बढ़ जायेगा, किन्तु उसे उतना लाभ नहीं होगा। किसी कनिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रारूपण किये जाने पर प्रारूप चाहे उतना संतोषजनक न हो किन्तु उस पर व्यय कम आयेगा। यदि प्रारूपण किसी ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा किया गया तो प्रारूप तो अच्छा होगा किन्तु उस पर खर्चा बहुत होगा और इससे अन्ततोगत्वा कोई विशेष लाभ तो होगा नहीं, केवल कर्ता पर बोझ बढ़ जायेगा।

प्रारूपण से मामलों की सफलता या असफलता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है और फिर उसके लिये बहुत अधिक शुल्क भी देना पड़ता है। प्रारूपण तो सामान्यतया व्यवसायी लेखकों द्वारा बड़ी सरलता से कर लिया जाता है और वह किसी अधिवक्ता के प्रारूप से कम नहीं होता है तथा उस पर व्यय भी कम होता है। मुझे तो यह कथन ठीक नहीं प्रतीत होता कि इन व्यक्तियों के द्वारा प्रारूपण के कारण ही इतने अधिक अभियोग होते हैं। अतः मेरे विचार में जिस प्रयोजन से यह संशोधन रखा गया है वह इससे सिद्ध नहीं होगा।

इस विधेयक में अधिवक्ता की अर्हता तथा उसके अनुभव व उसकी स्थिति के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा हुआ है। इस विधेयक में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी हुई है। मेरे विचार में विधान निर्माण के लिये अधिवक्ता की परिभाषा दी जानी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : यह तर्क उचित नहीं है।

श्री आल्तेकर : इसमें कुछ कठिनाई होगी क्योंकि देश के विभिन्न भागों में अधिवक्ता शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। मेरा यह विचार है कि इस प्रकार का विधान पंजीकरण करवाने वाले व्यक्तियों की कठिनाइयां दूर करने में किसी प्रकार से सहायक सिद्ध नहीं होगा। अतः मैं यह समझता हूं कि यह विधेयक इस दिशा में किसी प्रकार से सहायक नहीं सिद्ध होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : मैं श्री आल्तेकर की इस बात से सहमत हूं कि श्री रामस्वामी ने इस विधेयक के सम्बन्ध में जो बड़े बड़े दावे किये हैं उन के कारण हमारी थोड़ी बहुत सहानुभूति भी जाती रही है।

श्री आल्तेकर ने ठीक ही बताया है कि इस विधेयक का क्षेत्र बड़ा संकुचित और सीमित है। इसका उद्देश्य यह है कि दलालों या ऐसे अर्द्ध व्यवसायी लोगों को, जिन्हें विधि की और उसके नवीनतम नियमों की जानकारी नहीं है महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों का प्रारूपण करने से रोका जाये। यदि हम प्रारूपण का काम इन अज्ञानी लोगों के हाथ से ले कर योग्य वकीलों के हाथ में दे देंगे, तो देश में मुकदमेबाज़ी भी घट जायगी।

दस्तावेजों के निर्वचन के कारण देश में बड़ी मुकदमेबाजी होती है और इस विधेयक का उद्देश्य दस्तावेजों के उचित तथा अच्छे ढंग से प्रारूपण की व्यवस्था करना है जिससे कि गलत अर्थ निकालने की कम गुंजाइश रहे और इसके फलस्वरूप मुकदमेबाजी भी कम हो। इस विषय में, मेरे विचार में, उन्होंने ५०० रुपये की जो सीमा रखी है वह भी ठीक है क्योंकि बहुत छोटे व्यक्तियों या बहुत छोटे मामलों को प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये

किसी अधिवक्ता के पास भेजने का इरादा नहीं है। वस्तुतः बड़ी बड़ी राशियों या सम्पत्तियों इत्यादि से सम्बन्धित दस्तावेज़ों के सम्बन्ध में ही किसी अधिवक्ता का प्रमाणपत्र आवश्यक होना चाहिये जिससे कि यह संतोष हो सके कि उसका प्रारूपण किसी योग्य व्यक्ति ने किया है और उसमें गलती की बहुत कम गुंजाइश है। ५०० रुपये से कम के मामलों के सम्बन्ध में पुरानी व्यवस्था चालू रहनी चाहिये और किसी अधिवक्ता का प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होना चाहिये। इस देश में जहां बहुत अधिक निरक्षरता है और अधिवक्ताओं को छोड़ कर बहुत कम लोग न्यायालयों के नवीनतम निर्णयों को जानते हैं, इस प्रकार के विधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

मैं श्री आल्तेकर की इस बात से सहमत हूं कि 'अधिवक्ता' शब्द की परिभाषा नहीं की गई है। मुझे आशा है कि जब इसकी परिभाषा की जायेगी, तो उसमें प्लीडरों और वकीलों को भी सम्मिलित कर लिया जायेगा।

सदन के समक्ष यह प्रस्ताव केवल विधेयक के सम्बन्ध में जनता की सम्मति जानने के लिये इसे परिचालित करने के विषय में है। ऐसा करने में कोई हानि नहीं है। यदि हम यह देखें कि बहुमत इसके विरुद्ध है और वह वर्तमान स्थिति को ही जारी रहने देना चाहता है तो संभवतः श्री रामस्वामी स्वयं ही इसे रद्द कर देंगे। अतः मेरा यह अनुरोध है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में जनमत जानने का अवसर तो दिया ही जाना चाहिये।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम्): मैं श्री रामस्वामी के इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता हूं। अनुभवी वकील विधि के विद्यार्थियों को आरम्भ में यही उपदेश देते हैं कि विक्रय-पत्रों, बन्धक-पत्रों, समझौता पत्रों, रिक्थपत्रों इत्यादि को निष्पादित करन में दस्तावेज़ों के प्रारूपण के लिये पारिवारिक वकीलों की व्यवस्था होनी चाहिये। किन्तु इस के लिये जनमत तैयार करना चाहिये। इस प्रकार के विधेयक के द्वारा यह उद्देश्यपूर्ति नहीं हो सकती है। हमारा देश बहुत विशाल है। यहां इसे लागू नहीं किया जा सकेगा। एक निर्धन व्यक्ति को २५० या ५०० रुपये की सम्पत्ति बेचने के लिये दस्तावेज़ का प्रारूपण वकील से कराने और उसे शुल्क देने के लिये कहना बात असुविधाजनक होगी।

यहां भी ब्रिटेन के समान अनुज्ञप्ति देने की प्रथा जारी की जा सकती है। लोग ऐसे व्यक्तियों के पास जा कर उनसे अपने दस्तावेज़ों का प्रारूपण करा सकते हैं। मेरे विचार में इंगलैंड में या अन्य किसी देश में किसी दस्तावेज़ को पंजीबद्ध कराने के लिये किसी वकील से प्रमाणपत्र लेना या उसे वकील से तैयार कराना आवश्यक नहीं है।

श्री टेकचन्द (अम्बाला–शिमला): वहां तो सदा इन्हें वकील ही तैयार करते हैं।

श्री ए० एम० टामस: मेरे माननीय मित्र ने यह कहा था कि वह यह विधेयक वकीलों की सहायता करने के लिये प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। किन्तु मेरा यह कहना है कि यदि हम अब ऐसा उपबन्ध बना देंगे तो इससे विधिजीवियों के व्यवसाय की प्रतिष्ठा बहुत गिर जायेगी। क्योंकि थोड़ी थोड़ी सम्पत्ति के दस्तावेज़ों के सम्बन्ध में उनका शुल्क नियत करना होगा, जिसे वे कभी पसन्द नहीं करेंगे। आजकल इस व्यवसाय में वैसे ही बड़ी प्रतिद्वन्दिता है। मेरा यह निवेदन है कि यदि इस प्रकार का उपबन्ध बनाया गया तो इससे विधि व्यवसाय में बड़ी बुराइयां आ जायेंगी।

मेरे माननीय मित्र ने कहा था कि दस्तावेज़ के साथ वकील का प्रमाणपत्र होने पर या

[श्री ए० एम० टामस]

उसके वकील द्वारा तैयार किया हुआ होने के कारण मुकदमेबाजी घट जायेगी। मैं कहता हूं कि इसका बिल्कुल उल्टा होगा।

कुछ माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री ए० एम० टामस : यह समझा जा सकता है कि इससे दोनों पक्षों का वास्तविक अभिप्राय प्रकट नहीं होता है और सम्भव है वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिये वकील ने वास्तविक अभिप्राय के स्थान पर अपना अभिप्राय प्रकट कर दिया हो। मुझे खेद है कि मैं अपने माननीय मित्र की इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि वकील से दस्तावेज़ तैयार कराने से उन पक्षों का हित सुरक्षित हो जायगा। इससे दोनों पक्षों के बीच संविदा करने की स्वतंत्रता में बहुत बाधा पड़ेगी और मेरे विचार में इस समय हमें इस प्रकार के विधान की आवश्यकता नहीं है।

श्री टेकचन्द : मैं ने गत तीनों भाषणों को जिन में विधेयक के उद्देश्यों तथा प्रस्तावक के भाषण की आलोचना की गई थी, बड़े ध्यान से सुना है। मेरे विचार में इस आलोचना में प्रस्तावक या विधेयक दोनों में से किसी के प्रति भी उचित न्याय नहीं किया गया है।

इस विधेयक का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। इसका उद्देश्य यह है कि वैधानिक दस्तावेज़ों के प्रारूपण का काम वसीकानवीसों या अनजान व्यक्तियों के हाथ में नहीं रहने देना चाहिये। विधि को जानने वाले वकील से प्रारूपण कराने पर व्यर्थ की मुकदमेबाजी नहीं होगी और विधि को न जानने वाले व्यक्तियों का यह वर्ग बीच से हट जायेगा।

परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं। इंगलैण्ड के समान यहां भी प्रारूपकार वकीलों का एक वर्ग होना चाहिये जो प्रारूपण की कला में दक्ष हो और तुरन्त पेचीदा दस्तावेज़ों का प्रारूपण कर सके।

विधि व्यवसायी अधिनियम में "अधिवक्ता" की परिभाषा दी हुई है। अतः इस आधार पर इस विधेयक की आलोचना करना ठीक नहीं है।

एक बात समझ में आ सकती है। क्योंकि यहां के लोग निर्धन हैं अतः ५०० रुपये के स्थान पर १००० रुपये तक की सीमा होनी चाहिये।

विधि की अन्य शाखाओं के समान पंजीकरण विधि भी एक बड़ा जाल है और वकीलों से काम न करा कर वसीकानवीसों से काम कराने के कारण बहुत सा धन व्यर्थ नष्ट होता है। एक योग्य वकील पर थोड़ा सा धन व्यय करने से बहुत सी चिन्ता और मुक़दमेबाज़ी से बचा जा सकता है। मैं इस विधेयक के समर्थन में और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री राघवाचारी : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं स्वयं एक वकील हूं और इसके पक्ष तथा विपक्ष की बातों को सुन कर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि जिस उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है इससे उसकी और हानि ही होगी। यह कुविचारित कुप्रारूपित है और इससे लोगों पर और बोझ पड़ेगा तथा उनकी असुविधा बढ़ेगी।

हमारे देश में यह व्यवस्था नहीं चल सकती है। बहुत से लोग अनपढ़ हैं और उन्हें ज़रा ज़रा सी बात के लिये किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है। पहले तो कोई व्यक्ति १५० या २०० मील की यात्रा करके प्रधान नगर तक पहुंचे और फिर वहां किसी अधिवक्ता या वकील को ढूंढे और फिर उससे सलाह लेने के लिये उसे पैसे दे।

अब प्रश्न यह है कि क्या प्रारूपण के द्वारा सब बुराइयां दूर हो जायेंगी ?

श्री अच्युतन (कोंगान्नूर) : सब बुराइयां नहीं, किन्तु उन में से कुछ ।

श्री राघवाचारी : मुख्य बात यह है कि प्रारूपण अनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित होता है । आपने कहा है कि बेनामी सौदों और उन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली धोखेबाजियों को कोई स्थान नहीं है । इस का परिणाम यह है कि बेचारे अनभिज्ञ व्यक्ति को दस्तावेज पंजीयन के लिये बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है । मैं पूछना चाहता हूं देश में कितने दस्तावेज़ पंजीबद्ध किये गये हैं और उन में से कितने मुक़दमेबाज़ी का कारण बने । यदि कोई व्यक्ति वकील के पास आता है तो वकील उस की कठिनाइयों को सुनकर उस के उद्देश्य के अनुसार मार्गोपाय बता देता है । उस के पश्चात् उसका अपना विवेक होता है, किन्तु यही तो कठिनाई है कि उस के पश्चात वह मुकदमेबाज़ी से रुक नहीं सकता है ।

माननीय मित्र यह कहते हैं कि अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाले सब दस्तावेज़ पंजीबद्ध होने चाहिये और उन के साथ वकील का प्रमाणपत्र हो जबकि अब केवल कुछ एक आवश्यक दस्तावेज ही पंजीबद्ध होते हैं । इसीलिये मेरा यह कहना है कि यह विधान अच्छी प्रकार से सोच समझ कर प्रारूपित नहीं किया गया है ।

अपने देश में वकीलों द्वारा दस्तावेज़ लिखे जाने की प्रथा नहीं है । केवल मदरास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मैक ही इस का प्रचार करते रहे हैं, अन्यथा यह प्रचलित नहीं है ।

यदि कोई दस्तावेज़ न्यायालय में पेश होता है तो लिखने वाले वकील को भी गवाह बन कर पेश करना पड़ेगा । ऐसा करने में उस की क्या अवस्था रहेगी ? उसे उस के पक्ष को होने वाली क्षति के लिये क्यों उत्तरदायी होना चाहिये ।

श्री रामस्वामी कह सकते हैं कि पंजीबद्ध किये जाने से पहले प्रत्येक दस्तावेज के साथ वकील का एक प्रमाणपत्र उस के साथ संलग्न होना चाहिये । फिर इस विधेयक के प्रति लोकमत जानने के लिये इसे परिचालित करने में बहुत खर्च आयेगा । इसी प्रकार प्रत्येक विधेयक के लिये लोकमत जानना होगा और सार्वजनिक धन का व्यर्थ खर्च होगा, और फिर भी संभव है कि उस विधेयक से देश को कोई लाभ हो या न हो । इसलिये मैं इस का जोरदार विरोध करता हूं, और कहता हूं कि इस विधेयक पर और अधिक विचार करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है ।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं ने पहले सोचा था कि मुझे इस विधेयक पर नहीं बोलना चाहिये । इस पर सदन के विभिन्न दलों ने बहुत विस्तार के साथ वाद विवाद किया है और अधिकांश सदस्य इस विधेयक तथा इस के परिचालन के विरुद्ध हैं । मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि परिचालन से कोई लाभप्रद उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि परिचालन से जिन बातों पर प्रकाश पड़ेगा, वे सदन में पहले ही प्रकट की जा चुकी हैं । मैं नहीं समझता कि परिचालन से कोई नई बात इस में सम्मिलित हो जायगी । माननीय सदस्य ने इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट किये हैं और उन्हों ने इस देश में कनाडा, आस्ट्रेलिया, इंगलिस्तान, अमरीका आदि में प्रचलित विधि को जानने के लिये समस्त वैधानिक संसार की यात्रा की है । इस को ध्यान में रखते हुए, मैं समझता हूं कि कम से कम उन के लिये सदन अवश्य ही विधेयक पर मत प्राप्त करने के लिये भेजना

[श्री बिस्वास]

चाहता होगा ताकि इस पर कोई नया प्रकाश डाला जा सके ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री बिस्वास : उनका जो विचार है वह बहुत अच्छा है । वह व्यर्थ की मुक़दमेबाज़ी को रोकना चाहते हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : किन्तु उसे इस उपाय से न किया जाये ।

श्री बिस्वास : उन्होंने जिस बात का ध्यान नहीं रखा है वह यह है, कि वह इस विधान से किस बुराई को ठीक करना चाहते हैं ? यदि कोई दस्तावेज़ बुरा लिखा गया है तो इस से बहुत से कठिन प्रश्न निर्वचन के लिये उत्पन्न हो जायेंगे । अब कितने मामलों में निर्वचन का प्रश्न उत्पन्न होता है ? वास्तव में वह कपटयुक्त सौदों को रोकने के विषय में बोल रहे थे । पंजीयन अधिनियम दस्तावेजों के सम्बन्ध में है सौदों के नहीं । यदि सौदा कपटयुक्त या अन्य प्रकार का हो तो यह मामला न्यायालय में नहीं चल सकता है, दस्तावेज के प्रारूपण पर यह अवलम्बित नहीं है । मान लीजिये कि दस्तावेज़ श्रेष्ठतम विधिविज्ञ द्वारा लिखा गया है, तो यदि वह मामला न्यायालय में पेश होता है, तो यह बात उसे विरोध से नहीं बचा सकती है । पुराने मामले को लीजिये---प्रसन्न कुमार टैगोर के इच्छापत्र के उदाहरण को लीजिये---जो प्रीवी कौंसिल तक गया था । वह बड़े बड़े वैधानिक मस्तिष्क द्वारा लिखा गया था । किन्तु प्रीवी कौंसिल ने उस इच्छापत्र को बिल्कुल रद्द कर दिया था । मैं कह रहा हूं कि केवल प्रारूपण ही सब बुराइयों का एक मात्र इलाज नहीं है । करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति वाला इच्छापत्र निश्चय ही ५०० रुपये की सम्पत्ति से सम्बन्धित अमृत्युलेख निर्दिष्ट दस्तावेज़ से अधिक महत्वपूर्ण है । उपलब्ध श्रेष्ठतम वैधानिक मस्तिष्क के द्वारा तैयार किया गया ऐसा दस्तावेज़ भी जब उच्चतम न्यायालय में पेश हुआ, तो इस की न केवल आलोचना हुई बल्कि वह रद्द हो गया । अब ५०० रुपये से अधिक सम्पत्ति से सम्बन्धित हस्तान्तरण-विलेख या दस्तावेज को आप किसी वकील या अधिवक्ता के प्रमाणपत्र होने के आधार पर प्रतिवाद से कैसे बचा सकेंगे क्योंकि एक महीने से वकालत करने वाला व्यक्ति भी इस विधेयक की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है । ऐसे अधिवक्ता के परामर्श को आप क्या महत्व देंगे ? आप कहते हैं कि इस के साथ वकील का प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिये । क्या वकील ऐसा प्रमाणपत्र देने को तैयार होगा कि उस ने अपने अनुदेशों की स्वयं जांच कर ली है और तब दस्तावेज़ तैयार किया है ? कोई व्यक्ति दस्तावेज़ के लिखे जाने के उपरान्त उस के पास आता है । वह अधिवक्ता को दे दिया जाता है । अब यह अधिवक्ता पर निर्भर है कि वह मेरे शब्दों पर विश्वास कर के प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर कर दे; तो ऐसे प्रमाणपत्र का क्या मूल्य हुआ ?

श्री एन० सी० चटर्जी : 'मैडिकल सर्टिफिकेट' ।

श्री बिस्वास : आप जानते हैं कि एक चिकित्सक द्वारा दिये गये मैडिकल सर्टिफिकेट का क्या मूल्य होता है । यदि नियोक्ता अधिकारी या विभाग के मुख्य अधिकारी के सामने इसे प्रस्तुत किया जाता है, तो यदि मैडिकल सर्टिफिकेट किसी पंजीबद्ध चिकित्सक से न प्राप्त किया गया हो तो इसे स्वीकार नहीं किया जाता है । सर्टिफिकेट का क्या मूल्य है ? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि केवल प्रारूपण ही आवश्यक है और यह कि यदि रूपण आलोचना से परे है, तो इस बात की

गारंटी हो जाती है कि न्यायालय दस्तावेज़ के नीचे वकील के हस्ताक्षर देखते ही उसे विषय के निर्णायक रूप में तथा निर्वचन के, जो विशेष शब्दों पर दिया जाता है रूप में स्वीकार कर लेगा। यह पूर्णतया अर्थहीन है। इस से निश्चय ही उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी जिसे माननीय मित्र प्राप्त करना चाहते हैं। किन्तु यदि सदन चाहता है तो मुझे इसके परिचालन पर कोई आपत्ति नहीं है। यदि यह परिचालित किया जाता है तो इसका यह मतलब है कि आप प्रस्तावक को इस विधेयक को वापिस लेने का अवसर देते हैं। क्योंकि जब लोगों के विचार एकत्रित होंगे, तो वह स्वयं यह कहेंगे कि वह इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। यदि सदन इस मामले में लोक मत जानना चाहता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

श्री रघुरामय्या : माननीय मंत्री कहते हैं कि इसके परिचालन की कोई आवश्यकता नहीं है। किन्तु वह माननीय सदस्य के लिये इसका परिचालन किये जाने को भी स्वीकार करते हैं। क्या सरकार की ऐसी नीति है कि यदि विधेयक को गम्भीरतापूर्वक खूब सोच समझ कर तैयार किया जाय तो, उसका परिचालन किया जाना चाहिये।

श्री बिस्वास : माननीय सदस्य को समझना चाहिये कि किस उद्देश्य से यह सुझाव किया गया है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : श्री राघवाचारी ने कहा है कि इस की भाषा में त्रुटि है, किन्तु मैं ने संदिग्ध भाषा का प्रयोग नहीं किया है। संविधि रचना के नियमों के अनुसार जो बात पहली उपधारा पर लागू होती है वह बाद वाली धारा पर भी लागू होती है। श्री टामस ने कहा है कि निष्पादक पर इसका भार पड़ेगा और उसे दस्तावेज लिखाने के लिये करनाम को कुछ देना पड़ेगा। व्यवसायी व्यक्ति कुछ पारिश्रमिक ले कर ध्यानपूर्वक और ठीक ढंग से यह कार्य करेगा। मुझे पता है कि करनाम दस्तावेज़ के लिये बहुत पारिश्रमिक लेते हैं, जिसका परिणाम मुकदमेबाजी होती है। वकीलों के बिना भी लोग सौदे करते हैं, किन्तु वकीलों के होने से उनकी कठिनाइयां अवश्य कम हो जायेंगी। किन्तु मैं यह भी नहीं कहता कि मुकदमेबाजी कम हो जायेगी। किन्तु वकील सौदे की सत्यता की परख करने के पश्चात् ही उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, नहीं तो दस्तावेज की असफलता की अवस्था में उनकी प्रतिष्ठा का नाश हो जायेगा। बुरे ढंग के दस्तावेजों को रोकने का यह अच्छा उपाय है। गांवों के लिखने वालों को अपनी मान प्रतिष्ठा आदि का इतना ध्यान नहीं होता है, इसलिये इस उपक्रम से लाभ ही होगा। माननीय विधि मंत्री समझते थे कि परिचालन के पश्चात् मैं अपने विधेयक को वापिस ले लूंगा, किन्तु ऐसी बात नहीं है। माननीय मंत्री जूरी पद्धति के पक्ष में थे, किन्तु अधिक संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया है।

श्री बिस्वास : मेरा कहने का आशय यह था कि बंगाल में जूरी पद्धति को कम से कम ५० प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई थी।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि यह विधेयक परिचालित किया गया, तो ८०–८५ प्रतिशत लोकमत अवश्य इस के पक्ष में होगा।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

———

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा २६८, २८४ और ३०१ का लोप तथा धारा २८६ आदि का संशोधन)

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने से पूर्व, मैं इस विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों के विवरण की चर्चा करूंगा । इसमें कहा गया है कि विधि की बढ़ती हुई जटिलता असेसरों के विचारों के केवल परामर्शदात्री रूप और योग्य व्यक्तियों द्वारा असेसर के रूप में कार्य करने के प्रति अनिच्छा को ध्यान में रखते हुये असेसरों की सहायता से सेशन के मुकदमों की सुनवाई की प्रणाली को समाप्त कर देना बहुत आवश्यक है । इस प्रणाली की उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है और इस के कारण अब न्यायाधीशों और असेसरों दोनों ही को उलझन और परेशानी होती है । अतः इसको समाप्त करना आवश्यक है । इसी उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य के और कुछ कहने के पूर्व मैं इस विधेयक के प्रति माननीय मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा क्योंकि इस विषय से सम्बन्धित एक विधेयक सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला है ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वह पूर्ण-रूपेण इस विधेयक के सिद्धान्त से सहमत है, परन्तु उसकी यह इच्छा है कि इस प्रश्न पर छुटपुट रूप से विचार न किया जाये । सरकार इस सिद्धान्त को स्वीकार कर चुकी है कि असेसर प्रणाली उपयोगी नहीं है और उसको निरसित किया जाना है । इस सम्बन्ध में सरकार निश्चय कर चुकी है और इस मामले को उसने दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक में, जो गजट में प्रकाशित हो चुका है और जो कदाचित अगले पखवारे में सदन में पुरःस्थापित कर दिया जायेगा, सम्मिलित कर लिया है ।

इसी विषय से सम्बन्धित श्री रामस्वामी द्वारा एक गैर सरकारी विधेयक रखा गया था । वह विधेयक जूरी द्वारा और असेसरों की सहायता से मुकदमे की सुनवाई के प्रश्न से सम्बन्धित था। परन्तु उक्त कारणों से यह तय किया गया कि उस पर सरकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के साथ ही विचार कया जाये । यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो यही सिद्धान्त इस विधेयक के सम्बन्ध में भी लागू किया जा सकता है ।

श्री के० सी० सोधिया : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर वाद विवाद स्थगित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) अधिनियम

(धारा १ और २६ का संशोधन तथ नई धारा १७क और ३४ की प्रविष्टि)

श्री यू० सी० पटनायक (धुमसूर) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम १८७८, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक, वर्तमान परिस्थिति में, अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परिवर्तित समय को देखते हुये विद्यमान शस्त्रास्त्र विधि में कम से

कम थोड़े बहुत संशोधन की बहुत आवश्यकता है। यह हर्ष की बात है कि भारत में राइफल प्रशिक्षण की भावना को बढ़ावा देने के लिये देश के राइफिल संगठनों को सहायता देने के एक संकल्प को माननीय गृह-कार्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया है और वह इस सदन द्वारा पारित हो गया है।

वर्तमान विधेयक का महत्व इस बात में है कि वह भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम के कुछ प्रतिक्रियात्मक उपबन्धों को ढीला करने का एक प्रस्ताव है। उस अधिनियम के उपबन्ध और उसकी उत्पत्ति का इतिहास, जो लगभग सन् १८६० ई० से आरम्भ होता है, सभी को मालूम है। सन् १८५७ के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे इतिहासकार सिपाही गदर कहते हैं, के बाद से तत्कालीन भारत सरकार ने विविध तरीकों से इस देश के योद्धाओं की लड़ाकू भावना को कुचलने और देश की सारी असैनिक जनता को निःशस्त्र करने का प्रयत्न किया। इस बात के उपाय किये गये कि थोड़ी भी राजनैतिक शिक्षा और राजनैतिक विचारों वाले भारतीय सेना में प्रवेश न पा सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये ईडन समिति के प्रतिवेदन के बाद सन् १८५९–६० में सारे देश का सैनिक पुनर्संगठन किया गया। असैनिक जनता को निःशस्त्र करने के उद्देश्य से ही भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम, १८६०, बनाया गया था। बाद में सन् १८७८ में उस अधिनियम में कुछ संशोधन किये गये और उसी वर्ष एक नया अधिनियम बनाया गया। वही १८७८ का भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम ज्यों का त्यों आज तक चल रहा है, यद्यपि परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। उसमें सन् १९१९ और सन् १९४९ में कुछ मामूली से परिवर्तन किये गये थे; परन्तु वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। शस्त्रास्त्रों को रखने और उनके लिये अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने के सम्बन्ध में कई प्रकार के वर्ग बन गये। कुछ प्रकार के व्यक्तियों को कोई भी अनुज्ञप्ति शुल्क नहीं देना पड़ता है परन्तु अधिनियम अथवा उससे सम्बन्धित नियमों में केन्द्रीय और राज्य विधान मण्डलों में जनता के प्रतिनिधियों, उच्च सरकारी पदाधिकारियों आदि को अनुज्ञप्ति शुल्क से विमुक्ति देने की कोई व्यवस्था नहीं रही है। कुछ देशों में कुछ प्रकार के शस्त्रास्त्र रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना जाता है। परन्तु हमारे देश में तो दशा कुछ और ही है। मैं यह नहीं कहता कि इस अधिनियम को निरसित कर दिया जाये या सभी को विमुक्ति दे दी जाये। मेरा सुझाव यह है कि आरम्भ में कुछ विशेष वर्गों के व्यक्तियों को विमुक्ति प्रदान की जाये।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या ऐसे व्यक्तियों में संसद् सदस्य भी सम्मिलित हैं ?

श्री यू० सी० पटनायक : जी हां। ऐसे व्यक्तियों में संसद् सदस्य, गजटेड पदाधिकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राइफिल क्लब के सदस्य, होम गार्डस, प्रादेशिक सेना, असैनिक रक्षा संगठन, सेना छात्र बलों आदि के अधिकारी भी आ जाते हैं। और इस सम्बन्ध में मैंने मुख्य अधिनियम की धारा १ मे संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। हथियारों के पंजीयन सम्बन्धी नियमों को बनाने की शक्ति के विषय में मैंने एक नई धारा १७क के जोड़े जाने का सुझाव रखा है। धारा २६ में भी कुछ संशोधन करने का मैंने सुझाव रखा है। मेरा यह भी सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा १०, १७, १७क और २७ के अधीन बनाये गये सभी नियम या दी गई विमुक्तियां संसद् के दोनों सदनों की पटल पर रखी जायेगी।

एक माननीय सदस्य : साढ़े सात बज गये हैं।

सभापति महोदय : उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की बैठक ७.३५ तक होगी ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): पांच मिनट में माननीय सदस्य अपनी सारी बातें नहीं कह सकेंगे ।

कई माननीय सदस्य : वह अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

सभापति महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि सदन की यह इच्छा है कि सदन की बैठक स्थगित कर दी जाये ।

इसके पश्चात् सभा, शनिवार, २७ मार्च, १९५४ के एक बजे तक के लिये स्थगित हुई ।